# आरआईएस | वार्षिक रिपोर्ट 2013 – 14

## –अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान



आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान
एवं सूचना प्रणाली

# आरआईएस

विकासशील देशों का
थिंक टेंक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्तशासी नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंत: सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के कैनवस से संबंधित नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइट www.ris.org.in देखें।

**– अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान**


**आरआईएस**
**विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली**
कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.org.in वेबसाइट: http://www.ris.org.in

# विषय वस्तु


| | | |
|---|---|---|
| *अध्यक्ष का संदेश* | | iii |
| *महानिदेशक की रिर्पोट* | | v |
| I | नीतिगत अनुसंधान | 1 |
| II | नीतिगत परामर्शी सेवाएं | 27 |
| III | नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ | 29 |
| IV | क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम | 54 |
| V | प्रकाशन कार्यक्रम | 58 |
| VI | आकंड़ा एवं सूचना केंद्र | 68 |
| VII | मानवसंसाधन | 72 |
| VIII | वित्तीय विवरण | 79 |

# आरआईएस संचालन परिषद

**अध्यक्ष**

**राजदूत श्याम सरन**
पूर्व विदेश सचिव
विदेश मंत्रालय

**उप–अध्यक्ष**
**राजदूत वी.एस. शेषाद्री**

***पदेन सदस्य***

**श्रीमति सुजाता सिंह**
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

**श्री राजीव खेर**
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**डॉ. अरविंद मायाराम**
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

**प्रोफेसर के. विजय राघवन**
सचिव (अतिरिक्त प्रभार)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

**सुश्री सुजाता मेहता**
सचिव (ईआर एव डीपीए)
विदेश मंत्रालय

***अपदेन सदस्य***

**प्रोफेसर बी बी भट्टाचार्य**
पूर्व उपकुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

**डॉ. दीपक नायर**
पूर्व उपकुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय

**कमोडोर सी उदय भास्कर**, वीएसएम
वरिष्ठ फैलो
राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन

***सदस्य सचिव* (पदेन)**

**प्रोफेसर विश्वजीत धर**
महानिदेशक (30 मई 2014 तक)

**प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी**
महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

# अनुसंधान सलाहकार परिषद

**अध्यक्ष**
**डॉ0 सुदीप्तो मंडल**
सदस्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

**सदस्य**

**राजदूत ए एन राम**
पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

**राजदूत श्याम सरन**
पूर्व विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

**प्रोफेसर एन एस सिद्धार्धन**
मानद प्रोफेसर
मद्रास स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स

**प्रोफेसर पुलिन बी नायक**
दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स

**राजदूत एस टी देवारे**
पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

***पदेन सदस्य***

**श्री चरणजीत सिंह**
संयुक्त सचिव (एमईआर)
विदेश मंत्रालय

**संयोजक**

**प्रोफेसर विश्वजीत धर**
महानिदेशक (30 मई 2014 तक)

**प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी**
महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

# अध्यक्ष का संदेश

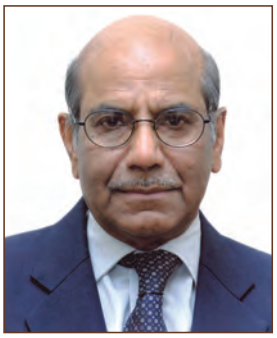

**राजदूत श्याम सरन**
पूर्व विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण विचारक होने के कारण आरआईएस सदैव दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहा है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में संस्थान द्वारा 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए दक्षिणी प्रबंधक : मामले एवं उभरती हुई चुनौतियाँ' तथा 'भारतीय विकास सहयोग नीति : वाद–विवाद की स्थिति' विषयों पर सम्मलेन भी आयोजित किए गए थे। आरआईएस–एफआईडीसी (भारतीय विकास सहयोग मंच) सम्मेलन की मासिक श्रंखला इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है।

क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में संस्थान द्वारा आसियान–भारत आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन किया गया। इस संदर्भ में आरआईएस में एक आसियान–भारत केन्द्र भी स्थापित किया गया है जोकि केवल इसी दिशा में ही कार्यरत है। आरआईएस द्वारा आसियान–भारत केन्द्र के उदघाटन भाषण के आयोजन के साथ–साथ वियनटियाने, लाओ पीडीआर में विचारकों के एक आसियान–भारत नेटवर्क के द्वितीय गालमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। भारत एवं आसियान देशों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए। क्षेत्रीय सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों में आरआईएस द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं उनमें आईबीएसए (भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका), टीपीपी (प्रशांत पार भागीदारी करार), आईओआरए (भारतीय समुद्री रिम परिसंघ) एवं भारत–कोमेसा (पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए सामान्य बाजार) शामिल हैं। बहुपक्षीय स्तर पर अन्य मुद्दों के साथ–साथ डब्लयूटीओ, वैश्विक आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय अनुदान संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक आचार नीति, सेवाओं के व्यापार में बहुपार्श्विक करार, अभिगम एवं लाभ सहभागिता के कार्यान्वयन पर भी विचार–विमर्श किया गया।

आरआईएस ने अन्य प्रमुख संगठनों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्यों ने देश–विदेश में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में भाग लिया और उनमें अपना महत्वपूर्ण योगदान

प्रदान किया। संकाय सदस्यों ने आरआईएस में अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त, नीतिगत अनुसंधान साहित्य में भी अपना योगदान प्रदान किया। इस प्रकार से पूर्व की भांति भविष्य में भी आरआईएस एक ज्ञान केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाता हुआ कई उपलब्धियाँ हासिल करेगा।

मैं इस अवसर पर आपको आरआईएस के नए महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी का परिचय देना चाहता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी आरआईएस की कार्ययोजना में नई गतिशीलता लांएगे जिससे कि यह संस्थान उनके मार्गनिर्देशन में अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरे उत्साह के साथ प्राप्त करने में कार्यरत रहेगा।

**श्याम सरन**

# महानिदेशक की रिपोर्ट

**प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी**
**महानिदेशक**

पिछले वर्षों के दौरान आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम में मुख्यतः चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया था। उन क्षेत्रों में वैश्विक आर्थिक मामले एवं दक्षिण–दक्षिण सहयोग, व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग, संयोजकता एवं क्षेत्रीय सहयोग तथा नई प्रौद्योगिकियाँ एवं विकास संबंधी मामले शामिल थे। कुछ नए विषयों को शामिल करने के साथ आरआईएस द्वारा विकासशील देशों के विचारकों के समक्ष कुछ नए मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं जोकि इन देशों के समक्ष नीतिगत निरूपण प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनौती के रूप में सामने आते हैं। हमारा प्रयास इस अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के निरूपण में नीतिगत अनुसंधान करना है।

इन व्यापक विषयों के अंतर्गत आरआईएस द्वारा कई अध्ययन किए गए है। इन अध्ययनों में बहुपार्श्विक स्तर पर अन्य तथ्यों के साथ–साथ डब्लयूटीओ, वैश्विक आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं जी–20 के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में अंतर्राष्ट्रीय अनुदान संरचना एवं विकास सहयोग संबंधी दृष्टिकोण, दक्षिण–दक्षिण सहयोग की गतिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक आचारनीति, अभिगम एवं लाभ सहभागिता तथा सेवाओं के करार में बहुपार्श्विक व्यापार जैसे मामले शामिल है।

क्षेत्रीय स्तर पर जिन विषयों पर अध्ययन किए गए उनमें आईओआरए की व्यापार एवं निवेश संबंधी संभावनाएँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग एवं आईओआरए में निवेश के लिए सांस्थानिक ढांचा, आईबीएसए के समक्ष मुद्दे, वैश्विक वित्तीय क्षेत्र का प्रबंधन एवं ब्रिक्स के लिए विवक्षाएँ, भारत एवं अफ्रीका के बीच व्यापार एवं निवेश श्रंखला को विस्तारित करना, प्रशांत पार भागीदारी करार, दक्षिण एशिया का मध्य एशिया के साथ एकीकरण, दक्षिण एशिया के साथ निवेश सहयोग को विस्तारित करना, एशिया–प्रशांत व्यापार करार का विश्लेषण करना, ईएएस प्रक्रिया के लिए भारतीय आर्थिक गतिकता, लेटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देशों के साथ भारत की आर्थिक प्रतिबद्धता, पूरे एशिया में विकास के मार्ग, बढ़ी हुई संयोजकता के माध्यम से आसियान–भारत आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के विभिन्न आयाम, जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास तथा वैश्विक रूप से उत्तरदायी अनुसंधान को बढ़ावा देना आदि जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों के संबंध में तथा अन्य अध्ययनों से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है।

आसियान–भारतीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए आरआईएस में एक पृथक आसियान–भारत केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र द्वारा कईं क्रियाकलापों का आयोजन किया गया और आसियान–भारत के विचारकों का नेटवर्क (एआईएनटीटी) की प्रथम गोलमेज वार्ता की रिपोर्ट 'आसियान–भारत सामरिक भागीदारी : आसियान–भारत के विचारकों के नेटवर्क से परिप्रेक्ष्य' का प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट में भारतीय–आसियान आर्थिक सहयोग को और अधिक गहन करने के लिए नीति निर्माताओं एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए कई उपयोगी विचार अंतर्निहित हैं। इसका विमोचन वियनटियाने, लाओ पीडीआर में आयोजित एआईएनटीटी के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान किया गया।

नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देना हमारी कार्य योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है। आरआईएस द्वारा कईं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए दक्षिणी प्रबंधक : मामले एवं उभरती हुई चुनौतियाँ' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ एवं संभावनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आसियान–भारत के विचारकों के नेटवर्क की दूसरे गोलमेज सम्मेलन, आरआईएस में आसियान–भारत केन्द्र के उदघाटन भाषण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन के लिए अफ्रीका–भारत सहयोग पर सम्मेलन, दोहा से बाली : विकास कार्यक्रम की चुनौतियाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, विकास सहयोग, व्यापार एवं वित्त : उभरते हुए शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य, भारत एवं म्यांमार के बीच विकास मार्ग से संयोजकता मार्ग पर सम्मेलन, भारत–चीन सहयोग एवं वैश्विक आर्थिक नियंत्रण पर कार्यशाला और भारतीय विकास सहयोग नीति : वाद–विवाद की स्थिति जैसे विषयों पर सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। आरआईएस–एफआईडीसी पर मासिक सम्मेलन आयोजित करने की एक नई श्रंखला भी प्रारंभ की गई है। आरआईएस द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आईटीईसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला, डब्लयूटीओ एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों पर वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला आदि का आयोजन शामिल था। संस्थान द्वारा क्षेत्रीय एवं बहुपार्श्विक महत्व के विभिन्न मामलों पर उपयोगी नीतिगत अनुसंधान सामग्री प्रदान करने के लिए कई प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए।

हमारे अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन के नेतृत्व में तथा शासी निकाय के सदस्यों के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान पूर्व की भांति विकासशील देशों के अग्रणी एवं प्रभावी विचारक के रूप में कार्यरत रहेगा।

हम विदेश मंत्रालय के सतत सहयोग के लिए आभारी हैं। हम भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनके महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों से हम अपना अनुसंधान कार्यक्रम उपयुक्त ढंग से तैयार कर सके। हम विश्व के विभिन्न भागों में अवस्थित अपने भागीदार संस्थानों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा।

आरआईएस के संकाय एवं स्टाफ सदस्यों के अथक प्रयासों एवं सहयोग से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकने में सक्षम हो सके हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ। मुझे विश्वास है कि संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुझे उनका सतत सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

**सचिन चतुर्वेदी**

# I

# नीतिगत अनुसंधान

वर्ष 2013–2014 के दौरान आरआईएस का ध्यान मुख्यतः चार व्यापक क्षेत्रों में रहा है। (क) वैश्विक आर्थिक मुद्दे एव दक्षिण–दक्षिण सहयोग (ख) व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग (ग) संपर्क एवं क्षेत्रीय सहयोग (घ) नई प्रौद्योगिकी एवं विकास के मुद्दे। संस्थान द्वारा किए मुख्य अनुसंधान कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया है। ?

## (क) वैश्विक आर्थिक मुद्दे एव दक्षिण सहयोग

### क.1. विश्व व्यापार संगठन का भविष्य

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर विश्वजीत धर एवं श्री रोशन किशोर**

वैश्विक व्यापार के उदारीकरण के प्रथम सर्वोत्तम विकल्प के रूप में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपने अस्तित्व के साढे छह दशक में अति गंम्भीर संकट का सामना कर रही है। व्यापार उदारीकरण को मजबूत एवं व्यापक बनाने के अपने वादे को पूरा करने में असफल रहने पर विश्व व्यापार संगठन के सम्मुख अपनी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यह वह गतिविधि है जो मंच ने 12 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की थी। फिर भी इस वास्तविकत्ता को नकारा नहीं जा सकता कि देशों के बीच उभरती आर्थिक सझों की जटिलतताओ पर विहंगम रूप से दृष्टिपात विश्व व्यापार संगठन ही कर सकता है। इस सन्दर्भ में विश्व समुदाय दो तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, पहले में दोहा दौर के विकास के मूल्यांकन की जरूरत है, जिनसे कि वर्तमान संकट पैदा हो गया है और साथ ही वैश्विक आर्थिक समझौतो को देखते हुए संगठन को आगामी कार्य योजनाऐं बनाने के लिए विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य हो गया है। जबसे दोहा दौर की वार्ताएं प्रारंभ हुई हैं, आर्थिक एकीकरण के संचालक घटकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की बढ़ोतरी के सूचक

के रूप में वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों को मान्यता देना है।

अध्ययन का पहला केन्द्र बिंदु दोहा दौर में हुई मुख्य प्रगति है जिसमें कुछ अधिक विवेचनात्मक वार्ता विषय शामिल हैं। हमारे मत में इस तरह की नजर रखना जरूरी है क्यों कि इस प्रकार की समीक्षा उन मामलों के विश्लेषण में सहायक है जिन पर विश्व व्यापार संगठन के सदस्य करार करने से बचते हैं।

## क.2. 2015 के पश्चात वैश्विक विकास की कार्यसूची

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर विश्वजीत धर एवं श्री सायन सामन्त**

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को 2015 तक पूरा किया जाना है, और चूंकि समय कम है, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेन्सियों के अलावा कई तरह के संगठनों ने अपनी प्रगति का आकलन शुरू कर दिया है। एमडीजी इस बहस को लेकर भी चर्चा में हैं कि 2015 के पश्चात क्या वैश्विक समुदाय को विकास प्राप्ति के लिए नए लक्ष्यों को अपना लेना चाहिए। आरआईएस इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) राष्ट्रीय प्रक्रिया के रूप में इस संस्थान को प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए देश के थिंक टैंको से समन्वय करने को कहा है जिससे इस कार्य में तेजी आई है। यह काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है एवं विचारकों के अनुभव जानने के बाद 'भारत का 2015 के पश्चात विकास ढ़ाचा' नामक दस्तावेज यूएनडीपी को प्रस्तुत किया है जो उनके राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट का अंश है।

## क.3. वैश्विक आर्थिक संकट, आर्थिक वित्तीय संथान एवं जी–20

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

इस अध्ययन में 2008 के आर्थिक संकट को समझने की कोशिश की गई है। संकट की प्रकृति और कारणों का पता लगाने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के सुधार एवं जी–20 के परिणामों पर भी ध्यान दिया गया है। कुछ नीतिगत बदलाव करने के लिए चल रही पहल का विवेचनात्मक विश्लेषण करना इस शोध का एक अभिन्न हिस्सा है। आरआईएस कि आगामी 'दक्षिण एशिया सहयोग एवं विकास रिपोर्ट' के एक अध्याय के रूप में अनुसंधान का एक अंश भी प्रयोग किया जाएगा। आरआईएस की विभिन्न कार्यशालाओं में कुछ प्रारम्भिक और बुनियादी अनुसधान को सहभाजीत किया गया है।

## क.4. अंतर्राष्ट्रीय अनुदान संरचना एवं विकास सहयोग संबंधी दृष्टिकोण

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री सुशील कुमार, श्री शशांक मर्दीरता एवं सुश्री जेयेन्थी रमन**

आरआईएस ने इस के प्रभाव को समझने के लिए प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के आंकड़ों व सूचनाओं का परीक्षण कार्य शुरू किया है। फिर भी कई विकासशील देशों में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विकास कार्यक्रमों में किये जा रहे योगदान के आंकड़े या सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। भारत में विभिन्न एजेन्सियां जो विकास सहयोग के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनसे सूचना व आंकड़े मंगाने की सख्त जरूरत है। इस प्रक्रिया के विस्तृत परीक्षण के दो पहलू हैं– (1) दाताओं की दृष्टि से भारत की विकास सहायता की सार्थकता (प्रभाव) एवं (2) विकास के लिए भारत की सहायता को प्रभावशील बनाने के लिए किए जाने वाले उपाय। इस अध्ययन का निष्कर्ष आरआईएस के चर्चा पत्र श्रंखला में के तहत पत्र एवं पुस्तक के रूप में संग्रहीत किया जायेगा।

## क.5. दक्षिण दक्षिण सहयोग की बूसानोत्तर गतिकी

**परियोजना प्रमुखः डॉ. सचिन चतुर्वेदी**

दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) को विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार विमर्श के लिए महत्व दिया गया है और इस प्रकार से एसएससी से कईं गुणा उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस संदर्भ में आरआईएस द्वारा बूसानोत्तर के संदर्भ में नीतिगत निरूपण प्रक्रिया के सहयोग के लिए एक मुख्य कार्य योजना प्रारंभ की गई है और इसकी कईं एजेंसियों के साथ भागीदारी की गई

है। मूलभूत दस्तावेज संपादित खंडों में प्रस्तुत किए गए है और यह दस्तावेज गहन रूप से समीक्षित अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस कार्य योजना का पूर्ण वित्त पोषण आरआईएस के आंतरिक संसाधनों से किया जा रहा है। मौजूदा कार्य योजना में दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है क्योंकि इसमें विकासशील देशों के बीच उनके व्यापक विकास के उद्देश्यों के समान प्रयासों में उनमें सर्वोत्तम प्रक्रियाओं एवं सहयोग के विनिमय को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समस्त पहलू शामिल है जोकि न केवल परंपरागत आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित है अपितु विशिष्ट रूपात्मकता एवं द्विपार्श्विक, उप–क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतः क्षेत्रीय सहयोग तथा बहुपार्श्विक सहयोग के साथ–साथ एकीकरण जैसी प्रणालियों के साथ विकासशील देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के साथ भी संबद्ध हैं।

आरआईएस ने इस विषय पर दो मुख्य सम्मेलनों के लिए दि एशिया फाउंडेशन (टीएएफ) तथा विश्व बैंक के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य किया जिसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। आरआईएस द्वारा दक्षिण दक्षिण सहयोग की नई गतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग रिपोर्ट (आईडीसीआर) के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। आरआईएस द्वारा यूएनडीईएसए तथा विदेश मंत्रलय के सहयोग से 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग : मामले एवं उभरती हुई चुनौतियाँ' पर दक्षिणी प्रबंधकों के एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।

## क.6. विज्ञान में वैश्विक नैतिकता और प्रौद्योगिकी

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ के. रवि श्रीनिवास, श्री अमित कुमार और श्री साहिल अरोड़ा**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नैतिकता एक तीन वर्षीय (2011–2014) परियोजना है जो यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना में आरआईएस एक भागीदार संस्था है। अन्य संस्थान हैं सेंट्रल लंकाशायर विश्वविद्यालय, रथेनॉ संस्थान, के आईटी और सीएएसटीईडी। परियोजना की परिकल्पना मेंतीन क्षेत्रों (यूरोप, चीन और भारत) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में नैतिकता का तुलनात्मक अध्ययन है और तीन मामलों का अध्ययन है – नैनोप्रौद्योगिकी, सिंथेटिक जीव विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकियां। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका विशेष आमंत्रित रहे हैं।इस परियोजना में नैतिकता की धारणा का तात्पर्य है अभिगमन, साम्यता और अंतर्वेशन। आरआईएस ने सहयोगी संस्थान के आईटी द्वारा कार्लशू, जर्मनी और बर्लिन में आयोजित बैठकों में भाग लिया। परियोजना के अंतिम चरण में आरआईएस ने अनुसंधान निर्गत को अंतिम रूप और दिशा देने के लिए अन्य संस्थानों के साथ काम किया। परियोजना का अंतिम सम्मेलन 6 और 7 मार्च को नई दिल्ली में आरआईएस ने आयोजित किया गया था। नीति निर्माताओं के अतिरिक्त विदेशी वैज्ञानिक और विशेषज्ञ प्रोफेसर डब्ल्यू ई बिजकर सहित, मास्ट्रिच विश्वविद्यालय, नीदरलैंड, प्रोफेसर काओ नान्यान, शिंगुआ विश्वविद्यालय, बीजिंग इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसी सम्मेलन में श्री अमिताभ कुंडू ने एक व्याख्यान दिया और पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संचार नीति और नैतिकता परएक गोल मेज का आयोजन किया गया। आरआईएस ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परियोजना के अंतिम निर्गत यूरोपीय आयोग प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस परियोजना के अंतर्गत किए गये शोध के आधार पर स्प्रिंगर द्वारा ओपन एक्सेस रूपमें एक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

डॉ सचिन चतुर्वेदी इसके संपादकों में से एक हैं और आरआईएस टीम ने हीइस पुस्तक के ज्यादातर अध्यायों में योगदान दिया है। आरआईएस चर्चा पत्र और नीति सार प्रकाशित करेंगे और इस परियोजना के अंतर्गत किए गये अनुसंधान पर आधारित एक लेख इक्नामिक और पॉलीटीकल वीकली में एक विशेष लेख के रूप में प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

इस परियोजना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और नैतिकता के मुद्दों हेतु आरआईएस के लिए नए आयाम जोड़ दिये हैं। आरआईएस भविष्य

में इनके नये अवसरों की तलाश में जुटा है। यद्यपि परियोजना वैश्विक नैतिकता पर आधारित थी लेकिन आरआईएस टीम नेविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नीतिशास्त्र में अभिगमन, समावेशन और साम्यता विशेष के संदर्भ में वैश्विक बहस को नये आयाम दे दिये हैं और नीतिगत निर्गतों के आदर्श और मानदंड के आकलन को शामिल किए जाने पर ध्यान दिलाया है। इस परियोजना ने आरआईएस को सक्षम व्यक्तियों और भारत में एसटीआई मुद्दों पर काम कर रहे संस्थानोंके साथ अपने संबंध मजबूत बनाने में सहयोग दिया।

## क.7. मानवीय आनुवंशिकी एवं अभिगम तथा आनुवंशिकी लाभ के अंतर्गत लाभ सहभागिता

**परियोजना प्रमुख : प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी**

अभिगम तथा लाभ सहभागिता (एबीएस) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ), विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन (डब्लयूआईपीओ) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) में बढ़ते हुए वाद–विवाद का एक केन्द्र बिंदु बन गया है। अभिगम एवं लाभ सहभागिता विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) करारों के संबंध में विवाद का एक मुख्य मुद्दा बन गया है जिससे ट्रिप्स एवं जैवविविधता पर संधि (सीबीडी) के उद्देश्यों के बीच एक असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सीबीडी में वर्ष 1992 में रियो दि जिनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखरवार्ता में तथा वर्ष 2002 में आनुवंशिकी संसाधनों तक अभिगम तथा उनके उपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न लाभों की समान एवं बराबरी की भागीदारी से संबंधित बॉन मार्ग निर्देशों पर सहमत हो गई थी जिसमें पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों जैसे अमानवीय आनुवंशिकी संसाधनों के प्रयोग के संबंध में लाभ सहभागिता के लिए आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट किया गया था। आरआईएस ने भी इस वैश्विक विचार–विर्मश में अपना योगदान दिया था और आनुवंशिकी लाभ नामक परियोजना पर भी कार्य कर रहा है।

इस परियोजना में आरआईएस ने मानवीय आनुवंशिकी के लिए एबीएस की नियंत्रण प्रणाली के अनुसार कार्य किया था। मानवीय आनुवंशिकी संसाधनों के क्षेत्र में लाभ सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय विनियमनों की किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। लाभ सहभागिता ढांचों पर भी प्रायः नैतिक रूप से उंगलियाँ उठाई जाती है जिनका प्रयोग विकासशील देशों में मानवीय आनुवंशिकी अनुसंधान को तर्कसंगत बनाने के लिए किया जाता है। मौजूदा ढांचे का फनर्मूल्यांकन करने एवं वास्तविक विकल्प सुझाने की वास्तव में आवश्यकता है। एक संपादित खंड में 'लाभ सहभागिता के प्रति सम्मिलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना : सीबीडी के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करना' विषय पर एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया है।

## क.8. विश्व व्यापार संगठन में सेवा में अनेक वृत्तिपश्च व्यापार समझौते (टीआईएसए): भारत के लिए विवक्षाएं

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेंद्र दास**

सेवा व्यापार समझौता (टीआईएसए), संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया जो मौजूदा समय में विश्व व्यापार संगठन में 50 प्रतिभागियों पराक्रमित किया जा रहा है जो विश्व सेवा व्यापार का 70 प्रतिशत व्यापार वहन करते हैं। सितम्बर 2013 की स्थिति अनुसार टीआईएसए में शामिल हैं–ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चीन ताइपे (ताइवान), कोलंबिया, कोस्टा रिका, यूरोपीय संघ, हांगकांग, आइसलैंड, इसराइल, जापान, लिकटेंस्टीन, मेक्सिको, नवीन न्यूजीलैंड, नार्वे, पाकिस्तान, पनामा, पराग्वे, पेरू, कोरिया गणराज्य, स्विट्जरलैंड, तुर्की, और संयुक्त अमेरिका। यह एक अनेक वृत्तिपश्च समझौता है जिसका उद्देश्य है सेवा व्यापार का विस्तार। इस प्रकार से भारत अब तक उसका हिस्सा नहीं रहा है। भारत के लिए इसकी विवक्षाओं पर एक अध्ययन किया जा रहा है। इस पहलू से यह जांच की जा रही है कि भारत के अनेक वृत्तिपश्च टीआईएसए में शामिल होने से बहुपक्षीय प्रणाली ढुलमुल तो नहीं हो जाएगा। व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा व्यापार आईटी सहितए ऑडियो–विजुअल सेवा इत्यादि में भारत का निर्यात हित सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी कार्यनीति क्या हो सकती है? सबसे

महत्वपूर्ण यह है कि वार्ता का सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा जो भारत को चतुर्थ मोड में प्राकृतिक संस्थानों की अस्थायी आवाजाही में ज्यादा और प्रभावी लचीलापन दे सके।

## ख. व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग

### ख.1. नई सदी में आईओआर–एआरसी की व्यापार एवं निवेश संबंधी संभावनाएँ : क्षेत्र की नई आर्थिक सीमाएँ

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर एस के मोहंती एवं डॉ. प्रियदर्शी दास**

वर्ष 1997 में इसकी स्थापना से लेकर भारतीय समुद्री कोर परिसंघ (आईओआर–एआरसी) में व्यापार, निवेश, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क एवं सांस्कृतिक विनिमय के संदर्भ में काफी व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में इस अध्ययन को आरआईएस के भारतीय क्षेत्रीय सहयोग समुद्री कोर परिसंघ (आईओआर–एआरसी) पर चल रहे मौजूदा अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में करना आवश्यक माना गया। इस अध्ययन का विस्तृत उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में विशेषकर अंतर्क्षेत्रीय व्यापार, सीमा पार निवेश प्रवाह एवं आर्थिक सहयोग के अन्य रूपों की गई प्रगति की जांच करना है। इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन में उन संभावित उपायों की खोज करना है जिसके माध्यम से आईओआर–एआरसी भविष्य में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है। इस अध्ययन में क्षेत्र में गहन एकीकरण खुले क्षेत्रवाद के ढांचे में परिकल्पित होता है क्योंकि अधिकांश सदस्य देश उनके प्रासंगिक उप क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रक्रिया के साथ गहन रूप से संबद्ध होते हैं। व्यापार एवं निवेश प्रवाह में गतिकी प्राप्त करने के अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तरों के साथ–साथ सामूहिक स्तर पर भी सदस्य देशों के लिए व्यापार की संभावनाओं का प्राक्कलन किया गया था। इन प्राक्कलनों से यह पता चलता है कि क्षेत्रीय उदारीकरण से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश प्रवाह के लिए पर्याप्त रूप से उत्साहवर्धक होंगे। भविष्य में, क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का मुख्य संचालक पाया गया। क्षेत्रीय सहयोग के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अग्रणी होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रक्रियाओं की रफ़्तार सापेक्षिक रूप से काफी धीमी थी। इस अध्ययन में इस धीमी गति के लिए सुदृढ़ सांस्थानिक प्रणाली के अभाव को उत्तरदायी ठहराया गया तथा विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में समयबद्ध परियोजनाओं में हुई बहुत कम प्रगति पर सहमति व्यक्त की गई। इस अध्ययन में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दस बिन्दुओं वाली संस्तुतियाँ की गई जिसमें अन्य बातो के साथ–साथ व्यापार सुविधाएँ, विनियमों को सुसंगत बनाना, वैश्विक मूल्य श्रंखलाएँ, क्षेत्रीय सहयोग आदि शामिल है जिनको आईओआर–एआरसी के व्यापार एवं निवेश समिति को सौपा गया जिससे कि वे इनके कार्यान्वयन के लिए इसकी व्यवहार्यता की जांच कर सके।

### ख.2. मूल संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग : आईओआर–एआरसी में निवेश के लिए सांस्थानिक संरचना की ओर

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ. प्रियदर्शी दास एवं सुश्री रमिता तनेजा**

मूल संरचनात्मक सुविधाओं का विकास आर्थिक प्रगति एवं विकास का मूल घटक है। क्षेत्रीय एकीकरण के संदर्भ में, बेहतर भौतिक मूल संरचनात्मक सुविधाएँ, सीमा पार व्यापार तथा संसाधन समृद्धि क्षेत्रों से संसाधनों के अभाव वाले क्षेत्रों के बीच संयोजकता में बढ़ोतरी के द्वारा क्षेत्रीय संसाधनों का कुशल उपयोग है। यूरोपीय संघ, एशिया एवं लेटिन अमेरिका के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों एवं समुद्रपत्तनों के रूप में मूल संरचनात्मक सुविधाएँ लागतों तथा पारगमन समय को कम करती हैं और पिछड़े क्षेत्रों में आवागमन में बढ़ोतरी करती हैं तथा मूल परिधि को एकीकृत करने में सहायक होती हैं। उस संदर्भ

में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश का सतत प्रवाह क्षेत्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का केन्द्र बिन्दु होता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर निश का बढावा देने के लिए ऐसे कई क्षेत्रीय प्रयास है। हांलाकि, इन क्षेत्रीय पहलों के समक्ष प्रांरभ में अवसरों की अपेक्षा चुनौतियाँ अधिक होती हैं, फिर भी यह प्रक्रियाएँ समय के साथ–साथ क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाती हैं। तथापि, विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों के लिए इस प्रकार की क्षेत्रीय इन्फ्रॉस्ट्रक्चर परियोजनाओं का कार्यान्वयन सापेक्षिक रूप से सुगम होता है, जैसा कि हमनें पिछले कुछ दशकों के दौरान अनुभव किया।

आईओआर–एआरसी देशों के एक विविध समूह का प्रतिनिधित्व करता है जोकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभिगम के भिन्न–भिन्न स्तरों तथा क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के लिए इनके प्रयोग द्वारा विशिष्टीकृत होते हैं। सदस्य देशों में भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के असमान एवं असमिति परिमाण को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को आईओआर–एआरसी के मंत्रियों की समिति के वित्तपोषण से निष्पादित किया गया। यह अध्ययन इस तथ्य पर आधारित था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास आर्थिक एकीकरण की प्रगतिधीन क्षेत्रीय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णायक हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश की भूमिका एवं महत्व पर विशेष बल दिया गया था। इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे (क) क्षेत्रीय एकीकरण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमिका का आकलन एवं विश्लेषण (ख) इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर सदस्य देशों की नीतियों की जांच (ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निर्धारण, परियोजना अवधारणा तथा परियोजना के वित्तपोषण के डिजाइन, संसाधनों एवं माध्यम तथा कार्यान्वयन एवं संचालन संबंधी मामलों के संदर्भ में आईओआर–एआरसी में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक क्षेत्रीय सांस्थानिक ढांचे का विकास करना। यूरोपीय संघ, एशिया एवं लेटिन अमेरिका में बेहतर प्रक्रियाओं के आधार पर इस अध्ययन में आईओआर–एआरसी में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक पिरामिड के समान सांस्थानिक संरचना को वर्णित किया गया है जिसमें प्राथमिकता वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश के सुगम प्रवाह पर विशेष बल दिया गया है।

## ख.3. मत्स्य पालन की आर्थिक अवधारणा: आईओआर–एआरसी में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ढांचा

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ0 प्रियदर्शी दास एवं श्री मनु सिंह राठौर**

आईओआर–एआरसी के अधिकांश सदस्य देशों के लिए मत्स्य पालन एक मुख्य आर्थिक क्षेत्र है जोकि प्रदेश में लाखों लोगों को आय तथा जीवन निर्वाह की सुरक्षा प्रदान करता है। आईओआर–एआरसी के शासनपत्र में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। आईओआर–एआरसी में वृहत मत्स्य पालन क्षेत्रों को शामिल किया गया है तथा यह समृद्धि मत्स्य पालन संसाधनों विशेषकर समुद्री मत्स्य पालन एवं प्रवासी प्रजातियों से संपन्न है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा में काफी अधिक वृद्धि हुई है फिर भी सदस्य देशों के समक्ष मछलियों का अत्यधिक पकड़ना, अतिक्षमता, अवैध रूप से मछली पकड़ना, पर्यावरणीय प्रदूषण, लाइसेंसों एवं विनियामक प्रणालियों में भिन्नता तथा इसी प्रकार अन्य चुनौतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। यह चुनौतियाँ न केवल आईओआर–एआरसी जल में संवहनीय मत्स्य पालन की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं अपितु मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों में विशेषकर स्वदेशी मत्स्य पालन समुदायों में भूख एवं कुपोषण के जोखिम को भी बढ़ावा देती हैं और मछलियों की समृद्धि प्रजातियों के लुप्त होने के संकट को भी बनाए रखती हैं।

इस पृष्ठभूमि में आईओआर–एआरसी के लिए इस प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में मत्स्य पालन के मौजूदा आर्थिक पहलुओं को समझना और आजीविका, पोषण एवं व्यापक रूप से सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मत्स्य पालन की भूमिका को समाहित करना है। इस अध्ययन में चार मुख्य घटक शामिल थे (क) क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन एवं उपभोग तथा व्यापार में प्रवृत्तियों एवं ढांचों का निर्धारण करने के लिए

मत्स्य पालन संबंधी गौण आंकड़ों का विश्लेषण करना, (ख) आजीविका, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी मामलों की जांच करना (ग) संवहनीय मत्स्य पालन, लाइसेंस संबंधी नियमों एवं विनियमनों की सुसंगतता, विदेशी मछुआरों की प्रतिभागिता एवं मछलियों का अधिक पकड़ना आदि के संबंध में जांच करना और नीतियों की संस्तुति करना (घ) जलीय प्रजातियों के संरक्षण तथा क्षेत्र के लोगों की आजीविका संबंधी सुरक्षा के लिए सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का एक ढांचा तैयार करना।

## ख.4. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय मानक श्रृंखला के संवर्धन की संभावना

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

दक्षिण एशिया वर्ष 2003 से मौजूदा वैश्विक मंदी के दौर तक विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के समक्ष 'वैश्विक वित्तीय संकट' के कारण विकास की मंदी के नकरात्मक पहलुओं का जोखिम उत्पन्न हुआ है। क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में सुदृढ़ संभावनाओं के आधार पर कूटनीतिक प्रयासों से क्षेत्र में उच्च दर से विकास किया जा सकता है। तेजी से विकसित हो रहे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव यह इंगित करते हैं कि अंतः क्षेत्रीय व्यापार को वैश्विक मानक कड़ी (जीवीसी) के दृष्टिकोण के साथ बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रीय सहयोग से उपार्जित लाभों की जांच के दौरान कुछ अध्ययन यह इंगित करते हैं कि क्षेत्रीय मानक कड़ी से प्राप्त आर्थिक लाभ पीटीए/एफटीए जैसे वैकल्पिक प्रयासों की अपेक्षा कहीं अधिक हो सकते हैं।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय मानक कड़ी कमजोर हो चुकी है क्योंकि कई क्षेत्रीय देश कई क्षेत्रों में जीवीसी में कार्यरत हैं। भारत पहले ही वस्त्र एवं कपड़ों तथा ऑटो संघटक क्षेत्रों के उत्पादन एवं निर्यात में सक्रिय है। बांग्लादेश एवं श्रीलंका की कुछ स्थानीय फर्में कपड़ों के क्षेत्र में वैश्विक उत्पादक नेटवर्क (जीपीएन) में सक्रिय हैं। इसी प्रकार से नेपाल एवं पाकिस्तान भी अन्य जीवीसी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में स्वयं को कई जीवीसी विशेषकर वस्त्र एवं कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, औषधीय एवं परंपरागत औषधियाँ, सीमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्रटवेयर आदि के साथ एकीकृत करने की संभावनाएँ मौजूद हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों ने आरवीसी प्रक्रिया की सुविधा के लिए क्षेत्रीय नीतियों के उदारीकरण में कुछ राष्ट्रीय सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है।

मुख्य अध्ययन के लिए, कई देशों के अध्ययन किए गए जिसमें दक्षिण एशिया में आरवीसी की संभावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आरवीसी के विभिन्न आयामों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इस अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल थे (क) सिले–सिलाए वस्त्र, (ख) ऑटोमोबाइल, (ग) प्रसंसाधित खाद्य पदार्थ, (घ) फर्जे एवं संघटक एवं (ड.) चमड़ा। आरवीसी में क्षेत्रों के महत्व को समझने के लिए हमने भारत एवं दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों में क्षेत्र अध्ययन किए। यह अध्ययन बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं भारत के अग्रणी संस्थानों की सहायता से किए गए थे।

इस अध्ययन से यह परिणाम निकलता है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएँ पहले ही विविध क्षेत्रों में वैश्विक मानक कड़ी में कार्यरत हैं। तथापि, इन अधिकांश क्षेत्रों में प्रचालन का स्तर निम्न है और उत्पाद का संयोजन विश्व के अन्य देशों में होता है, दक्षिण एशिया में कई क्षेत्रों में आरवीसी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की मजबूत संभावनाएँ हैं। इस अध्ययन को एडीबी द्वारा प्रायोजित गया है और प्रारूप रिपोर्ट प्रायोजित एजेंसी का सौंप दी गई हैं।

## ख.5. आईबीएसए के समक्ष मुद्दे

**रिपोर्ट समन्वयनः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी**

भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अप्रफीका (आईबीएसए) की शिखरवार्ता का आयोजन अगले वर्ष भारत में किए जाने की संभावना है। हम विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में चार प्रमुख अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं जिनमें आईबीएसए देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संपर्क तथा शेष दक्षिणी देशों के साथ उनके संपर्क, व्यापार, बौद्धिक संपदा एवं परंपरागत ज्ञान प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न वैश्विक विचार विमर्श के दौरान आईबीएसए की समीक्षा, जैव

विविधता का संरक्षण, सामाजिक क्षेत्र के अनुभव एवं शिक्षाएँ तथा अन्ततः आईबीएसए देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन शामिल है। इनमें से कुछ मुद्दों की देश में एवं अन्य विकासशील देशों में औषधियों के लिए अभिगम के लिए गंभीर विवक्षाएँ हैं।

## ख.6. भारत–चीन द्विपार्श्विक संबंध

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

पिछले एक दशक के दौरान चीन–भारत के द्विपार्श्विक संबंधों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है क्योंकि चीन वर्ष 2008 से धीरे–धीरे भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। दो बड़े एशियाई देशों के बीच इस नए संबंध को एक नई प्रवृत्ति से जोड़ा जा सकता है जिसमें दोनों देशों ने व्यापार में औद्योगिक देशों से स्वयं को व्यवस्थित तरीके से पृथक करने के द्वारा विकासशील देशों के साथ अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं को द्रुतगति से पूरा किया है। चीन–भारत द्विपार्श्विक व्यापार से भारत के प्रतिकूल व्यापार असंतुलन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं को न तो चीन तक सीमित रख सकता है और न ही इस प्रकार की वृहत द्विपार्श्विक व्यापार असममिति को लंबी अवधि तक जारी रख सकता है। इस अध्ययन में वर्तमान स्थिति से निपटने के कुछ अनुभवजन्य विकल्पों का विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन से कईं परिणाम प्राप्त हुए हैं जिनकी महत्वपूर्ण नीतिगत विवक्षाएँ हैं। भारत का द्विपार्श्विक निर्यात चीन से होने वाले आयात की अपेक्षा कम विविधतापूर्ण है और यह आंशिक रूप से भारत की स्वयं की मौजूदा निर्यात क्षमताओं का विविध क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण निर्यात क्षेत्र में, प्रयोग न कर पाने के कारण है।

भारत के कईं निर्यात उत्पाद वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं परन्तु वे व्यापार उत्पन्न करने वाले सुदृढ़ प्रभावों के बावजूद चीन में बाजार अभिगम हासिल करने में असफल रहे हैं। भारत का द्विपार्श्विक व्यापार घाटा चीन से होने वाले उत्कंठित अप्रतिस्पर्धी आयात को स्थगित करने के द्वारा काफी अधिक कम किया जा सकता है। भारत कईं क्षेत्रों में चीन की वृहत वैश्विक आयात की मांग को पूरा कर सकता है। उस स्थिति में, भारत को पांच संसाधन आधारित एवं प्रौद्योगिकी प्रबलता वाले क्षेत्रों के चीनी बाजारों में पहुँच बनाने के लिए आवश्यकतानुसार निर्यात उन्मुखी उत्पादन करने की आवश्यकता है। व्यापार नीति के उदारीकरण में, भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र में उदारीकरण के द्वारा काफी अधिक प्रगति की है जिसमें भारत विनिर्माण क्षेत्र में चीन से कहीं अधिक उदार है जोकि चीन का एक सुदृढ़ पक्ष माना जाता है। अर्थमित्तीय प्रतिमान के अनुसार तीसरे देशों में बाजार अभिगम बनाने के संदर्भ में यूआन की गिरावट से भारत के निर्यात पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। चीन के साथ फनर्मेल करने से भारत को आरसीईपी प्रक्रिया से प्रतिवर्ष 75.4 बिलियन डॉलर तक का लाभ होगा हालांकि आरसीईपी से प्रतिवर्ष 502.8 बिलियन डालर का लाभ होने की संभावना है।

इस अध्ययन का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। इस अंतिम अध्ययन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किया गया था और इसका उल्लेख उनकी वेबसाइट पर किया गया था।

## ख.7. भारत एवं अप्रफीका के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधी संपर्कों को बढ़ावा देना–एक नई सामरिक आर्थिक भागीदारी

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भारत एक जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था और वैश्विक मंदी के दौरान भारत के निर्यात क्षेत्र के संकुचन के कारण उसका भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नत संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की एक लंबी अवधि के पश्चात अभी हाल ही के वर्षों में कईं अप्रफीकी देश धीरे–धीरे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गए हैं। इस संदर्भ में भारत के इन जीवंत व्यापार भागीदारों के साथ बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार अपनी पूर्व की उन्नत स्थिति में आ सकता है। हमें यह स्मरण

रखना होगा कि वैश्विक व्यापार प्रणाली के परिचालन के लिए बहुपक्षीयवाद की विफलता के पश्चात क्षेत्रवाद सफल हो सकता है। क्षेत्रवाद पर भारत के नवींकृत महत्व से निर्यात में उच्च तकनीकी उत्पादों की प्रतिभागिता में बढ़ोतरी हुई है और क्रमिक रूप से प्राथमिक एवं संसाधन आधारित निर्यात की अपेक्षा अधिक प्रौद्योगिकीजन्य क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है। इसके साथ–साथ भारत क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ते हुए निर्यात क्षेत्र में विविधता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान कर रहा है। भारतीय निर्यात क्षेत्रवाद के माध्यम से व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रौद्योगिकीजन्य बन रहा है। पिछले एक दशक के दौरान क्षेत्रीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्यात के क्षेत्र में इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं। इन परिणामों से यह पता चलता है कि क्षेत्रवाद के साथ भारत की भावी प्रतिबद्धताएँ आरटीए के एक चुनिंदा सेट के साथ लाभप्रद हैं। चूंकि, अप्रफीकी अर्थव्यवस्थाएँ उभर रही हैं और इस गतिरोध की स्थिति से बड़ी तेजी से निकल रही हैं इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की प्रतिबद्धताएँ मौजूदा वैश्विक मंदी से जल्दी निकलने के प्रयासों में सहयोग प्रदान कर सकती हैं। इस अध्ययन में बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार अंतराल कम करने तथा क्षेत्र में व्यापार संबंधी मौजूदा अवसरों की समीक्षा करने और अप्रफीकी देशों में संरक्षणवाद की प्रकृति के अन्वेषण द्वारा एवं अन्य देशों में महाद्वीप में भारत के बाजार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा देशों एवं आटीए के निर्धारण एवं उनको प्राथमिकता प्रदान करने के द्वारा भारत की अप्रफीकी देशों के साथ व्यापार संबंधी प्रतिबद्धताओं को सामान्य करने पर बल दिया गया है।

## ख.8. आरसीईपी एवं टीआईपीपी की मौजूदगी में ट्रांस प्रशांत भागीदारी करार में शामिल होने पर भारत के आर्थिक हित

**परियोजन प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

भारत वर्ष 1970 से क्षेत्रवाद की नीति को बढ़ावा दे रहा है हालांकि बहुपार्श्विकवाद के लिए देश निर्विवाद रूप से सहयोग प्रदान कर चुका है। पिछले चार दशकों के दौरान, भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापार संबंधी कईं करार किए गए हैं जोकि बातचीत के विभिन्न चरणों में है परन्तु बाह्य क्षेत्र पर अधिक निर्भरता के जोखिम को कम करने के लिए इन क्षेत्रीय समूहों की प्रभावोत्पादकता संवीक्षाधीन है। 21वीं शताब्दी के प्रमुख आरटीए जैसे टीपीपी, टीटीआईपी एवं आरसीईपी द्वारा भविष्य में वैश्विक व्यापार प्रणाली पर पूर्णतः आधिपत्य जमाने की संभावना है और टीपीपी द्वारा पहले ही आरसीईपी के सात सदस्यों को शामिल किया जा चुका है और उनमें से कईं सदस्यों ने इसमें शामिल होने के प्रति रूचि दर्शाई है। टीपीपी 21वीं सदी की आरटीए है जिसकी मुख्य कार्यसूची सदस्य देशों में सुधारों को समाप्त करना है। भारत पहले ही आरसीईपी का सदस्य है और भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि जैसे समूह के कईं देशों ने अभी टीपीपी में शामिल होना है। टीपीपी में चीन का शामिल होना काफी महत्वपूर्ण है चूंकि टीपीपी का गोपनीय प्रयोजन वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीनी व्यापार एवं उसके राजनीतिक प्रभाव के विस्तार को सीमित करना है। इस स्थिति में भारत का टीपीपी में शामिल होना देश के लिए जटिल हो सकता है क्योंकि इसको समूह का एक भाग बनने के लिए देश में कईं सुधार करने होंगे। इसके साथ–साथ यदि भारत ने वृहत क्षेत्रीय समूह में भाग नहीं लिया तो उसको व्यापार संबंधी वृहत अवसरों के हाथ से निकल जाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। शामिल होने का समय एवं व्यापार संबंधी अवसरों के हाथ से निकल जाना अनुभवजन्य प्रश्न है जिनकी नीतिगत प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता है।

## ख.9. दक्षिण एशिया के साथ चीनी व्यापार करारः क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए विवक्षाएँ

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

पिछले दशक के दौरान दक्षिण एशिया बाह्य क्षेत्र के साथ अधिकांश क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के एक संचालक के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था में एक जीवंत क्षेत्र बन कर उभरा है।

इस क्षेत्र ने अन्य देशों के साथ–साथ चीन सहित इस क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश के लिए वैश्विक हितों को आकर्षित किया है। पिछले दशक के दौरान निकट पड़ोसी देश होने के कारण दक्षिण एशिया के साथ चीनी भागीदारी काफी प्रभावशाली रही। चीन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ विशेष रूप से आयात की अपेक्षा निर्यात के क्षेत्र में काफी गहन रूप से भागीदार रहा है जिसके कारण कई अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका व्यापार अंतराल काफी अधिक बढ़ गया है। उनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं के साथ अभी हाल ही के वर्षों में चीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदार बन कर उभरा है। अनुभवजन्य प्रमाण यह दर्शाते हैं कि चीन द्वारा भारत को निर्यात किए गए अधिकांश उत्पाद घरेलू अर्थव्यवस्था में कईं अन्य प्रतिस्पर्धी विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि चीनी निर्यातकों द्वारा अपनाई गई व्यापार संबंधी कईं नीतियों का समर्थन उनके राज्य करते हैं। चीनी निर्यात एवं आयात की प्रकृति अधिक प्रौद्योगिकीजन्य बन रही है। चीन उन निर्यात अवसरों का लाभ उठा रहा है जिनकी उत्पत्ति क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए की गई है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस प्रकार के व्यापार अवसरों के हाथ से निकल जाने का अभिप्राय अंतः क्षेत्रीय व्यापार की बढ़ोतरी पर दबाव बढ़ने के समान है। क्षेत्र में चीन का बढ़ता हुआ निर्यात एक स्वाभाविक घटना है क्योंकि यह देश उच्चतर मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में प्रवेश कर गया है एवं मजदूरी की बढ़ती हुई घरेलू दरों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा समाप्त होने की अवसीमा पर पहुँच गई है और प्राकृतिक संसाधनों का घरेलू स्टाक समाप्त हो गया है।

चीन राज्यों के सहयोग से कुछ उद्योगों को इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की आजीविका सुरक्षा को बनाए रखने के बाध्य सामाजिक उद्देश्य के साथ संचालित कर रहा है। इस प्रकार के उत्पादन की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता है और दक्षिण एशिया को इन चीनी उत्पादों के लिए पीछे के रास्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीन द्वारा दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को वृहतर निर्यात की विवक्षाएँ दो विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। पहला, चीनी निर्यात क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्यात के अवसरों को कम कर रहा है क्योंकि निर्यात के इन अवसरों का लाभ चीन उठा रहा है और यह आईआरटी में कमी के कारण समाप्त हो सकते हैं। दूसरे, दक्षिण एशियाई देशों में इन अर्थव्यवस्थाओं से आनुपातिक आयात किए बिना चीनी निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार अंतर में बढ़ोतरी हो रही है। यह अध्ययन दक्षिण एश्याई क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई आर्थिक प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में इन दो वृहत मामलों की अनुभवजन्य जांच करने के लिए किया जा रहा है।

## ख.10. दक्षिण एशिया में निवेश सहयोग को बढ़ावा–क्षेत्र में ओएफडीआई की व्यवहार्यता

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विकास की काफी अधिक संभावनाएँ हैं परन्तु यह पर्याप्त मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को आकर्षित न कर सकने के कारण अपने विकास की अनुकूलतम संभावनाओं में सफल नहीं हो सका है। यह क्षेत्र ना केवल एफडीआई को प्राप्त करता है अपितु ओएफडीआई में भी कार्यरत है। क्षेत्र के अंतर्गत ही एफडीआई की गतिशीलता से क्षेत्र को एक तर्कसंगत समय सीमा में सतह से गहन एकीकरण तक उठने में सहायता मिल सकती है। औद्योगिक पुनःसरंचना के लिए क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में एफडीआई के संतुलित प्रवाह की दिशा में विस्तृत क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय मूल्य श्रंखला (आरवीसी) की वृहतर संभावनाएँ है। नए सांस्थानिक ढांचों का निर्माण करते हुए विशेषकर दक्षिण एशिया निवेश क्षेत्र उत्पादन एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है। अंतःक्षेत्रीय निवेश (आईआरआई) प्रवाह एशिया में कई अन्य क्षेत्रीय समूहों की तुलना में काफी कम है। भारत क्षेत्र में ओएफडीआई का सबसे बड़ा स्त्रोत होने के कारण क्षेत्र में इसकी काफी

कम स्टेक है। यह अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में एफडीआई के निम्न प्रवाह के कारणों की जांच करना एवं एक समयावधि के दौरान तुलनात्मक आटीए की संख्या के लिए आईआरआई के स्तरों का आकलन करना तथा क्षेत्र में निम्न भारतीय ओएफडीआई के कारणों का पता लगाना और क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में बढ़ोतरी के लिए उपाय सुझाना है।

## ख.11. गैर टैरिफ उपायों के व्यापार प्रभावों का अनुभवजन्य आकलन पूरे देश का विश्लेषण

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ. प्रियदर्शी दास एवं श्री मोनू सिहं राठौड़**

टैरिफ के क्रमिक रूप से कम होने के साथ–साथ गैर टैरिफ उपायों (एनटीएम) को भविष्य में वैश्विक व्यापार के लिए सर्वाधिक विकट अवरोधक माना जा रहा है। इसके साथ–साथ एनटीएम जिनको परंपरागत रूप से गैर टैरिफ अवरोधक माना जाता था, उनको अब बाजार अभिगम में व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने एवं विरूपणों को कम करने के दृष्टिकोण से व्यापार को बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में माना जा रहा है। चूंकि एनटीएम में पर्याप्त विवरणात्मक विषय वस्तु होती है, इसलिए प्रायः विभिन्न एनटीएम की जटिलता की मात्रा को और व्यापार पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन माना जाता है। इसके अतिरिक्त, उन एनटीएम से संबंधित आंकड़ों में व्यापार पर एनटीएम के विभेदक प्रभाव का परिमापन करने के प्रयोजन से अंतर्देशीय एवं अंतर्क्षेत्रीय अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए सुसंगतता का अभाव रहता हैं। इसके अतिरिक्त, विकासशील एवं कम विकसित देशों के लिए सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयोजन से विभिन्न एनटीएम एवं उनसे संबद्ध लागत तथा लाभों को स्पष्ट रूप से समझना उनके हित में है। इस परिप्रेक्ष्य में, एनटीएम के व्यापार संबंधी प्रभाव व्यापार नीति से संबंधित सुधारों पर मौजूदा नीतिगत विचार विमर्श के लिए समयपरक एवं अत्यधिक प्रासंगिक हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य एनटीएम से संबंधित आंकड़ों और प्रभाव आकलन से संबंधित पद्धति का विश्लेषण करने तथा विभिन्न देशों में व्यापार की श्रेणियों एवं उपायों पर एनटीएम के प्रभाव की अनुभवजन्य जांच करने का प्रयास है।

## ख.12. क्षेत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से प्रौद्योगिकीजन्य निर्यात उत्पादों का विभेदीकरण

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर एस के मोहंती**

वैश्विक व्यापार की प्रवृत्तियाँ यह इंगित करती हैं कि प्रौद्योगिकीजन्य विनिर्माण उत्पादों में व्यापार की बहुपार्श्विकता है। आरआईएस द्वारा उच्च एवं मध्यम प्रौद्योगिकी वाले वैश्विक रूप से गतिशील उत्पादों के निर्धारण के लिए एक अध्ययन प्रारंभ किया गया है। भारत द्वारा अपने कुल निर्यात की तुलना में उच्च एवं मध्यम प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी करने के द्वारा प्रौद्योगिकीजन्य उत्पादों का विभेदीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त और अधिक प्रौद्योगिकीजन्य उत्पादों को समूह में शामिल करने से भारत के निर्यात में और अधिक विविधता उत्पन्न करना अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न आरटीए में मध्यम एवं उच्च प्रौद्योगिकीजन्य उत्पादों में निर्यात की संभावनाएँ भिन्न–भिन्न होती है। प्रारंभिक अनुभवजन्य प्रमाणों से यह पता चलता है कि भारत आरटीए को प्रौद्योगिकीजन्य उत्पादों के निर्यात से अपने निर्यात में विविधता उत्पन्न कर सकता है। व्यापार संबंधी पर्याप्त अवसरों के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्यात केन्द्रों में यूरोपीय संघ (ईयू), उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार करार (एनएएफटीए), आरसीईपी, एशिया–प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए), दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी), पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी), पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ईसीओडब्लयूएएस), मध्य अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस), दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र परिसंघ (आसियान), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिसंघ (सार्क), भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्रीय सहयोग परिसंघ (आईओआर–एआरसी), पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए सामान्य बाजार (कोमेसा) आदि शामिल है।

## ख.13. दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास एवं आरआईएस संकाय**

आरआईएस द्वारा निरंतर रूप से दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करना तथा सहयोग की संभावनाओं का निर्धारण करना और आर्थिक एकीकरण की क्षेत्रीय चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना है। यह संगठन में ही किया जाने वाला अनुसंधान कार्य है जिसमें किसी भी बाह्य एजेंसी से कोई वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता। मौजूदा समय में इस रिपोर्ट को अद्यतन किया जा रहा है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ इसके प्रकाशन के लिए रूतलेज के दिल्ली स्थित कार्यालय से संपर्क किया गया है और यह मामला उनके विचाराधीन है। इस वर्ष नेपाल में आयोजित की जाने वाली सार्क की प्रस्तावित शिखरवार्ता तथा लगभग इसी समय आरआईएस द्वारा आयोजित की जाने वाली दक्षिण एशिया आर्थिक शिखरवार्ता (एसएईएस) के कारण इस रिपोर्ट का काफी अधिक महत्व है। यह रिपोर्ट का विमोचन नई दिल्ली में आगामी नवंबर में एसएईएस में किया जा सकता है।

## ख.14. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण–नए संदर्भ एवं विश्लेषणात्मक परिकल्पनाएँ

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

अभी हाल ही में, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में काफी अधिक महत्व दिया गया। इस तथ्य का एक आधार यह भी है कि समय के साथ–साथ कईं क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) में बढ़ोतरी की प्रवृति देखी गई। आरटीए की महत्ता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में काफी अधिक साहित्य प्रकाशित हुआ। यह एक 'नया संदर्भ' है जिसकी विवक्षाएँ न केवल व्यापार नीति से संबंधित प्रक्रिया के लिए हैं अपितु वृहत अर्थशास्त्र प्रबंधन के साथ–साथ निवेश, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित नीतियों के लिए भी हैं। इनकी व्यापक विवक्षाएँ वैश्विक आर्थिक प्रबंधन के लिए भी हैं। इसलिए इस 'नए संदर्भ' को अधिक व्यापक दृष्टिकोण में समझने एवं उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि के विपरीत, अध्ययन के एक भाग के रूप में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया है जिसको क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर साहित्य के रूप में सारांकित किया गया है। इसमें सेद्धांतिक अवधारणाओं के साथ–साथ अनुभवजन्य कार्य को भी शामिल किया गया है। तथापि, ऐसे कई क्षेत्र एवं मामले है जिनका उल्लेख इस सेद्धांतिक साहित्य में नहीं किया गया है परन्तु उनको इस अध्ययन द्वारा उनकी बहुपक्षीय बातचीत के लिए नीतिगत विवक्षाओं के रूप में रेखांकित किया गया है। एक समकक्ष समीक्षित दस्तावेज को प्रकाशित किया गया है।

## ख.15. एशिया–प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) का विश्लेषण –संभावनाएँ एवं बाधाएँ

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) एक अधिमान्य व्यापार करार है जिसको एशिया–प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए वर्ष 1975 में किया गया था। इस करार के मूल सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, कोरिया गणराज्य, लाओ पीडीआर एवं श्रीलंका शामिल था। चीन ने इस करार में वर्ष 2001 में शामिल हो गया था। मंगोलिया द्वारा आगामी चौथी मंत्रालयी परिषद में एपीटीए में शामिल होने की संभावना है। एपीटीए के सदस्य देशों में एशियाई क्षेत्र की अब कुछ सर्वाधिक सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं के शामिल होने के कारण एपीटीए को एशियाई क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभावी आर्थिक समूह बनाने के संदर्भ में इसकी कुछ संभावनाओं एवं अवरोधकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह अध्ययन इसी आवश्यकता पर आधारित है। इस अध्ययन के आधार पर 'एशिया एवं प्रशांत के क्षेत्रीय एकीकरण की अभी हाल ही प्रवृत्तियाँ, विकास एवं भावी दिशा' विषय पर एक दस्तावेज 18–22 नवंबर, 2013 के दौरान संयुक्त

राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनएक्केप) द्वारा बैंकाक एवं थाईलैंड में क्षेत्रीय एकीकरण एवं एपीटीए विषय पर आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

## ख.16. मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण

**परियोजना नेतृत्व : प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

एशिया–प्रशांत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के परिवेश में मध्य एशियाई क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक सिल्क रूट के अंतर्गत आता है अपितु इसकी भौगोलिक अवस्थिति भी पूर्वी, दक्षिणपूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी एवं पश्चिमी एशिया के एकीकरण के लिए एक आर्थिक अनिश्चित अवस्था में है। इस दस्तावेज में उन संभावनाओं का भी प्राक्कलन किया गया है जोकि अंतः मध्य एशिया के आर्थिक एकीकरण एवं दक्षिणी एशिया–मध्य एशिया के आर्थिक एकीकरण के लिए मौजूद हैं। इस दस्तावेज में इस एकीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का आकलन तथा इस विषय पर बहुश्रुत संवाद प्रारंभ करने और कुछ विस्तृत नीतिगत सिफारिशों को लागू करने के सुझाव का भी उल्लेख किया गया है। इस कार्य को हर्ट ऑफ एशिया प्रयास के माध्यम से आर्थिक एकीकरण के सदंर्भ में किया गया था। इसका समापन संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशन में किया गया है।

## ख.17. भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)–पूर्वी एशियाई आर्थिक क्षेत्रवाद एवं आरसीईपी के लिए कुछ विवक्षाएँ

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

इस अध्ययन में पूर्व एशिया शिखर वार्ता की प्रक्रिया तथा आसियान+6 की आर्थिक एकीकरण की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए और भारत–जापान सीईसीए के कार्यान्वयन के साथ यह उल्लेख किया गया है कि भारत–जापान की आर्थिक भागीदारी उद्गम के नियमों, टैरिफ के उदारीकरण, गैर–टैरिफ अवरोधकों में कमी करने आदि जैसे विभिन्न जटिल मामलों पर वार्ता के माध्यम से सहमति बनाने के द्वारा किस प्रकार से पूर्व एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकती है। इस अध्ययन को आरआईएस के वार्ता दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया ।

## ख.18. चीनी मॉनीटर

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर विश्वजीत धर एवं सुश्री रमा अरूण कुमार**

वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की बढ़ती मौजूदगी और भारत के विकास के लिए इसकी संभावित विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आरआईएस द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में विकास सहित इसके वृहतआर्थिक विकास के संदर्भ में समीक्षा प्रारंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभर रही रेनमिन्बी की विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। इस कार्य योजना के एक भाग के रूप में अब तक सात नीतिगत सार प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यह नीतिगत सार आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## ख.19. भारत–कोमेसा संयुंक्त अध्ययन रिपोर्ट

**अनुसंधान दल : प्रोफेसर एस के मोहंती एवं डॉ0 प्रियदर्शी दास एवं सुश्री सुराजिता राउत**

संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) द्वारा भारत एवं कोमेसा के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग व्यवस्था की व्यवहार्यता की जांच के लिए आरआईएस से अनुरोध किया गया था। इस अध्ययन के अधिदेश में गहन द्विपार्श्विक आर्थिक सहयोग के लिए भारत एवं कोमेसा के बीच आर्थिक प्रतिबद्धताओं के विभिन्न आयामों पर बल देना था। कोमेसा व्यापार एवं निवेश के लिए भारत के एक महत्वपूर्ण निर्दिष्ट स्थान के रूप में उभर रहा है। अभी हाल ही के वर्षों में द्विपार्श्विक व्यापार संबंधों में मंदी से पूर्व की अवधि की तुलना में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यह अफ्रीका के बड़े व्यापार खंडों में से एक है जोकि पूर्व से उत्तर अफ्रीका तक फैला हुआ है तथा जिसमें महाद्वीप के चौबीस देश शामिल है।

इस अध्ययन में कूटनीतिक तथा आर्थिक हितों एवं पारस्परिक सहयोग का निर्धारण करना( वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे का प्रस्ताव तैयार करना, द्विपार्श्विक व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में मौजूदा सांस्थानिक ढांचे, मूल संरचनात्मक सुविधाओं एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना। सेवाओं में व्यापार को तेजी से बढ़ाने के अवसरों का निर्धारण करना और क्रमिक रूप से प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना, सीमा पार से निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने के दृष्टिकोण से निवेश सहयोग के लिए रूपात्मकता तैयार करना, सीईपीए की संभावनाओं एवं कार्यक्षेत्र की खोज करना, वस्तुओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, गैरटैरिफ अवरोधक, व्यापार तथा सेनेटरी एवं फाइटोसेनेटरी संबंधी मामलों में विशेष रूप से तकनीकी अवरोधकों सहित द्विपार्श्विक आर्थिक संबंधों के समस्त क्षेत्रों को शामिल करना, पारस्परिक स्वीकृति संबंधी करार, व्यापार संबंधी सुविधाओं एवं सीमा शुल्क संबंधी प्रक्रियाए, प्रतिस्पर्धी नीति, एकाधिकार एवं राज्य उद्यम विवादों का निपटान आदि करना शामिल है। विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवस्था के कल्याण संबंधी प्रभावों की जांच करने के लिए एक गणनीय सामान्य संतुलन (सीजीई) प्रतिमान प्रस्तुत किया जाएगा। इस अध्ययन के पूरा होने में एक वर्ष का समय लग सकता है।

इस अध्ययन के लिए आरआईएस को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सूचना भागीदार के रूप में पदनामित किया गया है। इस अध्ययन का पहला चरण पूरा हो गया है और इसकी अंतरिम रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सौंप दी गई है। इस अंतरिम रिपोर्ट में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य क्षेत्रों पर किया गया विचार विमर्श शामिल है। अभी हाल ही में रिपोर्ट के शेष अध्यायों को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में भारत एवं कोमेसा के अध्ययन दल के बीच एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था।

## ख.20. जीएटी के अंतर्गत दृश्य–श्रृव्य सेवाओं में भारत का व्यापार

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

इस अध्ययन में दृश्य–श्रृव्य सेवाओं के क्षेत्र में विशेषकर फिल्मों, टेलीविजन, रेडियो, संगीत आदि में निर्यात संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा जहाँ भारत द्वारा स्वायत्त रूप से अपनाए गए उदारीकरण के प्रभाव की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। इससे हम इस दिशा में सुझाव दे सकेंगे कि हम डब्लयूटीओ में अपनी वार्ताओं को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं और दृश्य–श्रृव्य सेवाओं से संबंधित क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रतिबद्धता कर सकते हैं। इस अध्ययन से डब्लयूटीओ के सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापार के गहन विश्लेषण के माध्यम से इस क्षेत्र में व्यापार में बढ़ोतरी के लिए भारत की उन संभावनाओं का भी पता चल सकेगा। इस अध्ययन से भारतीय दृश्य–श्रृव्य सेवाओं के निर्यातकों के समक्ष आ रही बाधाओं की तथा इन देशों द्वारा भारतीय सेवाओं के आपूतिकर्ताओं के प्रति किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार की भी जानकारी हो सकेगी। इस अध्ययन में सरकार द्वारा द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक वार्ताओं के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने के निवारक उपायों की भी जानकारी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री पवन चोपड़ा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान से भी इस अध्ययन में लाभ मिला है। यह अध्ययन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इस अध्ययन को भागीदारों, परामर्शदाताओं तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सुझावों के पश्चात ही अंतिम रूप दिया जाएगा। आरआईएस द्वारा यह अध्ययन वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है।

## ख.21. विकासशील देशों में परिष्कृत निर्यात : उभरते रुझान और चुनौतियां

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर प्रबीर डे और सुश्री श्रेया पान**

विश्व के वित्तीय संकट के कुछ वर्षों को छोड़ कर पिछले डेढ़ दशक में व्यापारिक वातावरण उदार

देखा गया हैं। मुख्य रूप से ये क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से या बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के कारण बढ़ा है । हमने पाया है कि माल, सेवाओं, लोगों और पूंजी की सीमाओं के पार गमना–गमन में वृद्धि हुई है जिससे वास्तव में कई विकासशील देशों का तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास किया है। साहित्य दर्शाता है कि सीमाओं के पार उत्पाद अपखंडन के विस्तृत प्रचार से व्यापार प्रवाह बढ़ता है जिससे विकासशील देशों के निर्यात हिस्से में वृद्धि होती है। परिवहन की गिरती लागत, प्रत्यक्ष व्यापार बाधाओं में ढील, व्यापार नियमों में बढ़ती पारदर्शिता, आदि भी प्रमुख कारक रहे हैं जिनसे निर्यात में विशेज्ञता का संचार हुआ है और यह परिष्कृत रूप से बढ़ा है ।

अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो हम निर्यात परिष्कार की सीमा का परिमाप देखें और दूसरा हमारा प्रयास है निर्यात के प्रमुख निर्धारकों को समझना। प्रथम उद्देश्य पर गौर करते हुए यह अध्ययन निर्यात परिष्कार के दो पहलुओं पर केंद्रित है। पहला एचएचआर के दृष्टिकोण पर आधारित है और देश के निर्यात आय के स्तर को देखता है (ईएक्सपीवाई–लेखों में शब्दावली अनुसार)। एचएचआर के दायरे के अनुसार यह देश स्तर मान है जो कि प्रत्येक उत्पाद निर्यात के साथ जुडे सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति के स्तर कि एक भारित औसत के रूप में परिभाषित किया गया है। जहाँ प्रत्येक निर्यात किए उत्पाद देश के कुल निर्यात में शेयर मूल्य पर आधारित है। हम उत्पाद स्तर के परिष्कार का परिमाप भी देखते हैं (पीआरओडी–लेखक की शब्दावली में। दूसरा घटक है निर्यात समानता सूचकांक (ईएसआई)। यह सूचकांक दो अर्थव्यवस्थाओं की निर्यात प्रोफाइल के बीच समानता की डिग्री का आकलन करता है ।

दूसरे उद्देश्य को पैनल डेटा मॉडलिंग और पैनल सहएकीकरण के माध्यम से पाने की कोशिश की गई है। हम निर्यात परिष्कार का उपयोग पैनल प्रतिगमन में यह जांचने के लिए करते हैं कि क्या यह वृद्धि और प्रमुख अवधारकों से जुड़ा हुआ है। हमने विकासशील देशों के चार उभरते बाजारों यथा ब्राजील, चीन, भारत और तुर्की पर विचार किया और पिछले एक दशक की अवधि अर्थात 2000 से 2011 तक की अवधि को आधार बनाया।

विकासशील देशों में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है इसलिए निर्यात परिष्कार मापन से देश की विकास संभाव्यता को समझने में सहायक रहता है। इस अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि कैसे विकासशील देश निर्यात परिष्कार में विकसित देशों की तुलना में आगे आ रहे हैं। यह विकासशील देंशों को अपने निर्यात प्रसार उन्नयन के अवसर के लिए नीति दिशा प्रदान करता है।

इस अध्ययन का प्रमुख भाग पूरा किया जा चुका है और शोध पत्र तैयार किया जा रहा है।

## ख.22. भारत–मालदीव आर्थिक सहयोग को गूढ़ बनाना

**अनुसंधान दलः राजदूत श्याम सरन और प्रोफेसर राम उपेंद्र दास**

अध्ययन मध्यम से लंबी अवधि के भारत–मालदीव आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। यह उन तत्काल पहलुओं पर भी केन्द्रित है जिनमें वर्धित सहयोग की आवश्यकता है। इसमें नीतिगत संस्तुतियों और कार्यान्वयन उपाय शामिल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों यथा – परिवहन संयोजकता, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संयोजकता, पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र का विकास, मानव संसाधन कौशल विकास, दृश्य–श्रव्य सेवाएं और पर्यटन, जो सभी रोजगार जनक, व्यापार सर्जक और निवेश सुकर हैं।

## ख.23. ईएएस प्रक्रिया के लिए भारतीय आर्थिक गतिशीलता से तात्पर्य

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेंद्र दास**

एशियाई वास्तविकता का चित्रण एक तरफ तो देशों की विकासात्मक विषमताएं हैं और दूसरी ओर व्यापक अखिल एशियाई क्षेत्रीय औपचारिक आर्थिक एकीकरण समझौतों की कमी। यह देखते हुए दूसरे का महत्व सर्वोपरि है, कि एशिया का

आर्थिक प्रदर्शन अभूतपूर्व है जिसे एशियाई विकास आवेगों के आधार पर कायम रखना जरूरी है। यह और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है विशेष रूप से हाल के संकट के समय में आर्थिक लचीलेपन के संदर्भ में हालांकि विभिन्न देशों में इसकी अपनी विविधताएं हैं।

जबकि बहुधा क्षेत्रीय सहयोग के उपाय व्यापार उदारीकरण और निवेश सहयोग समझौतों की ओर ले जाते हैं वे काफी हद तक विकास के गरीबी उन्मूलन जैसे लक्ष्य की प्राप्ति में प्रासंगिक और कारगर नहीं रहे हैं। तथापि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण समझौते नीतितंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं जो कि विशेष क्षेत्र में विकास की विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक हैं।

भारत के आर्थिक प्रदर्शन को दुनिया भर में एक सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था माना गया है, यहां तक कि हाल के वैश्विक आर्थिक संकट के समय में भी। जैसा कि देखा गया है भारत ने हाल के वर्षों में अपनी क्षमताएं और आर्थिक स्वरूप विकसित किया है जो किसी भी क्षेत्रीय आर्थिक इकाई और भौगोलिक विन्यास के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा भारत को अपने अनुभवों और क्षमताओं को दर्शाने का व्यापक एक अवसर दिया है। अपनी समृ) के आयामों को साझा करने के लिए सॉफ्ट पावर माना जाता है। ऐसे विषय पर किसी अध्ययन में सॉफ्ट पावर के पहलू को वाणिज्यिक दृष्टि से अब तक देखा नहीं गया है।

ऊपर्युक्त की पृष्ठभूमि में इस अध्ययन के बुनियादी उद्देश्य हैं:

- विश्लेषणात्मक और प्रयोगाश्रित दोनों तरह से दर्शाना की भारत की आर्थिक गतिशीलता ईएएस प्रक्रिया में क्या प्रभाव लाती है विशेषकर अपने विकासात्मक निहितार्थों से।
- ये देखना कि कैसे भारत की सॉफट पावर इसका सांस्कृतिक और नैतिक पहलू ही नहीं हैं अपितु एशिया के भीतर अपने एकीकरण के लिए आर्थिक तौर से महत्वपूर्ण है।

## ख.24. भारत और सीएलएमवी क्षेत्र के बीच आर्थिक एकीकरण : क्षेत्रीय मानक श्रृंखला बनाने में चुनौतियां

**परियोजना प्रमुख : प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

प्राचीनकाल से ही भारत और कम्बोदिया, लाओस, म्यांमार और वीयतनाम (सीएलएमवी क्षेत्र) में सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। लम्बे अर्से से लोग, सामान, पूंजी और धारणाएं भारत और सीएलएमवी देशों के बीच अधिकतर पर्यटित रही हैं। तथापि आज इन संयोजनों को अप्रयुक्त क्षमताओं के रूप में देखा जा रहा है। आरंभिक प्रेक्षण बताते हैं कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति में भारत और सीएलएमवी आर्थिक एकीकरण पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। भारत के व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संयोजन में भारत और सीएलएमवी तथा शेष आसियान क्षेत्र के बीच विषमताएं हैं। इसे अंकित करना महत्वपूर्ण है कि भारत का व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संयोजन सीएलएमवी में भी असममित है जो कि वियतनाम और म्यांमार में अधिक है। यह भारत और सीएलएमव क्षेत्र के बीच अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण के अवसर प्रस्तुत करता है।

समूचे आसियान क्षेत्र में भीतर व बाहर मजबूत उत्पादन नेटवर्क तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला आसियान कि विशेषता दर्शाते है। दूसरी ओर भारत अपने पड़ोस में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला में लगभग पीछे छूट गया है। सीएलएमवी क्षेत्र सभवतः भारत को लागत लाभ व श्रम लागत के विवाचनीय उल्लेखनीय संभावय पक्ष के रूप में भारत की क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला के विकास की तलाश में अवसर प्रदान करता है ।

इसे देखते हुए और सीएलएमवी देशों में विकास घाटा व भारत की विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला को लाभप्रद बनाने की जरूरत को दृष्टिगत करते हुए यह स्वाभाविक है कि भारत आर्थिक एकीकरण के लिए सीएलएमवी के भौगोलिक और आसन्न क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करे।

## ख.25. विकासात्मक नीतियां और व्यापारः उदगम के नियमों के माध्यम से वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर राम उपेंद्र दास और डॉ राजन सुदेश रत्न**

विश्व की अर्थव्यवस्था में मूल्य श्रृंखला की प्रधानता बढ़ती जा रही है जो कि विकास के विभिन्न सतरों पर देशों को शामिल करती है। माल का उत्पादन और सेवाएं ज्यादातर स्थानीय कारणों और दूसरे स्थानों के साथ प्रभावी सेवा कड़ियों के कारण के तेजी से बढ़ रहे हैं जो मानव संसाधन और प्रतिस्पर्धी लागत अवसरों पर निर्भर हैं। देशों के बीच इस तरह के उत्पादन अवयवों का व्यापार और निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरी ओर, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत उद्गम के नियम विवादास्पद बने रहे हैं क्योंकि कुछ धारणाओं के तहत उन्हें गैर–टैरिफ बाधाओं के रूप में देखा जाता है। और तो और अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि उत्पादन विखंडन और वैश्विक व क्षेत्रीय आपूर्ति कड़ियों में उद्गम के नियम आवश्यक ही नहीं हैं ।

इसका विरोध करते हुए पुस्तक दूसरे पहलु को सामने लाती है। मौजूदा साहित्य में पुस्तक का प्रमुख योगदान यह है कि यह पुस्तक अनदेखे को देखने में सहायता करती है। ऐसा करने के लिए एक ओर वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) तथा दूसरी ओर उद्गम के नियमों को जोड़ना है। पुस्तक आरटीए के बुनियादी उद्देश्यों की व्याख्या करती है कि मूल्यवर्धित फार्मूलों एवं समूह उद्गम नियमों के प्रावधान के माध्यम से अन्तर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। नतीजतन यह आरटीए भागीदारों के बीच द्विपक्षीय/क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देता है। इसलिए यदि मूल नियम सावधानीपूर्वक बनाए जाते हैं तो मूल्य श्रृंखलाओं को पर्याप्त बना सकते हैं और एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह में विनिर्माण गतिविधियां बढ़ाते हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

कुछ देश निर्माताओं के रूप में दुनियां में अपना स्थान रखते हैं लेकिन वे अपनी विकास संबंधी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाए हैं जैसे कि पर्याप्त रोजगार प्रदान करना। आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े से स्थानीय मूल्यवर्धन ने इसकी फनरीक्षण आवश्यकता को उजागर किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू स्तर पर विनिर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मौजूदा साहित्य में इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उद्गम के नियमों के साथ जीवीसी और आरवीसी को जोड़ना इस पुस्तक का प्रमुख विश्लेषणात्मक और नीतिनियामक योगदान है।

## ख.26. भारत के एफटीए/सीईसीए की तुलना

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेंद्र दास**

सिंगाफर, मलेशिया, आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और व्यापक आर्थिक समझौतों (सीईसीए) की तुलना करने का कार्य चल रहा है। मौजूदा व्यवस्था में यह मुख्य रूप से भारत व्यापार की माल प्रदर्शन में शुल्क उदारीकरण के कार्य की तुलना करता है यद्यपि उक्त के अवधारण के लिए शुल्क उदारीकरण ही एक मात्र परिवर्ती घटक नहीं है। मैक्रो स्तरीय व्यापार डाटा–6 अंक स्तरीय व्यापार वर्गीकरण के तहत मैक्रो स्तरीय व्यापार प्रदर्शन एक विस्तृत निष्पादन है। दूसरे चरण में डेटा की उपलब्धता के आधार पर जहाँ भी लागू हो व्यापार और सेवाओं में एफडीआई प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इन समझौतों का समग्र रूप से भारत को व्यापार और आर्थिक लाभ की परिकल्पना से मिलने वाले लाभ की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि समूची एफटीए/सीईसीए की कार्यनीति की प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके।

## ख.27. ट्रांस–पेसिफिक पार्टनरशिपः भारत में कपड़ा, वस्त्र और जूते के क्षेत्र पर इसका प्रभाव

**अनुसंधान दलः राजदूत वी एस शेषाद्रि और सुश्री रमा अरुण कुमार**

ट्रांस–पेसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) एक मुक्त व्यापार समझौता है जो 12 देशों में किया जा रहा

है जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगाफर, संयुक्त अमेरिका और वियतनाम। समझौते में बाजार अभिगम, व्यापार नियम एवं घरेलू विनियम जैसे क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाएगा और इसमें 29 अध्याय होंगे। इन मुद्दों में से सबसे संवेदनशील है बाजार अभिगम जिसका भागीदारों पर तत्काल प्रभाव होगा ।

यह अध्ययन टैरिफ में कमी और उद्गम के नियमों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत में टीपीपी प्रावधानों के तहत कपड़ा तथा वस्त्र और जूता सेक्टर पर होगा। वार्ता की वर्तमान स्थिति पर आधारित अंतिम समझौते का भारत में इन सेक्टरों पर क्या प्रभाव रहेगा इसका आकलन किया जा रहा है।

टीपीपी देशों को विशेष रूप से अमेरिका में भारत के निर्यात में मुख्य रूप से परिधान शामिल हैं। तथापि इसका ज्यादा कपड़ा निर्यात अमेरिका, वियतनाम, पेरू, जापान और कनाडा को भी किया जाता है। बाजार अभिगम प्रावधान दो तरह से भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। एक है अपने प्रतिस्पर्धी टीपीपी देश वियतनाम को परिधान वस्तुओं में अपना बाजार खोना क्योंकि वियतनाम अधिक नजदीक है और टीपीपी देशों जैसे कि वियतनाम को 'यार्न फार्वर्ड' नियम जैसे प्रावधानों के परिणाम स्वरूप मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला में अपने सूत, वस्त्र और कपड़ा उद्योग का बाजार खोना।

## ख.28. व्यापार और निवेश में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर एस के मोहंती, डॉ प्रियदर्शी दाश और श्री मनु सिंह राठौड़**

बाजार अभिगम के लिए प्रतियोगिता की गहनता के साथ विकासशील देशों में एक बड़ी प्रवृत्ति है किपरंपरागत निर्यात गंतव्यों से एकाग्रता हटा कर विकासशील देशों की उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश के विस्तार अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दृष्टि से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र भारत की कार्यनीति के रूप से अधिक व्यापक और व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर एलएसी देशों में भारत के साथ व्यापार संबंधों को गहरा बनाने के लिए दिलचस्पी बढ़ रही है जो एशिया की ओर ध्यान केन्द्रित करने के रूप में है। यद्यपि वर्तमान एलएसी देशों के साथ भारत के व्यापार का स्तर अन्य बाजारों की तुलना में कहीं कम है लेकिन भारत उभरते एलएसी को भविष्य में व्यापार का एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। इसके अलावा भारत ने 'फोकस एलएसी कार्यक्रम' के माध्यम से इस क्षेत्र पर जोर दिया है जो नीति निर्देश और विशिष्ट नीतिगत उपाय सूचीबद्ध करता है और भविष्य में क्षेत्र में देश का व्यापार और निवेश बढ़ाने का उपक्रम करेगा। वैश्विक व्यापार में तेजी से होने वाली परिवर्तन परिदृश्य को देखते हुए भारत को एलएसी क्षेत्र के प्रति अपनी नीतियों का आकलन करने की जरूरत है और इसमें 'फोकस्ड एलएसी' कार्यक्रम भी शामिल है।

एलएसी क्षेत्र के लिए भारत की मौजूदा व्यापार नीतियों की प्रभावशीलता का जायजा लेने के लिए और भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने आरआईएस से इसके अध्ययन के लिए अनुरोध किया। अध्ययन का उद्देश्य है : (1) भारत और एलएसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार और प्रकार की संवीक्षा करना (2) लक्षित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे की भारत के "फोकस एलएसी कार्यक्रम" और एलएससी के "एशिया की ओर देखने" के द्वारा क्षेत्र में व्यापार और निवेश बढ़ाने की प्रासंगिकता, वांछनीयता और प्रभावकारिता में संगतता स्थापित करना और (3) भारत के निर्यात की एलएसी में प्रतिस्पर्धा और साथ ही साथ चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन।

# ग. सम्पर्क एवं क्षेत्रीय सहयोग

## ग.1. म्यांमार में विकास के गलियारे : भारत के लिए विवक्षाएँ

**अनुसंधान दलः राजदूत श्याम सरन, प्रोफेसर विश्वजीत धर, प्रोफेसर प्रबीर डे एवं अन्य**

म्यांमार संसाधनों से समृद्धि देश है। यह भारत के

समीप और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक फल के रूप में है। यह भारत को उसके प्रमुख आर्थिक साथी बनने के लिए उल्लेखनीय अवसर प्रस्तुत करता है। हाल ही में देश में हुए राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक सुधारों ने देश में नए रास्ते खोले हैं जिन्हें अनुसारित रखा जाना चाहिए। लेकिन अब हम अपने को अधिक प्रतिस्पर्धी पर्यावरण में पाएंगे क्योंकि देश अब पूरे संसार के लिए खुला है। सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र की समन्वित कार्यनीति बहुत जरूरी है जिसमें प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना है और लिए गये निर्णयों को लागू करने की इच्छा रहनी चाहिए। इस कार्यशाला में यह अनुशंसा की गयी कि आरआईएस म्यांमार संबंधी विकास पथ पर एक अध्ययन करे।

अध्ययन में भारत का म्यांमार के साथ औपचारिक और अनौपचारिक पथों द्वारा व्यापार संबंध समझने का प्रयास होगा। म्यांमार में नई अवसंरचना या विकास की बनाई जा रही योजना का तथा उनके भारत पर सामान्य रूप से तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावों को जानने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन में पूर्वोत्तर की सीमा पर अवसंरचना की मौजूदा स्थिति और निष्पादन की संवीक्षा की जाएगी। यह अध्ययन क्षेत्रीय सहयोग की ताकत व आयमों की भी जांच करेगा।

इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास है कि:

(i) म्यांमार के संसाधनो को विकास के पथों से जोड़ना, (ii) संसाधन आधारित उद्योगों के लिए अवसर जो म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर में परियोजनाओं को उत्पन्न करेंगे, और (iii) पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा और वस्त्र, रबर और अन्य बागानी फसलेंए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और समुद्री उत्पाद इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भारत और म्यांमार के बीच उत्पादन नेटवर्क में कार्य विस्तार और अवसर। अंततः इन जांचों के आधार पर एक सुसंगत रणनीति विकसित की जाएगी जो कि व्यापार (और निवेश भी) के मौजूदा स्तर को मजबूत बनाने, भारत और म्यांमार में विकास पथ को स्थापति करने के मूलभूत कार्य को भी पूरा करेगी।

## ग.2. ग्लोबल वित्तीय प्रबंधन : ब्रिक्स के लिए विवक्षाएं

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर विश्वजीत धर और डा. प्रियदर्शी दाश**

वित्त की दुनिया के घटनाक्रम का निर्भ्रांत तथ्य यह इंगित करता है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को अपने नीतिक समन्वय को इस हद तक बढ़ाना है कि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे अनिश्चितताओं का सामना न करना पड़े जैसा कि संकटपूर्व की घटनाओं में सामने आया था । ऐसे नीति समन्वय की जरूरत इसलिएपैदा होती है कि 2008 के वित्तीय संकट के समय हाल के प्रकरण में सामने आए जिसे तत्परता के साथ निपटा जाना चाहिए अन्यथा इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

ऐसे परिणामों की कुंजी है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच जैसे कि ब्रिक्स और जी–20 जो ऐसा तंत्र प्रदान कर सकते हैं जो वित्तीय क्षेत्र के प्रभावी निरीक्षण की क्षमता रखते हैं। वास्तव में ब्रिक्स के दूसरे शिखर सम्मेलन जो 2010 में हुआ नेताओं ने सभी क्षेत्रों में विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय बाजारों की संस्थाओं और तंत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उनकी प्रतिबद्धता के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय नियमों में सुधार करने के लिए भी यह रेखांकित किया ताकि अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाले संस्थानों साथ मिलकर काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विनियामक प्रणाली को सुधारों को आगे बढ़ाया जाए।

वित्तीय क्षेत्र की शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रिक्स नेताओं द्वारा बनाई गयी व्यापक रूपरेख पर्याप्त लग रही है। तथापि पिछले शिखर सम्मेलन के बाद की घटनाएं दर्शाती हैं कि ब्रिक्स को और गहन दृष्टि केन्द्रित करने की जरूरत है।

हमारा अध्ययन इस तरह की दो घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन पर ब्रिक्स का ध्यान अपेक्षित है जो इन देशों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। पहला है बैंकिंग क्षेत्र के नियमों को मजबूत बनाना जिसकी रूपरेखा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बेसल समिति ने 2010 में अंगीकार की

थी। दूसरा मात्रात्मक सरलता के प्रभाव से संबंधित अमेरिकी प्रशासन का प्रयास है। इस कार्रवाई से उपजे पूंजी प्रवाह से परोक्ष रूप से मुद्रा युद्ध का अंदेशा बढ़ गया। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाऐं अपनी मुद्राओं को प्रतियोगी बनाए रखने के लिए पूंजी नियंत्रण का सहारा ले रही हैं।

## ग.3. आरईडब्लयूएआरडीः प्रदर्शन के आधार पर नवपर्वतन पुरस्कार

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉ के रवि श्रीनिवास**

आरईडब्लयूएआरडी, ईयूएफपी–7 द्वारा 2014–2019 के लिए प्रायोजित परियोजना है। सेन्ट्रल लंकाशायर विश्वविद्यालय (यूसीएलएएन), यूके और आरआईएस इस परियोजना में भागीदार हैं। यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रणाली में नए क्षितिज खोलेगी। परियोजना की महत्वाकांक्षा है नैतिक और कानूनी तौर पर औषधीय नवपर्वतन के लिए प्रदर्शन आधारित फरस्कार तंत्रव्यवस्था, जो मौजूदा पेटेंट व्यवस्था की पूरक है, वैश्विक गरीब के अहित को काफी हद तक कम करने की कोशिश करती है। वर्तमान आईपीआर प्रणाली गरीबों तक प्राणरक्षक दवाईयों पहुंचनें में दो मायनों में बाधा उत्पन्न करती है। पहला है दवा नवपर्वतनों की ऊंची कीमतें जो अनुसंधान और विकास लागत के रूप में भरपाई समयबद्ध पेटेंट संरक्षण के कारण होती हैं। जबकि उच्च मूल्य स्तर औषधि नवाचार के प्रोत्साहन को बनाए रखता है और नई दवाओं के मूल्य गरीब की पहुंच के बाहर होते हैं। साथ ही गरीबों में होने वाले रोग अक्सर औषधि नवपर्वतन आविष्कारों के लिए निवेश योग्य नहीं होते हैं जिसकी वजह से दवाईयों की अनुपलब्धता रहती है (उपेक्षितरोग)। कई अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान समूह आईपीआर सुधार की योजना पर काम कर रहे हैं जो दवा नवपर्वतन के लिए प्रदर्शन आधारित फरस्कार देंगे। तथापि उनके प्रयास निराशाजनक और मार्गदर्शक विहीन हैं, कौन सा प्रदषण आधारित तंत्र दवा नवपर्वतन के लिए उदीयमान रहेगा यह जानने के लिए आरईडब्लयूएआरडी विश्वस्तरीय नैतिकता अनुसंधान को परिचालक शक्ति के रूप में प्रयोग करेगा। अंतः विषय सहयोग में नीतिविद, वकीलों, अर्थशास्त्रियों, और सांख्यिकीविदा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ और विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति और लिंग आधारित अध्ययन का चयनित तंत्र का परीक्षण विकसित और विकासशील देशों में होगा ।

## ग.4. आसियान–भारत समुद्री परिवहन सहयोग

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर प्रबीर डे और श्री सुनंदो बसु**

आरआईएस आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी) को विदेश मंत्रालय द्वारा आदेशित किया गया है कि वह आसियान–भारत समुद्री परिवहन सहयोग पर अध्ययन करे। मसौदा रिपोर्ट आरआईएस द्वारा 31 जनवरी 2014 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत की गयी और उस पर चर्चा हुई। रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होगी। एआईसी इस विषय पर बाद में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है।

## ग.5. आसियान–भारत एयर ट्रांसपोर्ट सहयोग

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर प्रबीर डे और श्री सुनंदो बसु**

आरआईएसए–एआईसी विदेश मंत्रालय के लिए आसियान–भारत एयर ट्रांसपोर्ट सहयोग पर अध्ययन करेगा। आसियान और भारत एयर कारगो के लिए खुली आकाश नीति को लागू करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही भारत के व्यापार (विशेष रूप से सेवाओं में व्यापार), को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और आसियान के बीच मजबूत हवाई संपर्क महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है भारत के विमान वाहक की उपस्थिति विशेष रूप से एयर इंडिया को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनान सामान्यता आसियान देशों में और विशेष रूप से सीएलएमवी में। अध्ययन किया जा रहा है और इसका प्रारूप 2015

के शुरू में तैयार हो जाएगा। एआईसी बहुत जल्द ही इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन करेगा।

## ग.6. आसियान भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट

**परियोजना प्रमुख प्रोफेसर प्रबीर डे**

आसियान भारत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिया पर 2012 स्मृति शिखर सम्मेलन में आसियान के सभी नेताओं ने भाग लिया जिसमें सामरिक आसियान भारत वार्ता के स्तर को ऊपर लाने पर जोर दिया गया। इसके बाद आरआईएस एआईसी की स्थापना हुई। एआईसी भारत सरकार को भारत की आसियान सहयोग प्रक्रिया मजबूत करने में सहयोग करेगा, विशेषकर 2015 तक आसियान समुदाय के यर्थात रूप ग्रहण करने में, जिसके तीन मुख्य संतब आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय तथा आसियान समाजिक–सांस्कृतिक समुदाय। वार्षिक आसियान–भारत तथा विकास सहयोग रिपोर्ट सामरिक भागीदारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अनुसंधान को सहयोग प्रदान करेगी। रिपोर्ट आसियान–भारत भविष्य स्मृति शिखर सम्मेलन के 'लक्ष्य वक्तव्य' से जुड़े अनेक आर्थिक विषयों पर ध्यान केद्रिंत करेगी जिनका आसियान–भारत संबंधों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। विख्यात अनुसंधान विद्वानों और विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के अध्याय लिखे हैं। इस रिपोर्ट पर एआईसी एक संगोष्ठी आयोजित करेगा। नबम्बर 2014 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी।

## ग.7. बीसीआईएमएसी – आर्थिक समुदाय संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर प्रबीर डे और सुश्री श्रेया पान**

आरआईएस बंगलादेश, चीन और म्यान्मार में आर्थिक कॉरिडोर परियोजना में विदेश मंत्रालय के पूर्व एशिया डिवीजन की सहायता करता है। आरआईएस भी बीसीआईएम संयुक्त अध्ययन समूह (जेसीएस) का सदस्य है। इसके अलावा आरआईएस तीन प्रमुख अध्याय (व्यापार, निवेश और सम्पर्क) लिख रहा है। अध्यायों का पहला मसौदा विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

## ग.8. म्यांमार अनुसंधान और क्षमता निर्माण परियोजना

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर प्रबीर डे**

म्यान्मार की समृधि, स्तत विकास तथा विशेषकर भारत के साथ आर्थिक रूप से जुड़ने के लिये मानव संसाधन सुधार अति आवश्यक है। आरआईएस ने भारत और म्यान्मार के कई संगठनों जैसे ससेक्स विश्वविद्यालय, आदि के साथ मिलकर इस परियोजना पर काम शुरू किया है। इसका उद्देश्य म्यांमार के अधिकारियों और शोधकर्ताओं को समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों और विल्श्रेषमात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देना है। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्दी ही आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम का पहला चरण मार्च 2015 तक जारी रहेगा।

## ग.9. आर्थिक गलियारों पर प्रभाव का मूल्यांकन

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर प्रबीर डे और श्री मनमीत अजमानी**

यह अध्ययन भूगोलिक प्रतिमान का विकास करेगा जिसका विषलेशण आंकड़ों के आधार पर किया जा सके तथा जिसके साथ भारत आर्थिक (परिवहन) गलियारों के विकास के क्षेत्र में भारतीय राज्यों पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। भारत को उसके पूर्व के पड़ौसीयों से जोड़ने के लिए चार महत्वपूर्ण गलियारे हैंः (1) बीसीआईएम आर्थिक गलियारा, (2) पूर्व पश्चिम गलियारा (जो कि गोल्डन क्वॉडिलेटरल परियोजना का भाग है), (3) त्रिपक्षीय हाई वे (राजमार्ग) एवं (4) कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना, जिन्हे इस अध्ययन के लिये चुना गया है। अध्ययन जारी है और यह 2015 तक पूरा हो जायेगा।

## घ. नई प्रौद्योगिकियाँ और विकास से संबंधित मुद्दे

### घ.1. जैव प्रौघोगिकी और विकास

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ. के. रवि श्री निवास और श्री अमित कुमार**

आरआईएस के 1990 के प्रारम्भ से ही एशियन जैव प्रोद्योगिकी और विकास की समीक्षा का प्रकाशन अपने जैव प्रोद्योगिकी और विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में करता आ रहा है। इस वर्ष में इसके तीन अंक, सूक्ष्म जैव प्रोद्योगिकी पर एक विशेषांक सहित, प्रकाशित किये गए। आरआईएस जैव विविधता कन्वेंशन के सचिवालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यूनेस्कों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ इस काग्रक्रम पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आरआईएस शिक्षाविद्ध, नीति निर्माताओं, विभिन्न देशों के निति विचारकों से इस कार्यक्रम के संबंधित मुद्दों पर आदान–प्रदान करता आ रहा है।

आरआईएस जीवित संवर्धित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आंकलन पर दो वर्ष के अनुसंधान के कार्य को पर्यावरण तथा वन मंत्राालय की यूएनईपी–जीईएफ के क्षमता निर्माण कार्यक्रम की मदद से कर रहा है। इस परियोजना को पांच संस्थानों के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के नियमन तथा उससे संबंधित निर्णय लेने में यह अध्ययन मदद करेगा।

यूनेस्को जकार्ता द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजना के अन्तर्गत जो रिपोर्ट 2010 में 'एशिया प्राशान्त में जैब प्रोद्योगिकी क्षमता' नाम से प्राकशित हुई थी को संशोधित व अद्यतन किया गया है। यह नया संस्करण प्रोफेसर के विजय राघवन, सचिव, जैव प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा मार्च 2014 में जारी किया गया। इस रिपोर्ट में एशिया और प्रशान्त के 18 देशों पर अध्याय हैं वैश्विक संदर्भ में क्षमता निर्माण एवं विकास के लिये उठाये जाने वाले उपायों की सिफारिश की गई है। क्षेत्र में जैव प्रोद्योगिकी की आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम में गतिविधियां और प्रकाशनों का विस्तार किया जायेगा।

### घ.2. इनोवा पी 2

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉ के रवि श्रीनिवास**

समानता और औषधियों तक पहुच पर एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ यह परियोजना पूरी हो गई है। परियोजना के लिये किये गये शोध के आधार पर 'लिविंग ट्री : भारत और चीन में परंपरागत औषधि व सर्वाजनिक स्वास्थ' नामक शीर्षक से एक संपादित खंड को एकेडमिक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया। सचिन चतुर्वेदी, मिलटोस लडिकास, गुओ लिफेंग और कृष्णा रवि श्रीनिवास ने इसे समपादित किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है।

पुस्तक में भारत और चीन में जन स्वास्थ्य में सुधार के लिये परंपरागत दवा और चिकित्सा के उपयोग को बढ़ाने के लिये घनिष्ठ सहायोग की जरूरत पर जोर दिया गया है। दोनों परम्परागत चिकित्सा के अपनाने से जनता में अधिक सहयोग भूमिका निभा सकते हैं। परम्परागत दवाओं के प्रयोग करके नई औषधियों का विकास करने को अनुसुधान को प्रोत्साहित करने के लिये स्वास्थ्य इम्पैक्ट फण्ड प्रयोग करने के प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। यह पुस्तक भारत और चीन में पारंपरिक दवा को विनियमित करने में सामने आ रहे मुद्दो और चुनौतियों का वर्णन करती है। यह उधोग द्वारा समाना किये जा रहे मुद्दो व दोनो देशों में पारंपरिक चिकित्सा के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उपयोग का भी वर्णन करती है।

आरआईएस यूनिर्वस्टी ऑफ लंकाशायर तथा अन्य शोध संस्थानों के साथ मिलकर अन्य परियोजना 'आरईडब्लयूएआरडी' पर भी कार्य कर रहा है। स्वास्थय तथा औषधियों की उपलब्धता के क्षेत्र में यह परियोजना तथ्यों पर आधारित मानदंडो का अध्ययन करेगी। यूरोपियन रिसर्च काउंसिल ने पांच वर्षों (2014 से 2019) के लिए इस परियोजना के लिए धन उपलब्ध किया है। इस परियोजना पर 2014 के उत्तरार्ध में कार्य प्रारंभ होगा।

## घ.3. एलएमओ के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का आकलन

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ के रवि श्रीनिवास और श्री अमित कुमार**

पिछले कई वर्षों से आरआईएस जीवित संवर्धित जीवों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव के आकलन से संबंध्ति वैश्विक परिचर्चा का एक भाग रहा है। जैव सुरक्षा पर यूएनईपी–जीईएफ की क्षमता निर्माण परियोजना के चरण–2 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका समन्वय आरआईएस द्वारा किया जाएगा। इस प्रस्तावित परियोजना की अवधि दो वर्ष होगी और आरआईएस आईएआरई, जीआईडीआर, आईएसईसी यूएएस राईचूर, एनएएआरएम, एवं टीएनएयू जैसे भागीदार संस्थानों के साथ कार्य करेगा। इस परियोजना में कृषि में एलएमओ के लागत लाभ विश्लेषण के लिए मार्ग निर्देशों एवं पद्धतियाँ तैयार करने पर तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एलएमओ के सामाजिक आर्थिक पहलू को शामिल करने के लिए ढांचे का विकास करने और सीपीबी के अनुच्छेद 26 तथा विभिन्न संधियों की लागतों एवं लाभों का निर्धरण करने में विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि में एलएमओ के जोखिम–लाभ विश्लेषण करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने पर विचार किया जाएगा। यह परियोजना आरआईएस द्वारा ट्रांसजैनिक फसलों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव तथा जैव प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी प्रभावों पर किए गए अध्ययन पर तैयार की गई थी। यह परियोजना स्वयं में एक अनूठी परियोजना होगी क्योंकि इस प्रकार का अध्ययन भारत में पहली बार सुव्यवस्थित एवं व्यापक आधार पर किया जा रहा है। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम कृषि क्षेत्र में जीएमओ पर विकास एवं अनुसंधान करने वाले नीति निर्माताओं, नियामकों एवं संस्थानों के लिए प्रासंगिक होंगे। इस अंतर्विषयक परियोजना को आरआईएस द्वारा एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। यह परियोजना 2014 के उत्तरार्ध में प्रारंभ होगी।

## घ.4.वैश्विक उत्तरदायी अनुसंधन का संवर्धन

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ के रवि श्रीनिवास और श्री अमित कुमार**

उत्तरदायी नवप्रवर्तन का विचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा मेंशीघ्रता से ध्यानाकर्षित करता है। इस संदर्भ में आरआईएस ने वैश्विक रूप से उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन (आरआरआई) के लिए नियंत्रण ढांचे के संवर्धन के लिए यूरोपीय संघ के ढांचे–7 के अंतर्गत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भागीदारी की है। इस परियोजना का शीर्षक वैश्विक उत्तरदायी अनुसंधान तथा सामाजिक एवं वैज्ञानिक नवप्रवर्तन का संवर्धन (पीआरओजीआरईएसएस) है। इसको फरवरी, 2013 में प्रारंभ किया गया था। यह यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, आस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अप्रफीका में विज्ञान वित्त पोषण कूटनीतियों तथा नवप्रवर्तन नीतियों की तुलना करेगा। पूरे विश्व के मौजूदा आरआरआई नेटवर्कों को जोड़ते हुए यह वैश्विक स्तर पर नवप्रवर्तन प्रणालियों के अभिसरण को प्रेरित करने के लिए आरआरआई के लिए एक नियामक मॉडल के आसपास सहयोग एवं गति तैयार करने का प्रयास करेगा। आरआईएस भारतीय मामले के अध्ययन के लिए 'समाज के लिए नवप्रवर्तन' विषय में शामिल होगा। इस परियोजना के तहत आरआईएस ने विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी एवं भारत में नवपर्वतन तथा उतरदायी अनुसंधान के लिए धन प्रबंधन पर विषय सामग्री उपलब्ध कराई आरआईएस ने इस परियोजना के तहत बेजिंग में हुई बैठकों में भाग लिया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जर्नल ऑफ रिसपॉसिबल रिसर्च एण्ड इनोवेशन के सम्पादकीय मण्डल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। यह जर्नल टेलर एण्ड फ्रैन्सिस द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं। आरआरआई के यूरोप व अन्य देशों में बढ़ते महत्व को देखते हुए यह संभावित हैं कि आरआरआई इस तरह की अन्य परियोजना में भी शामिल हो।

## घ.5. प्रौद्योगिकी, वैश्विक फर्में एवं रोजगार

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**

वैश्विकरण की विवक्षाओं से प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तनों के महत्व पर

अधिक बल दिया गया है। वैश्विक फर्मों का अपने वैश्विक प्रचालन कार्यों के साथ उभरना एवं वैश्विक मानदंडों की श्रृंखला में उनकी प्रतिभागिता एक ऐसा विषय है जिसका विविधतापूर्ण विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में परस्पर विरोधी विवक्षाएँ विश्वसनीय प्रतीत होती हैं। सकारात्मक दृष्टि से, उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन से कई नए उत्पादों की उत्पत्ति संभव हुई है। इसके फलस्वरूप, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागत में अत्यधिक कमी एवं संवर्धित प्रगति संभव हुई है। इसके विपरीत, इसके प्रतिकूल प्रभावों में विभिन्न विवक्षित श्रम बाजार संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं जोकि विकास की वास्तविक प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। इस अनुसंधान दस्तावेज में कुछ उपयोगी नीतिगत विवक्षाओं के लिए इस प्रकार के तथा अन्य संबद्ध मामलों का सैद्धातिक रूप से तथा अनुभवजन्य दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के कुछ प्राथमिक निष्कर्षों को ब्रिटेन के स्कूल ऑफ बिज़नेस एंड इकनॉमिक्स, लोघबोरोह यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'वैश्विक फर्में, वैश्विक वित्त एवं वैश्विक असमानताएँ' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था तथा अप्रैल, 2012 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अनुसंधान छात्रों की परिचर्चा बैठक में इसकी औपचारिक जानकारी दी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इस पर कार्य चल रहा है।

## घ.6. स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अंतरणः एक बहुराष्ट्रीय विश्लेषण

**परियोजना प्रमुखः प्रोफेसर विश्वजीत धर**

विकसित देशों मे प्रौद्योगिकी का प्रमुख भाग उदगम होता है और पर्याप्त स्तर एवं वहनीय मूल्यों पर प्रौद्योगिकी अंतरण (टीटी) विकसित देशों से विकासशील देशों को होता है जोकि सामान्यतः विकासशील देशों के आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल परिवर्तन के संदर्भ में भी समान स्थिति है कि समुचित एवं प्रभावशाली अनुकूलन कार्रवाई के लिए निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत रेंज का विकास एवं कार्यान्वयन ग्रीन हाऊस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती करता है। एक स्वच्छ विकास प्रक्षेप–पथ के लिए विकासशील देशों द्वारा किए गए प्रयासों के एक भाग के रूप में किए गए उपाय वहनीय मूल्यों पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभिगम तक अनुषंगिक ही होते है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रफेमवर्क कन्वेनशन (यूएनएफसीसीसी) ने विकासशील देशों के समक्ष आने वाली इन बाधाओं को इनके प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 4.5) के अनुरूप मान लिया है और इन वर्षों के दौरान उनको कार्यान्वित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, भले ही वह अधिक सफल नहीं हुए हैं। जहाँ एक ओर इन मामलों के निपटान की दिशा में यूएनएफसीसीसी द्वारा प्रयास किए जा रहे है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) की संभावना एक माध्यम के रूप में उभरी है।

इस पृष्ठभूमि में, आरआईएस द्वारा एक अध्ययन प्रारंभ किया गया जिसका आशय सीडीएम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अंतरण को नियंत्रित करने वाले प्रयासों की जानकारी एकत्र करना था। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रथम 1000 सीडीएम परियोजनाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीडीएम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अंतरण पर बहुदेशीय अनुभूति मूलक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। यह अध्ययन उन आंकड़ों पर आधारित होगा जिनको यूएनएफसीसीसी की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के साथ–साथ उन परियोजनाओं के परियोजना डिजाइन दस्तावेज (पीडीडी) के साथ–साथ विचाराधीन समस्त परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जा रहा है। गहन अनुसंधान एवं अनुभूति मूलक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर इस अध्ययन में विस्थापन मार्ग के माध्यम से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी अंतरण की विवरणिका एवं चुनौतियों का उल्लेख किया गया है और इस संबंध में उपयुक्त नीतिगत संस्तुतियों का वर्णन किया गया है। इस परियोजना के अतंर्गत एक वार्ता दस्तावेज जल्द जारी करेगा।

## घ.7. निर्धनता एवं निवेश : आर्थिक विकास के माध्यम

**अनुसंधान दलः प्रोफेसर विश्वजीत धर एवं श्री सयन सामंत**

प्रगति से निर्धनता में कमी आती है। इसलिए अधिकांशतः निर्धनता कम करने की जिन नीतियों का अनुपालन किया जाता है वे मूलतः विकास से पूर्व की होती है। हालांकि, विकास के निर्धनता को कम करने वाले प्रभावों से संबंधित साहित्य बड़ी मात्रा मे उपलब्ध है परन्तु निर्धनता को कम करने वाले विकास को बढ़ाने वाले प्रभावों की संवीक्षा नहीं की गई है। नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए विकास एवं निर्धनता के बीच के द्विदिशात्मक संबंधें को बेहतर ढंग से अवश्य समझा जाना चाहिए। एक सीमा तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि निर्धनता में कमी करने से आर्थिक क्रियाकलाप उच्चतर हो जाते हैं और धनी देशों को यह समझाया जा सकता है कि निर्धनता कम करने के लिए अभिलक्षित अनुदान आबंटन की मात्रा लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से न केवल अनुदान प्राप्त करने वाले देश अपितु दाता देश के लिए लाभदायक होती है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि विकास से पूर्व की समस्त दीर्घकालीन नीतियाँ निर्धनों के लिए होती हैं तथापि यह जांच करनी भी महत्वपूर्ण है कि क्या निर्धनों के लिए बनाई गई नीतियाँ कभी विकास से पूर्व की नीतियों में भी परिवर्तित होती हैं। कोई भी विशिष्ट देश उन अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यमों को जानता है जिनके माध्यम से निर्धनता विकास को प्रभावित करती है। उन अनैतिक चक्रों की मौजूदगी का निर्धरण तथा उनको नैतिक चक्रों में उपयुक्त रूप से परिवर्तित करने की संभावनाओं को खोजना काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है और उच्च आर्थिक कार्य निष्पादन उपयुक्त नीतिगत व्यतिकरण के सैट के माध्यम से प्रत्येक को फनः आश्वस्त करता है।

प्रयोजन मानवीय एवं भौतिक पूंजी में निवेश के साध्नों के माध्यम से आय पर निर्धनता के प्रभाव को समझना है। हम यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि निर्धनता में कमी करने से देश को अध्कि आय अर्जन करने में सहायता मिलेगी। निर्धनता में कमी करने से भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार की पूंजी में उच्चतर निवेश होगा। इसके अतिरिक्त, हम यह भी आशा करते हैं कि मानवीय पूंजी के संचय की दर और उसके फलस्वरूप विकासशील देशों में स्वदेशी क्षमता की उत्पत्ति भौतिक पूंजी में निवेश की दर की अपेक्षा निर्धनता में कमी के साथ तीव्र होगी। इसके अतिरिक्त, यदि मौजूदा ऋण बाजार संचालन के साथ निर्धनता मानवीय पूंजी संचयन तथा भौतिक पूंजी में निवेश के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है तो हमें इस प्रकार की नीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है जोकि न केवल बाजार आय का फनः वितरण करे अपितु स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की भी अपेक्षा करे। इसके अतिरिक्त, निर्धनता पर आय के प्रभाव पर अपने निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए हम निर्धनता को कम करने के लिए आबंटित अनुदान की प्रभाविकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यह न केवल अनुदान प्राप्त करने वाले देश के लिए अपितु दाता देश के लिए लाभदायक होती है।

## घ.8. विज़न 2050 : भारत एक विकसित देश के रूप में अपने गणतंत्र की शताब्दी किस आधार पर मनाएगा?

**अनुसंधन प्रमुख : डॉ. रामगोपाल अग्रवाल**

भारत का विकास पिछले साठ वर्षों के दौरान मिश्रित रहा है और अभी हाल ही का उच्च विकास प्रक्षेप पथ मौजूदा प्रतिमान में संकटाध्ीन है। भारत को अपने उच्च विकास प्रक्षेप पथ को बनाए रखने के लिए तथा वर्ष 2050 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए संबद्ध नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। एक बेहतर भारत का निर्माण संभव है बशर्ते कि हम वाशिंगटन से प्रेरित नव उदारतावाद का अप्रचलित सिद्धांत छोड़ दें और संवहनीय समृद्धि हासिल करने के लिए नया प्रतिमान स्थापित करें। इसमें नए प्रतिमान में सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान एक प्रमुख भूमिका निभाएगा तथा इस प्रकार से सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरदायी होगा। सरकार

को एक 'समस्या' के रूप में नहीं देखा जाएगा अपितु विकास के लिए एक 'समाधान' के मुख्य भाग के रूप में देखा जाएगा। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के ढांचे के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र एक बड़ा भागीदार होगा। यह नया प्रतिमान वर्ष 1950–80 के समाजवादी युग के साथ–साथ वर्ष 1980 के नव उदारतावाद के युग से भिन्न होगा और जर्मनी तथा उत्तरी यूरोप के देशों द्वारा अपनाई गई प्रणालियों के अनुरूप मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। विश्व में सर्वोत्तम व्यवस्थाओं से सीखते हुए भारत अपनी स्वयं की परंपराओं से संबद्ध अपने स्वयं के विकास प्रतिमान की रचना करेगा। इस नए प्रतिमान के साथ भारत वर्ष 2010–2050 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की 7 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम होगा और एक विकसित देश के रूप में अपने गणतंत्र की शताब्दी मनाएगा। अध्ययन पूरा हो चुका है जिसके आधार पर पुस्तक प्रकाशित होगी।

## घ.9. अभिगम तथा लाभ सहभाजन (ए बी एस) का क्रियान्वयन

**परियोजना प्रमुखः श्री टी सी जेम्स**

डयूश एवं जेसेलसफ्टफर इंटरनेशनल जुसमेनरबिट (जीआईजैड) के लिये जैवविविधता अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अभिगम तथा लाभ सहभाजन पर राष्ट्रीय अध्ययन किया गया। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में 30–31 जनवरी 2014 को नगोया नवाचार के क्रियान्वयन के लिये व्यवहारिक मार्गों का अनुसरण वार्ता में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नीति सार भी प्रकाशित किया जाएगा।

जैवविविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन में रह गई कमियों को पूरा करने की एक समीक्षा यूएनडीपी के लिये की गई थी। इस कानून को क्रियान्वयन करने के लिये प्रभावी संस्थागत मजबूती के लिय एक मार्ग मानचित्र तैयार किया गया है जिसे टिप्पणियों सहित यूएनडीपी को सौंप दिया गया है।

# II

# नीतिगत परामर्शी सेवा

## विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

- ❖ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग को अंतर सरकारी समिति के बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक विश्व बौद्धिक संपदा का ज्ञान और परंपरागत विश्वास डब्ल्यूआईपीओ के पच्चीसवें सत्र के लिए विषय सामग्री प्रदान की गई।
- ❖ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग को अंतर सरकारी समिति के बौद्धिक संपदा और आनुवंशिक संसाधन, पारंपरिक विश्व बौद्धिक संपदा का ज्ञान और लोकगीत संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के पच्चीसवें सत्र के लिए जानकारी प्रदान की गई।

## अभिगम तथा लाभ सहभाजन

- ❖ पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए भारत सरकार द्वारा।
- ❖ अभिगम तथा लाभ सहभाजन के क्रियान्वयन पर अध्ययन किया गया।
- ❖ अभिगम तथा लाभ सहभाजन पर नागोया प्रोटोकॉल पर ओपन एंडेड तदर्थ अंतरसरकारी समिति की तीसरी बैठक के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विषय सामग्री प्रदान की।
- ❖ अभिगम तथा लाभ सहभाजन पर दिशा निर्देशों के अपनाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विषय सामग्री प्रदान की। .

## सार्क

- ❖ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 'सार्क क्षेत्र में व्यापार वृद्धि' के सार्क विकास कोश की प्रासंगिकता पर एक दस्तावेज तैयार किया गया।

## ट्रांस–पेसिफिक पार्टनरशिप

- ❖ '21वीं सदी आरटीए के युग में क्या भारत को ट्रांस प्रशांत भागीदारी समझौते में शामिल होना चाहिए।' पर एक दस्तावेज वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए तैयार किया गया।

## भारत–कनाडा आर्थिक सहयोग

- ❖ आरआईएस की रिपोर्ट भारत–कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, कृषि, आव्रजन, नवप्रवर्तन, उत्पादन, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय निवेश क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नीति अनुसंधान सामग्री प्रदान करती है।

## चीन में भारत का निर्यात

❖ वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14 के लिए 'चीन को भारत की निर्यात संभावनाओं पर एक टिप्पणी तैयार की गई।

## उत्पत्ति के नियम

❖ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय. भारत सरकार के उत्पत्ति के नियम पर विशेषज्ञ दल के लिए एफटीए और सीईसीए/सीईपीए के अंतर्गत 'भारत के उत्पत्ति नियम' पर एक रिपोर्ट तैयार की।

## क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला

❖ भारत और सीएलएमवी क्षेत्र के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रंखला की संभावनाओं पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार. को विषय सामग्री प्रदान की गई।.

## बौद्धिक संपदा अधिकार

❖ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक संपदा प्रबंध के लिए योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में जानकारी प्रदान कराई गई।

❖ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के परामर्श के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार पर राष्ट्रीय संस्थान/अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र एवं एमएचआरडी–आईपीआर पर अध्ययनपीठों की स्थापना और उनकी सुदृढता के लिए जानकारी प्रदान की गई .

❖ इग्नू की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति. पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में जानकारी प्रदान की गई।

# III

# नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

## दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर दक्षिणी प्रदाताओं का सम्मेलनः मुद्दे और उभरती चुनौतियाँ

आरआईएस संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (युएनडीसा) एवं भारत के विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से 15–16 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में दक्षिण–दक्षिण सहयोग में मुद्दे एवं उभरती चुनौतियों पर दक्षिणी प्रदाताओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल, श्री वू होंगबो ने प्रारंभिक शुरूआत की। श्री रंजन मथाई, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया. डॉ विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस

आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी दिनांक 15-16 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग में मुद्दे एवं उभरती चुनौतियों पर दक्षिणी प्रदाताओं के एक सम्मेलन' को संबोधित करते हुए। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर, ऑफिस ऑफ दि ईसीओएसओसी सपोर्ट एंड कोऑडिनेशन, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकनामिक एंड सोशल अफेयर्स के निदेशक श्री नवीद हनीफ, यूनाइटिड नेशनस् के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, श्री हांगबू, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश सचिव श्री रंजन मथाई एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (एमईआर डिवीजन) श्री दिनेश भाटिया।

ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री दिनेश भाटिया, संयुक्तसचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने ध न्यवाद ज्ञापन दिया। दक्षिण–दक्षिण सहयोगः तर्क, अवधारणाएं और आकृति, सबूत के आधार पर विश्लेषण और एसएससी विकास भागीदारी कार्यक्रम का मूल्यांकन, संस्थागत क्षेत्रीय, बहुपक्षीयः एसएससी के लिए संस्थागत ढांचा, दक्षिण दक्षिण सहयोग और पोस्ट–बुसान प्रक्रिया, और आगे का रास्ता जैसे विषय सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल थे।

प्रथम कार्यकारी सत्र, दक्षिण–दक्षिण आकृति सहयोगः तर्क, अवधारणाएं विषय पर था। इस सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जनरल श्री वू होंगबो ने की। साक्ष्य आधारित विश्लेषण एवं एसएससी पर आधारित दूसरे सत्र की अध्यक्षता राजदूत मोहम्मद अमीन अबुल एल दहाब, अफ्रीका के साथ तकनीकी सहयोग के लिए मिश्र फंड ने की। श्री पी एस राघवन, विशेष सचिव, विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विकास भागीदारी कार्यक्रम के मूल्यांकन विषय पर आधारित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की।

सम्मेलन का दूसरा दिन महत्वपूर्ण संदेशों के साथ शुरू हुआ। एसएससी पर संस्थागत ढांचा : क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियां विषय पर आधारित चौथे सत्र पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के सहयोग एवं समर्थन कार्यालय के निदेशक, श्री नवेद हनीफ ने की दक्षिण–दक्षिण सहयोग और बुसान के बाद की प्रक्रिया विषय पर आधारित पाँचवें सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ सचिन चतुर्वेदी ने की।

समापन सत्र में सम्मेलन के मुख्य संदेशों एवं आगे बढ़ने के रास्ते पर विचार किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसबी) के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने की। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के सहयोग एवं समर्थन कार्यलय के निदेशक श्री नवेद हनीफ नें टिप्पणियाँ प्रस्तुत की। श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समापन भाषण दिया गया। डॉ विश्वजीत धर, आरआईएस के महानिदेशक द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

सम्मेलन की प्रमुख संस्तुतियों में साक्ष्य के मुल्यांकन के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण को मजबूत बनाने, एसएससी कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मजबूत करने, चिंताओं और हितों के आपसी मुद्दों को हल करने के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय समर्थन और बुसान प्रक्रिया के बाद क्रमवार जवाबी काम के लिए तैयार रहने और अन्य वैश्विक प्रक्रियाओं पर विचार जैसे विषय शामिल थे जिनकी विस्तृत रिपोर्ट आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोगः प्रवृत्तियां, चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आरआईएस द्वारा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोगः प्रवृत्तियां चुनौतियां और संभावनाएं नामक विषय पर आरआईएस द्वारा 2–3 मई 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल सचिवालय और लोक कूटनीति प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। श्री सलमान खुर्शीद, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया और डॉ साइरस रूस्तमजी, निदेशक, आर्थिक मामलों प्रभाग, राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन ने विशेष भाषण दिया। डॉ विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने उदघाटन सत्र को संबोधित किया।

दक्षिण एशियाई आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने विषय पर प्रथमसत्र प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) के अध्यक्ष, नई दिल्ली ने की श्री टी. खान, प्रमाण अधिकारियों के नियंत्रक संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और उपाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ने व्यापार और परिवहन सहयोग वृद्धि पर आधारित दूसरे

2 मई, 2013 को नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में क्षेत्रिय व्यापार और आर्थिक सहयोग: प्रवृत्तियां, चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री, भारत सरकार मुख्य संबोधन प्रस्तुत करते हुए।

सत्र की अध्यक्षता की। तीसरा सत्र ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और पब्लिक प्राइवेट साझेदारीमें सहयोग के सुदृढ़ीकरण पर था जिस की अध्यक्षता प्रोफेसर महेंद्र पी लामाए प्रोफेसर, सेंटर फॉर दक्षिण, मध्य, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशांत अध्ययन केंद्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने की। डॉ जैदी सत्तार, अध्यक्ष, नीति अनुसंधान संस्थान (पंचायती राज), ढाका ने क्षेत्रीय आपूर्ति श्रंखला निर्माण विषय पर आधारित चौथे सत्र की अध्यक्षता की।

दूसरा दिन पांचवें सत्र, क्षेत्रीय निवेश प्रवाह सुविधा और सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर शुरू हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉ विश्वजीत धर, आरआईएस के महानिदेशक ने की। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर छटे सत्र को प्रोफेसर अजिताव रायचोधुरी, उच्च अध्ययन केंद्र, अर्थशास्त्र विभाग, जादवफर विश्वविद्यालय, कोलकाता की अध्यक्षता में किया गया। सातवे सत्र ने बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में दक्षिण एशिया विषय पर एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा गहन चर्चा की गई। इस सत्र को डॉ राजीव कुमार सीनियर फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया था।

श्रीमती रिवा गांगुली दास, संयुक्त सचिव (पीडी), सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकारए नई दिल्ली ने समापन भाषण दिया और डॉ मोहम्मद रज़्ज़ाक राष्ट्रमंडल सचिवालय, और डॉ प्रबीर डे, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापित किया . सम्मेलन का विस्तृत कार्य विवरण आरआईएस वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

## आसियान–भारत के विचारकों के नेटवर्क पर दूसरी गोलमेज वार्ता

आरआईएस, आसियान सचिवालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लाओ पीडीआर के विदेश मंत्रालय के विदेश मामलों के संस्थान ने आसियान–भारत के विचारको के नेटवर्क पर दूसरी गोल मेज सभा का 10 सितम्बर 2013 को वियनटियाने में आयोजन किया।

लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री माननीय डॉ थगलोन सिसोलिथ ने प्रारंभिक संबोधन प्रस्तुत किया। भारत के विदेश मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद ने उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत किया। आसियन सचिवालय, जकार्ता के

10 सितंबर, 2013 को वियनटियाने में 'आसियान-भारत के विचारकों के नेटवर्क पर दूसरी गोलमेज वार्ता' में वक्ता।

समुदाय और कार्पोरेट मामलों के विभाग के उप महासचिव डॉ के पी मोथतान ने विशेष भाषण प्रस्तुत किया। लाओ पीडीआर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव श्री सायकने सिसोवोंग और आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में आरआईएस की रिर्पोट 'आसियन–भारत सामरिक भागीदारीः आसियन भारत के विचारकों के नेटवर्क का परिप्रेक्ष्य' को विमोचित किया गया। इस रिर्पोट में पहली गोलमेज वार्ता–2012 कि कार्यवाही प्रस्तुत की गई है।

आसियान भारत सामरिक भागीदारीः आर्थिक सहयोग पर पहला कार्यकारी सत्र आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर की अध्यक्षता में किया गया। आसियान–भारत सामरिक भागीदारी संपर्क के संबंध में अधिवेशन की अध्यक्षता 'डाटो' कुआलालाफर के सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के तुन हुसैन ओन्न अध्यक्ष 'दातो' डॉ मुतैह अलगप्पा ने की। लाओ पीडीआर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव श्री सायकने सिसोवोंग ने तीसरे सत्र की अध्यक्षता की जो आसियन–भारत सामरिक भागीदारीः सामाजिक सांस्कृतिक और विकास सहयोग पर था। आसियान–भारत सामरिक भागीदारी की नई सीमाओं पर पैनल वार्ता की अध्यक्षता आसियान–भारत प्रसिद्व व्यक्तियों के समुह के सदस्य एवं सिफाना एसोसिएट्स के डॉ सोक सिफाना ने की। आरआईएस के डॉ प्रबीर डे और लाओ पीडीआर के विदेश मंत्रालय के विदेश मामलो के संस्थान की उप महानिदेशिका श्रीमती विएंगन्जुआन खयाखामफिटडाउन ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

## आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र का उद्घाटन

2012 में नई दिल्ली के हुए स्मारक शिखर सम्मेलन कें आसियान और भारत राष्ट्रों के अध्यक्षों नें आरआईएस में आसियान भारत केन्द्र गठित करने का अधिदेश प्रदान किया। यह आरआईएस की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। भारत के विदेश मंत्री माननीय श्री सलमान खुर्षीद ने 21 जून 2013 को नई दिल्ली में आरआईएस में आसियान–भारत केन्द्र का उद्घाटन किया।

21 जून, 2013 को आरआईएस, नई दिल्ली में आसियान-भारत केन्द्र में भारत सरकार के विदेश मंत्री माननीय श्री सलमान खुर्शीद मुख्य संबोधन प्रस्तुत करते हुए। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव (पूर्व) माननीय श्री अशोक के कांथा, आरआईएस के अध्यक्ष एवं एनएसएबी के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन, भारत में वियतनाम के राजदूत तथा आसियान नई दिल्ली समिति के अध्यक्ष श्री नग्यूयेन थान्ह टान और आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर।

एच.ई. भारत वियतनाम के राजदूतों और आससियन नई दिल्ली समिति के अध्यक्ष माननीय श्री न्गुयेन थान्ह तान ने विशेष भाषण प्रस्तुत किया। आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन और आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत ध ार ने भी सभा को संबोधित किया।

## आरआईएस में आसियान भारत केन्द्र का उद्घाटन व्याख्यान

माननीय श्री के शानमुगम सिंगाफर के विदेशमंत्री ने 30 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में आसियान–भारत केन्द्र का उद्घाटन व्याख्यान प्रस्तुत किया। आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड

सिंगापुर के विदेश मंत्री महामहिम श्री के शानमुगम 30 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में आरआईएस में स्थित आसियान-भारत केन्द्र में उद्घाटन व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-बुर्नेई दारूस्सलाम के उच्चायुक्त महामहिम हाजी सिडेक बिन अली, आरआईएस के अध्यक्ष एवं एनएसएबी के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन तथा आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर।

अंकटाड, जिनेवा के डिवीजन ऑन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक कि प्रमुख प्रोफेसर पदमश्री गेल संपत दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में भारत के उपक्रम नवाचार का संवर्धन करने के संबंध में आयोजित विचारोत्तेजक सत्र को संबोधित करते हुए। इसके अतिरिक्त चित्र में आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर दिखाई दे रहे हैं।

के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। व्याख्यान के पश्चात् हुए अंतः सक्रिय अधिवेशन में बहुत अधिक संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## भारत में उपक्रम नवाचार का संवर्धन करने के संबंध में विचारोत्तेजक सत्र

आरआईएस और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीडी) द्वारा भारत के उपक्रम नवाचार का संवर्धन करने के संबंध में नई दिल्ली में 8 अक्तूबर 2013 को विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया गया। इस विचार–विर्मश वार्ता में आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर, यूएनसीटीडी, जेनेवा के प्रौद्योगिकी और संभारी तंत्र प्रभाग की प्रमुखा प्रोफेसर पद्मश्री गेलह सम्पत, योजना आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (विज्ञान और प्रोद्योगिकी) श्री बी एन सत्पथी, सीएसईआर मुख्यालस के परामर्षदाता डॉ मनीश सिंह, एवं आईएसआईडी के प्रोफेसर श्री के एस चलापति राव, आईएलएडएफएस कलसृटर्स की कार्यनीति व्यावाय पहल की प्रमुख सुश्री फनीता बंसल, आरआईएस के परामर्षदाता श्री टी सी जेम्स, आएसआईडी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ दिनेश अबरोल और आरआईएस के परामर्शदाता डॉ साब्यासाची साहा शामिल थे।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए अफ्रीका–भारत सहयोग के संबंध में सम्मेलन

आरआईएस, उर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (एनईपीडी) और मिशगन राज्य विश्वविद्यालय नें संयुक्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए अफ्रीका भारत सहयोग के संबंध में नई दिल्ली में 22 अक्तूबर 2013 को सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यूगांडा ने योजना और आर्थिक विकास वित्त मंत्रालय के माननीय श्री एस्टोन पीटरसन कजारा, बुर्किता फासो के वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार मंत्रालय के माननीय मंत्री प्रोफेसर ग्निस्सा इसा कोणति और धाना के पर्यावरण, विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार के उप मंत्री डॉ मुशबु

22 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए अफ्रिका भारत सहयोग के संबंधा में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी, डीबीटी, नई दिल्ली के सलाहकार डॉ. एस आर रॉव, आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर एवं वैज्ञानिक अनुसंधाान और नवाचार मंत्रलय, बुरकिना फासो के स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर ग्निस्सा इस्सा कोनाटे।

मुहम्मद–अल्फा ने विशेष टिप्पणियाँ प्रस्तुत किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अपर सचिव श्री रवि बंगार ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। डीबीटी नई दिल्ली के सलाहकार डॉ एस आर राव ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर, आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ सचिन चतुर्वेदी और टीईआरआई की डॉ विभा वधन ने भी उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

पहला सत्र अफ्रीका पर संस्थागत पहल पर आधारित था। इस सत्र में कृषि जैव प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण अफ्रीका पर बहुपक्षीय व द्विपक्षीय संस्थागत पहल जैसे मुद्दे शामिल थे। इस सत्र की अध्यक्षता एमएसयू के प्रोफेसर करोम मरेडिम और एबीएनई के प्रोफेसर दिरन मकिंदे ने की थी।

दूसरा सत्र कृषि जैव प्रौद्योगिकी मे सहयोग पर आधारित था। इस सत्र की अध्यक्षता केन्या के राष्ट्रीय जैव सुरक्षा प्राधिकरण के बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जेनसियो इकिंदु किनयामारियो ने की इस सत्र में नीतियों, विनियम, स्थानीय उपक्रम विकास से संबधित मुद्दो पर वार्ता हुई।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की रूपरेखाः अवसर व चुनौतियों नामक सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ सचिन चतुर्वेदी ने की। इस सत्र मे नीतिगत रूपरेखा, सांख्यिकी संग्रह और डेटा विश्लेषण, अभिगम और समावेशन में मुद्दे जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन का समागपन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ सी सी माई के साथ हुए संवादात्मक सत्र के साथ हुआ। इस सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## दोहा से बाली तक : विकास कार्यसूची में चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से तृतीय विश्व नेटवर्क एवं फोकस ओन ग्लोबल साउथ द्वारा दोहा से बाली तकः विकास कार्यसूची में चुनौतियाँ विषय पर 29 अक्तूबर 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सामाजिक विकास परिषद् (सीएसडी) के राष्ट्रपति प्रोफेसर मुचकुन्द दुबे ने की। आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष

29 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में 'दोहा से बाली तक: विकास कार्यसूची में चुनौतियाँ' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में आरआईएस के अध्यक्ष एवं एनएसएबी के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन उदघाटन संबोधन प्रस्तुत करते हुए। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं - वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव श्री राजीव खेर, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी), नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर मुचकुंद दूबे, जेएनयू की प्रोफेसर जयती घोष एवं आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर।

राजदूत श्याम सरन ने प्रारंभिक संबोधन प्रस्तुत किया। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री राजीव खेर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जंयती घोष ने सभा को संबोधित किया।

कृषि समझौते पर पहले सत्र की अध्यक्षता सीएसडी के निदेशक डॉ टी हक ने की। आरआईएस के सलाहकार राजदूत वी एस शेषाद्रि ने दूसरे सत्र की अध्यक्षता की जो व्यापार को सुगम बनाने संबंधी समझौते पर आधारित था। भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव श्री गोपाल कृष्ण पिल्लै ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। यह सत्र बाली के बाद: दोहा विकास दौर पर आधारित था। इस संगोष्ठी का विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## विकास सहयोग, व्यापार और वित्त: उभरते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य

आरआईएस – एफआईडीसी और यूरोपियन आयोग ने विकास सहयोग, व्यापार और वित्त : उभरते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य पर एक परिचर्चा 31 अक्तूबर 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की। श्री तुहिन कुमार, संयुक्त सचिव, डीपीए–II, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन अभिभाषण दिया। डा. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ फैलो, आरआईएस और श्री गुस्तावो मार्टिन पांडा, निदेशक, विकास नीति, यूरोपियन आयोग ने भी उद्घाटन सभा को संबोधित किया। डा. स्टीफन कलिंगेबिएल, जर्मन विकास संस्थान, बोन और डा. जेम्स मैकीई, यूरोपियन विकास नीति प्रबंध केन्द्र, नीदरलैंड ने रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विकास वित्त, दक्षिण–दक्षिण सहयोग और 2015 के पश्चात् के परिप्रेक्ष्य नामक सत्र की अध्यक्षता एशिया में भागीदारी अनुसंधान (पीआरआईए) के अध्यक्ष डॉ राजेश टंडन ने की। यूरोपियन आयोग के विकास निति विभाग के निदेशक श्री गुस्तावो मार्टिन प्रादा ने व्यापार और निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था का ढाचागत परिवर्तन नामक सत्र की अध्यक्षता की। विस्तृत कार्यसूची आरआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।

31 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में 'विकास सहयोग, व्यापार और वित्तः उभरते हुए शैक्षिक परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित वार्ता बैठक को संबोधित करते हुए आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 राम उपेन्द्र दास। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 सचिन चतुर्वेदी, यूरोपीय आयोग के डेवलपमेंट पालिसी के निदेशक श्री गुस्ताव मार्टिन प्रदा एवं डीपीए-2, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुमार तुहिन।

## भारत और म्यांमार के बीच संपर्क कोरिडोर से विकास कोरिडोर पर संगोष्ठी

भारत और म्यांमार के बीच संपर्क कोरिडोर से विकास कोरिडोर पर सेमिनार 28 नवम्बर 2013 को पची टो, म्यांमार में आयोजित किया गया था। मानीय श्री यू थार अये, म्यांमार के सगेंग क्षेत्र के मुख्य मंत्री; माननीय दा ली ली तेन, राष्ट्रीय आयोजना और आर्थिक विकास उप मंत्री, म्यांमार; राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और श्री गौतम मुखोपाध्याय म्यांमार में भारत के राजदूत ने उद्घाटन बैठक को संबोधित किया। सेमिनार में संपर्कता और व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना और संपर्कता कोरिडोर को आर्थिक कोरिडोर में परिवर्तित करने पर सत्र शामिल थे। माननीय श्री यू थार आये और राजदूत श्री श्याम सरन द्वारा समापन टिप्पणियां प्रस्तुत की गई जिसके साथ संगोष्ठी संपन्न हुई। आरआईएस से राजदूत डा वी.एस. शेषाद्रि, सलाहकार और श्री सायन समांता, परामर्शदाता ने भी सेमिनार में भाग लिया। विस्तृत कार्यसूची आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

28 नवंबर, 2013 को ने प्यी तॉ, म्यांमार में 'भारत और म्यांमार के बीच संपर्क कोरिडोर से विकास कोरिडोर' विषय पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन।

## विश्व व्यापार संगठन व्यापार सुविधा अनुबंधः कम विकसित (एल.डी.सी.) और विकासशील देशों के लिए अवसर व चुनौतियाँ

आरआईएस ने बंग्लादेश के विदेश व्यापार संस्थान और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ संयुक्त रूप से बाली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मौके पर 3–5

3-5 दिसंबर, 2013 को बाली में 'विश्व व्यापार संगठन व्यापार सुविधा अनुबंध: कम विकसित (एल.डी.सी.) और विकासशील देशों के लिए अवसर व चुनौतियाँ' पर आयोजित व्यापार एवं विकास संगोष्ठी में पैनल वार्ताकार।

दिसंबर 2013 को व्यापार और विकास संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय 'विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा अनुबंध : कम विकसित और विकासशील देशों के लिए अवसर व चुनौतियाँ' था। डा. मुहममद मोजिबर रहमान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ओ.ओ.), बंग्लादेश विदेश व्यापार संस्थान (बी. एफ.टी.आई.) ढाका, इस संगोष्ठी में मध्यस्थ थे। पैनल में – डा. मुस्तफा आबिद ख़ान, निदेशक, कार्यक्रम शोध और नीति समर्थन, बंग्लादेश विदेश व्यापार संस्थान (बी.एफ.टी.आई.), ढाका, श्री गुलाम हुसैन, राजस्व का राष्ट्रीय बोर्ड (एनबीआर), वित्त मंत्रालय, बंग्लादेश सरकार, ढाका; डा. निकोलस इम्बोडेन, कार्यकारी निदेशक, आई.डी.ई.ए.एस.,

12 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में 'भारत-चीन सहयोग और वैश्विक आर्थिक अभिशासन' पर आयोजित कार्यशाला में स्वागत संबोधन करते हुए आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. राम उपेन्द्र दास। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-सामाजिक विकास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर मुचकुंद दूबे एवं एकेडमी आफ वर्ल्ड वाच (एडब्लयूडब्लयू), शंघाई, चीन के उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सुन यांग।

18 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में 'भारतीय विकास सहयोग नीति : चर्चा का सार' पर आयोजित सम्मेलन में उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत करते हुए विदेश मंत्रालय की विशेष सचिव (ईआर एवं डीपीए) सुश्री सुजाता मेहता। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं–आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोआर्डीनेटर एवं यूएनडीपी, नई दिल्ली की रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री लिसे ग्रेण्डे, एफआईडीसी (जेएनयू), नई दिल्ली की अध्यक्षा प्रोफेसर अनुराधा चिनाय एवं आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी।

केन्द्र, जेनेवा; और राजदूत स्टेफिन समिट्ज' एल.डी.सी. मुद्दों पर डब्ल्यू.टी.ओ. के सहायक (फेसिंलिटेटर) डब्ल्यू.टी.ओ. में डेनमार्क के विशेष प्रतिनिधि, आरआईएस से डा. प्रबीर दे, वरिष्ठ अध्येता ने भाग लिया।

## भारत–चीन सहयोग और वैश्विक आर्थिक अभिशासन पर कार्यशाला

भारत–चीन सहयोग और वैश्विक आर्थिक अभिषासन पर आरआईएस द्वारा 12 दिसम्बर, 2013 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रोफेसर मुचकुंद दूबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद् और भारत के पूर्व विदेश सचिव ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। डा. राम उपेन्द्र दास, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस ने स्वागत संबोधन। प्रोफेसर सुन यांग, उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष, विश्व वाच अकादमी (एडब्ल्यूडब्ल्यू), शंगाई, चीन ने गुरुआती टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। डॉ. माओ जिकांग, एसोसिएट शोध अध्येता, एडब्ल्यूडब्ल्यू; डा. याओ युअनमेई; सहायक एसोसिएट शोध अध्येता, एडब्ल्यूडब्ल्यू, और डा. एस.के. मोहंती, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस ने भी सभा को संबोधित किया। डा. राम उपेन्द्र दास ने धन्यवाद भाषण प्रस्तुत किया। डा. राम उपेन्द्र दास, कार्यशाला के समन्वयक थे।

## भारतीय विकास सहयोग नीति पर सम्मेलन : चर्चा का सार

आरआईएस ने भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम के संयुक्त राष्ट्र की निवासी (एफ.आई.डी.सी.) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय विकास सहयोग नीति : चर्चा की अवस्था पर का राज्य पर 18 जनवरी 2014 को एक सम्मेलन आयोजित किया। डा. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। सुश्री सुजाता मेहता, विशेष सचिव (ईआर और डीपीए), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन अभिभाषण दिया। प्रोफेसर अनुराधा चिनोय, अध्यक्षा, एफआईडीसी (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली), सुश्री लिसे ग्रांडे, संयुक्त राष्ट्र की निवासी समन्वयक और संयुक्त राष्ट्र विकास

2 अगस्त, 2013 को अफगानिस्तान में भारत के विकास के अनुभव पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। इसके अतिरिक्त चित्र में (उनके दांए से) दिखाई दे रहे हैं - आरआईएस के महानिदेशक डॉ0 विश्वजीत धर एवं आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी।

10 सितंबर, 2013 को 'बूसान टू ग्लोबल पार्टनरशिप फार इफैक्टिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन (जीपीईडीसी) एवं मैक्सिको मिनिस्ट्रियल : इमर्जिंग पर्सपेक्टिव' पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन में संबोधित करते हुए महामहिम राजदूत जैयमे नूआलर्ट। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), लंदन के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक श्री एंथनी स्मिथ, विदेश मंत्रालय एमईआर डिवीजन के संयुक्त सचिव श्री दिनेश भाटिया एवं आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी।

5 जुलाई, 2013 को 'भारतीय विकास निगम : उभरती हुई चुनौतियाँ एवं अवसर-एक गैर बूसान परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन में संबोधित करते हुए आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ सचिन चतुर्वेदी। इसके अतिरिक्त चित्र में (उनके बांए से) दिखाई दे रहे हैं - विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए-2) श्री कुमार तुहिन एवं एनआईपीएफपी के निदेशक डॉ0 राथिन रॉय।

19 दिसंबर, 2013 को 'सीएसओ के साथ अनुभव : दाता एजेंसियों से परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 सचिन चतुर्वेदी। इसके अतिरिक्त चित्र में (उनके दांए से) दिखाई दे रहे हैं-डीएफआईडी के प्रमुख श्री ईयान शापीरो, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव (ईआर) राजदूत ए एन राम, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए-2) श्री कुमार तुहिन एवं इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर (आईडीआरसी), कनाडा के क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 आनिंदय चैटर्जी।

8 अक्टूबर, 2013 को 'दक्षिण दक्षिण सहयोग की साक्ष्य आधारित समझ के लिए प्रभावी संरचना की ओर : कुछ प्राथमिक मामले' विषय पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्कूल ऑफ लॉ एवं स्कूल आफ बिजनेस स्टडीज एवं इंटरनेशनल एकेडमिक फैसिलिटेशन, शारदा यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रोफेसर मिलिन्दो चक्रबर्ती। इसके अतिरिक्त चित्र में (उनके बांए से) दिखाई दे रहे हैं-एनआईपीएफपी के निदेशक डॉ0 राथिन रॉय एवं आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 एस के मोहंती।

27 नवंबर, 2013 को सीएसओ के अनुभव एवं विकास सहयोग पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन को संबोधिात करते हुए विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव (ईआर) राजदूत सुधीर व्यास। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं- विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र के उपमहानिदेशक श्री चन्द्र भूषण, आरआईएस के संबद्ध वरिष्ठ फैलो प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल एवं हमेन्द्र कुमार शर्मा।

27 फरवरी, 2014 को 'मूविंग फ्राम ओडीए टू डेवलपमेंट फाइनेंस : इमर्जिंग कॉनटयूर्स आफ न्यू कन्सैप्चयूल फ्रेमवर्क' पर आयोजित एफआईडीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 सचिन चतुर्वेदी। इसके अतिरिक्त चित्र में (उनके बांए से) दिखाई दे रहे हैं-दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग की सुश्री एन एम पिल्ले, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (एबीसी) श्री राजेश खुल्लर, ब्राजील दूतावास, नई दिल्ली की सुश्री चोल रोशा यांग एवं आरआईएस के संबद्ध वरिष्ठ फैलो प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल।

कार्यक्रम (यूएनडीपी) की निवासी प्रतिनिधि, नई दिल्ली; और डा. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस ने भी उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

प्रथम सत्र में उत्तर–दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण सहयोगः भारत को वास्तव में क्या अद्वितीय बनाता है पर विचार विमर्श किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता डा. सुबीर गोकरन, निदेशक, शोध, ब्रुकिंग इंडिया, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव (डीपीए–।।), विदेश मंत्रालय ने भारतीय विकास सहयोग नीति पर द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की। नागरिक, समाज संगठनों (सीएसओ) संस्थान, मीडिया और विकास सहयोग नीति नामक सत्र की अध्यक्षता, डा. ऐश नारायण रॉय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान, नई दिल्ली द्वारा की गई थी। विकास सहयोग नीति और व्यवसाय क्षेत्र पर चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता, डा. राजीव कुमार, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा की गई थी।

सम्मेलन का समापन, समापन सत्र के साथ हुआ। सुश्री जेन्नट जेवाईड, नई दिल्ली में इथियोपिया की राजदूत ने समापन संबोधन दिया और डॉ. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्तुत किया। विस्तृत कार्यसूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## आरआईएस–एफ.आई.डी.सी. संगोष्ठी श्रृंखला

आरआईएस ने भारतीय विकास सहयोग (एफआईडीसी) मंच (फॉरम) का शुभारंभ किया है ताकि भारतीय विकास सहयोग की नीति के विभिन्न पहलुओ पर चर्चा और सूचित बहस को सुविधाजनतक बनाया। एफआईडीसी के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, जुलाई 2013 से मासिक संगोष्ठी श्रृंखला शुरु की गई हैं। डा. रतिन रॉय, निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली, ने 5 जुलाई 2013 को आरआईएस में हुए भारतीय विकास सहयोग : उभरती हुई चुनौतियाँ और अवसर–गैर बुसान परिप्रेक्ष्य, उद्घाटन सेमिनार को संबोधित किया। 2 अगस्त 2013 को प्रोफेसर गुलषन सचदेवा, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जेएनयू, नई दिल्ली ने 'अफगानिस्तान में भारत का विकास अनुभव' नामक विषय पर भाषण प्रस्तुत किया। 10 सितम्बर 2013 को श्री एंथोनी स्मिथ, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, लंदन और श्री दिनेश भाटिया, संयुक्त सचिव, बहुपक्षीय आर्थिक संबंध (एमईआर) प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रभावी विकास के लिए बुसान से आगे वैश्विक सहभागिता और मेक्सिको मंत्रिस्तरीय बैठ : उभरते हुए परिप्रेक्ष्य पर भाषण प्रस्तुत किया। 8 अक्तूबर 2013 को प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, कानून अध्ययन स्कूल और व्यवसाय अध्ययन स्कूल और निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सुविधा, शारदा विश्वविद्यालय ने साक्ष्य के आधार पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग को समझने के लिए एक कारगर स्थापत्य कि दिशा में कुछ मुद्दे पर भाषण दिया। 27 नवम्बर को राजदूत सुधीर व्यास, पूर्व सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 'नागरिक समाज संगठनों' के अनुभव ओर विकास सहयोग' पर हुई पैनल वार्ता की अध्यक्षता की। इस पैनल वार्ता में श्री चंद्रा भूषण, उपमहानिदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र और श्री हर्ष जेतली, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), स्वैच्छिक एक्शेन नेटवर्क भारत ने नागरिक समाज संगठनों के अनुभवों का वर्णन किया। 19 दिसंबर 2013 को राजदूत ए एन राम, पूर्व सचिव (ईआर), भारत सरकार ने 'नागरिक समाज संगठनों के साथ अनुभव : दाता संस्थानों से परिप्रेक्ष्य' विषय पर हुई संगोष्ठी की अध्यक्षता की। श्री कुमार तुहिन, संयुक्त सचिव (डीपीए-II), विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्री इयान शैपिरो, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी); डा. अनिंदया चटर्जी; क्षेत्रीय निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी), कनाडा डा. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस सेमिनार में मुख्य वक्ता थे। 27 फरवरी, 2014 को श्री राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव (एबीसी), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आधिकारिक विकास सहायता से विकास वित्त की ओर : नए अवधारणात्मक ढाँचे की उभरती

31 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में 'आसियान-भारत समुद्रीय परिवहन सहयोग' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य संबोधन प्रस्तुत करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) राजदूत अनिल वधवा। इसके अतिरिक्त चित्र में दिखाई दे रहे हैं-आरआईएस एवं एनएसएबी के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन।

हुई संरचना' पर सेमिनार की अध्यक्षता की। इसमें डा. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस ने प्रस्तुति प्रस्तुत की। सुश्री चलोए रोचा यांग, ब्राजील दूतावास और सुश्री एन.एम. पिल्लै, दक्षिण अफ्रीकी उच्चायुक्त, नई दिल्ली द्वारा विशेष प्रस्तुति की गई। प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, सहायक वरिष्ठ अध्येता, आरआईएस, विचार–विमर्षक थे।

## आसियान–भारत समुद्रीय परिवहन सहयोग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

आरआईएस ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिके संघ और आरआईएस में एषियन भारत केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से 31 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया 'संगोष्ठी राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और एनएसएबी की शुरुआती टिप्पणियों के साथ प्रारम्भ हुआ। राजदूत श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। बड़े क्षेत्रीय अनुबंध : आसियान–भारत व्यापार और समुद्रीय संपर्कता पर प्रथम सत्र की अध्यक्षता, राजदूत, वी.एस. शेशाद्रि, सलाहकार, आरआईएस और म्यांमार में पूर्व भारतीय राजदूत द्वारा की गई।

आसियान–भारत और पोत–परिवहन नेटवर्क : उभरतीय हुई संरचना, चुनौतियाँ और महासागरीय मार्गो की पहचान पर द्वितीय अधिनियम की अध्यक्षता श्री अरविंद कुमार, सलाहकार ऊर्जा और संसाधन संस्थान–टीईआरआई (टेरी) और पूर्व सलाहकार, पोत–परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार सुश्री रेणु पाल, संयुक्त सचिव (एशियन एमएल), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने आसियान–भारत समुद्रीय परिवहन सहयोग : आगे का मार्ग पर अधिवेषन की अध्यक्षता की। सेमिनार के कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

6-7 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आचार, समानता और समावेशन : वैश्विक और क्षेत्रिय परिप्रेक्षय' पर आयोजित सम्मेलन में उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं- आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सचिव डॉ. के विजय राघवन, यूसीएलएएन, ब्रिटेन के वरिष्ठ अनुसंधान फैलो डॉ. मिल्टॉस लाडिकस एवं राथेनाउ संस्थान, नीदरलैंड के निदेशक प्रोफेसर जन स्टामन।

6 मार्च, 2014 भारत-सिंगापुर संबधों पर नई दिल्ली में आयोजित वार्ता को संबोधित करते हुए आरआईएस एवं एआईसी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन। इसके अतिरिक्त चित्र में (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं-विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) राजदूत अनिल वधवा, आईएसएएस के अध्यक्ष राजदूत गोपीनाथ पिल्लई एवं आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आचार, समानता और समावेशन : वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्षय पर सम्मेलन

आरआईएस द्वारा 6–7 मार्च 2014 को नई दिल्ली में जीईएसटी के साथ संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आचार, समानता और समावेशन : वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्षय पर सम्मेलन को आयोजन किया गया। आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ कुमार विजय राघवन ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर, केन्द्रीय लंकाशायर विश्वविद्यालय (यूसीएलएएन), यूके की वरिष्ठ अध्येता डॉ मिलटोस लडिकास, रथेनॉ संस्थान, नीदरलैंड के प्रोफेसर जैन सटैमैन, आरआईएस के वरिष्ठा अध्येता डॉ सचिन चर्तुवेदी ने भी उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

पहले सत्र में उभरती प्रौद्योगिकीयों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी निति में नैतिकता और समानता पर पैनल चर्चा की गई थी। 'खाद्य प्रौद्योगिकियाँ' विषय पर आधारित दूसरे सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार डॉ एस आर रॉव ने की। 'अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी' पर आधारित तीसरे सत्र की अध्यक्षता जर्मनी के प्रौद्योगिकी आंकलन और प्रणाली विश्लेषण संस्थान (आईटीएएस) के उप प्रमुख डॉ माइकल डेकर ने की। 'कृत्रिम जीव विज्ञान' विषय से संबंधित चौथे सत्र की अध्यक्षता रथेनॉ संस्थान, नीदरलैंड के प्रौद्योगिकी आंकलन विभाग की समन्वयिका डॉ रीनी वान एस्ट ने की। पांचवा सत्र आगे के लिए मूलभूत अंग पर आधारित था जिसकी अध्यक्षता बिजिंग में स्थित विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चीनी शोध संस्थान (सीएएसटीईडी) के प्रोफेसर झाओ यांडोग ने की। छठा सत्र भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी निति और व्यवहार में नैतिकता से संबंधित था। इस सत्र की अध्यक्षत आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर ने की। 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में संचार और अनुबंध और नैतिकता' विषय पर आयोजित गोलमेज वार्ता में यूसीएलएएन की डॉ मिल्टोस लडिकास और आरआईएस के डॉ सचिन चर्तुवेदी ने प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। पत्रकार और लेखक श्री दिनेश सी शर्मा इस सत्र के समन्वयक थे।

समापन सत्र के साथ इस सम्मेलन का समापन हुआ। प्रोफेसर पी एम भार्गव ने समापन संबोधन प्रस्तुत किया। डॉ सचिन चतुर्वेदी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## भारत–सिंगापुर संबंधों पर संवाद

आसियान–भारत केंद्र आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप राष्ट्रीय सिंगापुर विश्वविद्यालय; और दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के साथ संयुक्त रूप से भारत, सिंगाफर संबंधों पर संवाद (6 मार्च 2014 को आरआईएस में) आयोजित किया गया।

29 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आसियान-भारत सामरिक साझेदारी पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए एस राजा रतनम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (आरएसआईएस) एवं ननयांग टैक्नोलॉजिक्ल यूनिवर्सिटी (एनटीयू) के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ0 प्रद्युमन बी राणा। इसके अतिरिक्त प्रमुख मेज पर (बांए से दांए) दिखाई दे रहे हैं- आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 प्रबीर डे, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव (पूर्व) राजदूत संजय सिंह, आरआईएस एवं राष्ट्रीय संरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के अध्यक्ष राजदूत श्याम सरन और जेएनयू की प्रोफेसर अमिता बजाज।

राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, आसियन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी बोर्ड (एनएसएबी), भारत ने बैठक की अध्यक्षता की। डा. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस; राजदूत अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय और राजदूत गोपीनाथ पिल्लै, अध्यक्ष, आईएसएएस मुख्य वक्ता थे। बैठक में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। भारत–सिंगाफर संबंधों और आसियान–भारत संबंधों पर विचार–विमर्श हुआ।

## लद्दाख के चांगथांग सीमावर्ती क्षेत्र

लद्दरख के चांगथांग सीमावर्ती क्षेत्र विषय पर डब्ल्यू–डब्ल्यू एफ–भारत और आरआईएस द्वारा 21 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में एक विचार–विमर्ष बैठक का आयोजन किया गया था। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और एनएसएबी, और श्री पंकज चंदन ने प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया। डा. सिद्धकि वाहिद, प्रसिद्ध विद्वान, ऐतिहासिकता और सामाजिक विज्ञानी ने अक्तुबर 2013 में चांगथांग में की गई आठ दिन की यात्रा में हुए अनुभवों की एक विशेष प्रस्तुति की।

## आसियान–भारत कुटनीतिक साझेदारी पर सम्मेलन

आसियान–भारत सम्मेलन श्रृंखला के अंतर्गत आसियान–भारत केन्द्र, आरआईएस ने आसियान–भारत कुटनीतिक साझेदारी पर नई दिल्ली में 29 जनवरी 2014 को एक सम्मेलन का आयोजन किया। राजदूत संजय सिंह, पूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) ने प्रारंभिक संबोधन प्रस्तुत किया। डॉ प्रबीर डे, वरिष्ठ फैलो, आरआईएस और समन्वयक, आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी), आरआईएस ने परिचयात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की। डॉ प्रद्युमन बी राणा, एसोसियट प्रोफेसर, एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू), सिंगापूर के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात खुली चर्चा हुई।

## नीतिगत वार्ताओं से बाहर आरआईएस संकाय का योगदान

### प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

- ❖ 8 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में 'लोकल गवर्नेंस एट इंस्टिटयूट ऑफ सोशल साइंसेज' के माध्यम से 'डीपनिंग डेमाक्रेसी' पर आयोजित सम्मेलन में 'इब्सा एंड डेवलेपमेंट कोऑपरेशन' विषय पर इब्सा लोकल गवर्नेंस फोरम में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

- 10 अप्रैल, 2013 को सिंगापुर में आयोजित 'वर्ल्ड हैल्थ समिट' में 'एक्सटर्नल हैल्थ एड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट : एमर्जिंग कोन्टोयर्स ऑफ इंडियन हैल्थ डिप्लोमेसी' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 17–18 अप्रैल, 2013 को बर्लिन, जर्मनी में 'ग्लोबल एथिक्स इन सांइस एंड टेक्नोलॉजी (जीईएसटी)' की चौथी पूर्ण बैठक में 'प्रायरिटीस इन फूड रिसर्च एंड एथिक्स फ्रेमवर्क' प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 21 अप्रैल, 2013 को वाशिंगटन डी सी में विश्व बैंक में एशिया फाउंडेशन द्व ारा आयोजित 'डी–ब्रीफ्रिंग कान्फ्रेन्स ऑन एशियन एप्रोचेस टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन' में 'एशियन एप्रोचेस टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 23 अप्रैल, 2013 को न्यूयार्क में एशिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'कान्फ्रेन्स ऑन एशियन एप्रोचेस टू डेवलपमेंट कोऑपरेशन' में 'पोस्ट 2015 डेवलपमेंट चैलेंजिस' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 3 मई, 2013 को नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित इब्सा एस एंड टी कार्यकारी समूह के 9वें कार्यकारी समूह की बैठक में 'इब्सा कोलाबोरेशन इन हैल्थ टेक्नोलॉजी' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 31 मई, 2013 को पीआरआईए द्वारा नई दिल्ली में 'भारत के वैश्विक विकास की मौजूदगी एवं भारतीय नागरिक समाज की प्रतिबद्धता' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 'दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 13–14 जून, 2013 को बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) एवं यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ जर्मनी (यूएनए–जर्मनी) के सहयोग के साथ फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (बीएमजैड) एसोसिएशन द्वारा 'दि राइज़ ऑफ दि साऊथ एंड न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स : अपोर्चनिटीस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए चेंजिंग वर्ल्ड' प्रमुख फोरम में प्रतिभागिता।
- 23 जुलाई, 2013 को इथियोपिया में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, मिनिस्ट्री ऑफ फोरेन अफेयर्स में 'भारत की विदेश नीति एवं विकास सहयोग' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 26 जुलाई, 2013 को हायर इंस्टिटयूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशनस् इन माफटो, मोजांबिक में 'विकास सहयोग एवं आरआईएस के प्रयास' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 29 जुलाई, 2013 को एशियन सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड पालिसी (एएसआईपी) के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान (निस्टाडस) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संयुक्त रूप से 'नवप्रवर्तन एवं विकास' पर आयोजित सम्मेलन में 'भारत में आचार नीति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 19 अगस्त, 2013 को मैक्सिको शहर में मैक्सिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एमेक्ससिड) एवं इंस्टिटयूटो मोरा द्वारा 'डेवलपमेंट एजेंसीस इन इमर्जिंग पॉवर्स' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 'इंडियाज़ डेवलपमेंट कोऑपरेशन : इंमर्जिंग इंस्टिटयूशनल आर्चिटेक्चर' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 4 सितंबर, 2013 को बीजिंग में जीईएसटी प्रोजक्ट मीटिंग में 'फूड टेक्नोलॉजीस : डिबेट्स ऑन एक्सेस, इक्विटी एंड इन्कलूसन इन इंडिया' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 10 सितंबर, 2013 को ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा नई दिल्ली में 'इंडियाज़ ग्लोबल

डेवलपमेंट फुटप्रिंट' विषय पर आयोजित विचार विमर्श बैठक में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

- 12–13 सितंबर, 2013 को एफएओ द्वारा रोम में 'प्रोमोटिंग इनावेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 19 सितंबर, 2013 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में 'ट्रैंडस, मोटिव्स एंड केस स्टडीज़ इन इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन : इनिशियल इनसाइटस्' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 19 सितंबर, 2013 को यूरोपियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफार्म इन इंडिया (ईयू एसटीआई प्लेटफार्म) द्वारा नई दिल्ली में 'सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं नवप्रवर्तन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 23 सितंबर, 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में यूएनईपी–जीईएफ द्वारा सहायता प्राप्त जैव सुरक्षा पर क्षमता निर्माण परियोजना के दूसरे चरण की परियोजना प्रबंधन एवं मॉनीटरन समिति (पीएमएमसी) की दूसरी बैठक में 'जीएमओ का सामाजिक आर्थिक आकलन (एसईए)' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 30 सितंबर, 2013 को न्यूयार्क यूनिवर्सिटी एंड सेंटर ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा नई दिल्ली में 'इमर्जिंग एंड ट्रेडिशनल एक्टर्स : न्यू एप्रोचिस फॉर इफैक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 3–4 अक्टूबर, 2013 ओईसीडी द्वारा पेरिस में 'विकास के लिए वित्त पोषण' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ संदर्भ समूह की बैठक में प्रतिभागिता।
- 13 अक्टूबर, 2013 को बिशकेक, क्रिगीस्तान में भारत–क्रिगीज सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र में 'भारतीय विकास सहयोग' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 16 अक्टूबर, 2013 को तजाक्सितान में तजाक्सितान सूचना एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र में 'भारतीय विकास सहयोग' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 13 नवंबर, 2013 को डीएसी सचिवालय द्वारा पेरिस में आयोजित डीएसी विकास दिवस पर 'भारतीय विकास सहयोग का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 14–15 नवंबर, 2013 को पैरिस में एएफडी/टीएएफ बैठक में 'एंटरप्रिनियोरशिप डेवलपमेंट, कैपासिटी बिल्डिंग एंड इकनॉमिक इंटीग्रेशन : केस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप विद सीएलएमवी रीज़न' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 2–3 दिसंबर, 2013 को इस्तानबूल में दिल्ली प्रोसेस पर यूएनडीईएसए कोर समूह की बैठक में 'वट आर दि न्यू फीचर्स ऑफ साऊथ–साऊथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन दैट ऑर शेयर्ड बाई सदर्न पार्टनर्स' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 14–15 दिसंबर, 2013 को सिंबोसिस यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'इंटरनेशनल रिलेशनस् कान्फ्रेन्स ऑन इंडिया एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स इन एशिया एंड अफ्रीका : टूवार्डस् ए न्यू पैराडिजम' विषय पर 'भारतीय विकास सहयोग नीति' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 14–15 जनवरी, 2014 को बर्लिन में जीईएसटी नीति की बैठक में 'मेनस्ट्रीमिंग ऑफ रीज़नल आऊटकम्स' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 23–25 जनवरी, 2014 को पैरिस में आयोजित ओईसीडी विशेषज्ञ समूह की बैठक में प्रतिभागिता की गई।

- 29 जनवरी, 2014 को केरल में 26वीं केरल साइंस कांग्रेस पर आयोजित सम्मेलन में 'प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड्रिशनल नालिज, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग–करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 24 फरवरी, 2014 को जेएनयू एवं जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा नई दिल्ली में 'इंटरनेशनल कान्फ्रेन्स ऑन ग्लोबल इकनामिक क्राइसिस, मैक्रोइकनामिक डायनामिक्स, डेवलपमेंट चैलेंजिस ऑफ डेवलपिंग इकनामीज़' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 10 मार्च 2014 को नई दिल्ली में भारत–अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 10वें सीआईआई–एक्ज़िम बैंक की निर्वाचिका सभा में 'विकास भागीदारी एवं भारत–अफ्रीका संबंध : प्रवृतियाँ एवं संभावनाएँ' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 19 मार्च, 2014 ब्रुसेल्स में 'रिसपांसिबल गवर्नेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीस : पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूरोप, चीन एंड इंडिया' पर आयोजित सम्मेलन में 'रिसपांसिबल रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 28 मार्च, 2014 को एनसीएईआर एवं सीपीडी द्वारा नई दिल्ली में 'डिकनस्ट्रक्टिंग साऊथ–साऊथ कोऑपरेशन : ए साऊथ एशियन पर्सपेक्टिव' विषय पर आयोजित वार्ता में 'डिकनस्ट्रक्टिंग साऊथ–साऊथ कोऑपरेशन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 31 मार्च, 2014 को बैंकाक में दि एशिया फाउंडेशन (टीएएफ), थाईलैंड रिसर्च फंड (टीआरएफ) के सहयोग से नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एनआईडीसी) द्वारा आयोजित एनआईडीसी फोरम में 'इंडियन डेवलपमेंट पार्टनरशिप : जेनसिस एंड इवोल्यूशन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

## प्रोफेसर विश्वजीत धर
## पूर्व महानिदेशक (30 मई 2014 तक)

- 16 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरमिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन प्रोटेक्शन आफ टीकेएंडटीसीई में प्रतिभागिता।
- 23–27 अप्रैल, 2013 को इंस्टिटयूट ऑफ वर्ल्ड इकनामीज़ एंड पॉलिटिक्स (आईडब्लयूईपी), चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल सांइसेज़ (सीएएसएस) द्वारा बीजिंग, चीन में आयोजित प्रथम ब्रिक्स थिंक टैंक राउंड टेबल में प्रतिभागिता।
- 30 अप्रैल, 2013 को आईएसआईडी, पीएचएफआई एवं टेरी द्वारा भारत–अफ्रीका नीतिगत वार्ता पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- नई दिल्ली में नागोया प्रोटोकॉल ऑन एबीएस एंड इंडिया–मैट्रिक्स पर आयोजित बैठक में प्रतिभागिता।
- 9–10 मई, 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यूएनडीपी एवं टेरी द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कंस्लटेशन ऑन लीगल एंड पालिसी फ्रेमवर्क फॉर मेडिसीनल प्लांटस एंड एसोसिएटिड ट्रेडिशनल नालिज इन इंडिया में प्रतिभागिता।
- 1–3 जुलाई, 2013 को इंस्टिटयूट ऑफ पालिसी स्टडीज़ ऑफ श्रीलंका द्वारा कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 'रीजनल कंसल्टेशन कांफ्रेंस ऑन रोड टू बाली में प्रतिभागिता।
- 5–7 जुलाई, 2013 को थाईलैंड सरकार द्वारा बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित आईजीसी रिट्रीट ऑन इंटलैक्चुअल प्रापर्टी रिलेटिड टू जैनेटिक रिसोर्सिज ट्रेडिशनल नालिज एंड फोकलोर (जीआरटीकेएफ) में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के तौर पर प्रतिभागिता।

- 13–14 जुलाई, 2013 को दि बैंकाक रिसर्च सेंटर (बीआरसी), दि सैक्ट्रिएट फॉर रिसर्च इंस्टिटयूट नेटवर्क मीटिंग (आरआईएनएम) तथा जैट्रो एवं ईआरआईए द्वारा बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित वित्तीय वर्ष 2013 के लिए आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान के क्रियाकलापों पर आयोजित बैठक में प्रतिभागिता।
- 22–24 जुलाई, 2013 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिनेवा में प्रतिनियुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 'इंटलैक्चयूअल प्रापर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्सिस, ट्रेडिशनल नालिज एंड फोकलोर' पर गठित अंतः सरकारी समिति (जीसी) के 25वें सत्र की बैठक में प्रतिभागिता।
- 7 अक्टूबर, 2013 सीएसडी एवं सार्क सचिवालय, काठमांडू द्वारा 'चैलेंजिस ऑफ पोवर्टी एंड पूफड इनसिक्यूरिटी इन सार्क कंट्रीज़ : आरपीपी–2010–11' पर आयोजित वार्ता में प्रतिभागिता।
- 7 अक्टूबर, 2013 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 'डब्लयूटीओ, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड बाली मिनिस्ट्रियल : व्हेयर डू वूयी स्टैंड एंड दि वे फारवर्ड' पर आयोजित वार्ता में प्रतिभागिता।
- 7 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित 'एडीबी 2020 स्ट्रैटिजी मिडटर्म रीव्यू कन्सलटेशनस्' में प्रतिभागिता।
- 23–25 अक्टूबर, 2013 को सिंगाफर में 'प्रपोस्ड रीजनल कंप्रीहैन्सिव इकनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) एवं ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप' पर आयोजित उच्च स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 30 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में 'एक्सपर्ट कमिटी फार दि डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस सर्विस प्राइस इंडैक्स' की 18वीं बैठक में प्रतिभागिता।
- 4–8 नवंबर, 2013 को कैनबरा, आस्ट्रेलिया में 'रीजनल ट्रेड चायसिस इन जेईएफ–एएनयू इंटरनेशनल सिंपोसियम एशियाज़ इकनामिक चैलेंजिस एंड पालिसी चायसिस' पर आयोजित सत्र में पैनल वार्ताकार।
- 13 नवंबर, 2013 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एसएसएफएफसी मैडिकल प्राडक्टस से संबंधित बैठक में प्रतिभागिता।
- 18–19 नवंबर, 2013 यूएनएस्केप द्वारा बैंकाक में 'रीवाईविंग मल्टीलेटरलिज्म : रोड टू बाली एंड बीयांड' विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता में प्रतिभागिता।
- 3 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में 'रीवर्स आफ पीस : रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया बांग्लादेश रीलेशन' पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 9 जनवरी, 2014 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 'रीजनल कंप्रीहैन्सिव इकनामिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) : आसियान+6 एफटीए सहित चाइना' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 10–12 जनवरी, 2014 को इकनामिक रिसर्च इंस्टिटयूट फार आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) द्वारा ब्रुनई दारूस्सलाम में आयोजित रिसर्च इंस्टिटयूट नेटवर्क (आरआईएन) की दूसरी बैठक में प्रतिभागिता।
- 13 जनवरी, 2014 को वाणी द्वारा नई दिल्ली में 'स्ट्रैथनिंग दि रोल ऑफ इंडियन वालेंटरी सेक्टर ऑन दि ग्लोबल प्लेटफार्मस्' विषय पर आयोजित गोलमेज बैठक में प्रतिभागिता।
- 24–25 जनवरी, 2014 चैन्नई में आयोजित राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) की 27वीं प्राधिकारी बैठक में प्रतिभागिता।
- 29–31 जनवरी, 2014 को एबीएस एवं जीआईजैड द्वारा संयुक्त रूप से केप

टाऊन, दक्षिण अफ्रीका में 'प्रैक्टिकल वेज़ फारवर्ड फार दि इम्पिलीमेन्टेशन ऑफ दि नागोया प्रोटोकाल' विषय पर आयोजित वार्ता में भारत में अभिगम एवं लाभ–सहभागिता प्रणाली के कार्यान्वयन पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।

- 3–7 फरवरी, 2014 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लयूआईपीओ) द्वारा जिनेवा में 'इंटलैक्चयूअल प्रापर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्सिस, ट्रेडिशनल नालिज एंड फोकलोर (आईजीसी)' विषय पर आयोजित अंतः सरकारी समिति के 26वें सत्र में प्रतिभागिता।
- 11 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित आईपीओ एवं एनबीए की संयुक्त बैठक में प्रतिभागिता।
- 11 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में एनसीएईआर द्वारा आयोजित सी डी देशमुख स्मृति व्याख्यान 2014 में प्रतिभागिता।
- 11 फरवरी, 2014 को बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉ. तारीक करीम द्वारा नई दिल्ली में आयोजित व्याख्यान में प्रतिभागिता।
- 24–28 फरवरी, 2014 को योंगचांग, कोरिया गणराज्य में 'नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (आईसीएनपी3)' के लिए तदर्थ ओपन एंडिड अंतः सरकारी समिति की तीसरी बैठक में प्रतिभागिता।
- 19 फरवरी, 2014 को सीसीएओआई द्व ारा नई दिल्ली में 'इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम दि इंडियन पर्सपेक्टिव' पर आयोजित कार्यशाला संचालित।
- 12 मार्च, 2014 को आईएसआईडी द्व ारा नई दिल्ली में आईसीएसएसआर पर आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में प्रतिभागिता।

## प्रोफेसर एस के मोहंती

- 22 अप्रैल, 2013 को आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड साऊथ एशिया इंस्टिटयूट आफ मैनेजमेंट द्वारा 'भारत–नेपाल व्यापार एवं निवेश' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'दक्षिण एशिया में चीन एवं क्षेत्रीय व्यापार' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 13 जून, 2013 को 'स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप फार पालिसी डेवलपमेंट' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'रीजनल वैल्यू चेन इन साऊथ एशिया : सम एमरजिंग इश्यूज़' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 4 जुलाई, 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में 'भारत–चीन द्विपार्श्विक व्यापार संबंधों' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 21 अगस्त, 2013 को इंस्टिटयूट आफ पीस एंड कॉनफ्रिलक्ट स्टडीज़ में 'चेंजिंग ट्रेड कॉप्लीमेंटरीज़ बिटविन इंडिया एंड वियतनाम' पर प्रस्तुतीकरण।
- 19–20 सितंबर, 2013 को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्लयूए) द्वारा नई दिल्ली में 'हिंदमहासागर पर त्रिपक्षीय वार्ता' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'चेंजिंग विंड एक्रॉस दि इंडियन ओशन : ए कंप्रीहैंसिव एप्रोच टूवर्डस ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट इन आईओआर–एआरसी' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 9 अक्टूबर, 2013 को पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स में 'आर इंडियन एक्सपोर्टस् कंस्सिटेंट विद दि ग्लोबल डिमांड? हाऊ रीजनल एप्रोच प्रोमोटस् एक्सपोर्टस्' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 20–21 नवंबर, 2013 को इस्लामाबाद पालिसी रिसर्च इंस्टिटयूट एंड हान्स सिडेल फाउंडेशन द्वारा इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 'टूवर्डस् एन एशियन सेंचुरी फ्रयूचर ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन इन सार्क

अप्रैल, 2013 में हैनान इंस्टिटयूट फॉर वर्ल्ड वाच, हायकू के संकाय के साथ डॉ. राम उपेन्द्र दास।

मई, 2013 में ईआरआईए, जर्काता में आरसीईपी पर गठित उच्च स्तरीय पैनल में डॉ राम उपेन्द्र दास।

अगस्त, 2013 में भारत सरकार के लिए एफटीए एवं आरओओ पर स्टैकहोल्डर्स के विचार विमर्श के दौरान डॉ. राम उपेन्द्र दास।

कंट्रीज़' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'डीपनिंग इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इन साऊथ एशिया : इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ दि रीजन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।

- ❖ 3 दिसंबर, 2013 को इंस्टिटयूट आफ पीस एंड कॉनफ्रिलक्ट स्टडीज़ में 'इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज़ ट्रेड लिंकेज़ विद चाइना' विषय पर प्रस्तुतीकरण।
- ❖ 20 मार्च, 2014 को जापान रिसर्च इंस्टिटयूट एवं एमईटीआई, जापान सरकार द्वारा टोक्यो में 'गोइंग बियांड आसियान–चैलेंजिस एंड अपोर्चूनिटीस फार दि राइस् ऑफ दि इंडियन ओशन रिम इकनामी एंड इटस इम्प्लीकेशनस् फार जापान' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'चेंजिंग शेड ऑफ इकनामिक प्रायरिटीज़ इन आईओआरएः ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट इंटरेस्ट आफ डॉयलाग पार्टनर्स इन दि रिजन' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।

## प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास

- ❖ 10–13 अप्रैल, 2013 के दौरान हैनान इंस्टिटयूट फार वर्ल्ड वॉच द्वारा हैनान प्रांत, चीन गणराज्य में 'ऑफशोर आरएमबी मार्किट एंड आरएमबी इंटरनेशनलाईजेशन' विषय पर आयोजित सामरिक कार्यशाला में पैनलवार्ताकार।
- ❖ 5 मई, 2013 को इकनामिक रिसर्च इंस्टिटयूट फार आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए) द्वारा जकार्ता में 'रीजनल कंप्रीहैंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट (आरसीईपी)' विषय पर आयोजित गोलमेज बैठक में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों में पैनलवार्ताकार।
- ❖ 7 मई, 2013 को पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा नई दिल्ली में 'डूइंग बिज़नेस विद इमर्जिंग कंट्रीज इन एशिया' विषय पर आयोजित गोलमेज बैठक में वक्ता।

- 24 मई, 2013 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार के अंतर्गत उदगम के नियम' पर आयोजित विचारोत्तेजक सत्र में प्रतिभागिता।
- जून, 2013 में भारत सरकार के उदगम के नियम पर विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में नामित।
- 14 जून, 2013 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार के अंतर्गत उदगम के नियम' पर आयोजित बैठक में प्रतिभागिता।
- जुलाई, 2013 में एकेडमी फार वर्ल्ड वाच, शंघाई, चीन में मानद फैलो के रूप में नामित।
- 5 जुलाई, 2013 को श्री राजीव खेर, अपर सचिव (एफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सीएलएमवी पर संचालित बैठक में प्रतिभागिता।
- भारत सरकार एवं फिक्की द्वारा नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एवं चैन्नई में क्रमशः 26 जुलाई, 29 जुलाई, 2 अगस्त एवं 5 अगस्त, 2013 को 'भारत के एफटीए में उदगम नियम पर उद्योग परामर्श' में पैनल वार्ताकार।
- 30 जुलाई, 2013 को आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में 'भारत–पाकिस्तान आर्थिक संबंधों की संभावनाओं' पर आयोजित सम्मेलन में 'भारत–पाकिस्तान आर्थिक संबंध' पर प्रमुख प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 8 अगस्त, 2013 को रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इंडियन मॉडल यूनाइटिड नेशनस् (आईएनएमयूएन) में अतिथि वक्ता।
- 17 अगस्त, 2013 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 'ईपीजीडीआईबी के लिए डब्लयूटीओ एवं व्यापार संबंधी मामले' कोर्स में 'डब्लयूटीओ एवं भारत के लिए इसकी विवक्षाएँ' के सत्र में पैनल वार्ताकार।
- 29 अगस्त, 2013 को भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में उदगम नियमों के विशेषज्ञ समूह की स्टेकहोल्डर्स की परामर्श बैठकों में पैनल वार्ताकार।
- 19 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली प्रबंधन संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित शैक्षणिक परामर्शी परिषद की बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित।

अप्रैल, 2013 में बिरला प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में डॉ. राम उपेन्द्र दास।

21 अक्टूबर, 2013 को थाइलैंड में 'ईआरआईए कार्यकारी क्षमता निर्माण सम्मेलन 2013' पर आयोजित सम्मेलन में थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं वाणिज्य मंत्री माननीय निवाथामरोंग बुनसांगफाससेन एवं ईआरआईए के प्रोफेसर हिदेतोशी निशीमुरा और व्यापार विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (अंकटाड) के पूर्व महासचिव माननीय सुपाचई पानित्चपाकडि के साथ डॉ0 राम उपेन्द्र दास।

- 20–25 अक्टूबर, 2013 को इकनामिक रिसर्च इंस्टिटयूट फार आसियान एंड ईस्ट एशिया (ईआरआईए), इंडोनेशिया द्व ारा 'कार्यकारी नेतृत्व शिखरवार्ता, 2013' विषय पर आयोजित ईआरआईए कार्यकारी क्षमता निर्माण संगोष्ठी एवं कार्यशाला में 'पूर्वी एशिया में मिकांग क्षेत्र के देशों एवं वार्ता भागीदारों के बीच समन्वय' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 24–25 अक्टूबर, 2013 को आईसीआरआईईआर द्वारा नई दिल्ली में 'भारत–दक्षिण कोरिया की 12वीं वार्ता : भारत–दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष एवं अधिक गहन संबंधों के लिए आगे के दिशा निर्देश' पर आयोजित वार्ता में वक्ता।
- 9–15 नवंबर, 2013 के दौरान हो ची मिन्ह शहर एवं यांगान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भारत–सीएलएमवी आर्थिक सहयोग पर स्टैकहोल्डर्स से परामर्श
- 18–22 नवंबर, 2013 को यूनाइटिड नेशनस् इकनामिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एवं प्रशांत (यूएनईएससीएपी) द्वारा बैंकाक, थाईलैंड में क्षेत्रीय एकीकरण एवं एपीटीए पर आयोजित विशेषज्ञ समूह की बैठक में 'एशिया एवं प्रशांत के क्षेत्रीय एकीकरण की अभी हाल की प्रवृतियाँ, विकास एवं भावी दिशा निर्देश' पर दस्तावेज प्रस्तुत।
- 21–22 जनवरी, 2014 को आईसीआरआईईआर द्वारा नई दिल्ली में 'भारत–पाकिस्तान के व्यापार को सामान्य बनाना' पर आयोजित दूसरे वार्षिक सम्मेलन में वार्ताकार।
- 20 जनवरी, 2014 को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'सहयोग की मानक श्रंखलाओं के क्षेत्रों का निर्धारण करने एवं सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण का अध्ययन' विषय पर प्रस्तुतीकरण।
- 19 फरवरी, 2014 को सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 'फोर्थकमिंग सिक्सथ ब्रिक्स सम्मिट : लुकिंग बियांड इकनामिक कोऑपरेशन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में वक्ता।
- 5 मार्च, 2014 को आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया सरकार द्वारा आयोजित 'इंडिया एजुकेशन सम्मिट की पूर्व भूमिका' में प्रतिभागिता।
- 18–23 मार्च, 2014 के दौरान एकेडमी फार वर्ल्ड वाच द्वारा हांगकांग में 'पूर्वी एशियाई आर्थिक एकीकरण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागिता।

### डॉ. के रवि श्रीनिवास, सलाहकार

- 30 मई, 2013 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में यूएन डीईएसए द्वारा संचालित कार्यशाला में 'जलवायु परिवर्तन, प्रौद्यौगिकी अंतरण एवं आईपीआर' पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 20 सितंबर, 2013 को सेंटर फार कन्टेम्पोरेरी स्टडीज़, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में 'लैट थाउजैंडस कामन्स बलूम एंड फ्लोरिश : फ्राम ट्रैजडी ऑफ कामन्स टू प्रोलिफरेशन आफ कामन्स' विषय पर वार्ता में प्रस्तुति।
- सितंबर, 2013 में बीजिंग में जीईएसटी प्रोजेक्ट कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।
- 19 मार्च, 2014 को यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स में एसटीओए द्वारा 'रिस्पांसिबल गवर्नेंस आफ साइंस एंड टेक्नोलाजीस' विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत।

### डॉ. प्रियदर्शी दास, अनुसंधान एसोसिएट

- 12 दिसंबर, 2013 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 'गोल्ड मोनेटाइजिंग दि इन्वेस्टमेंट' पर आयोजित गोलमेज वार्ता में अपने विचार व्यक्त।

- 26 मार्च, 2014 को फिक्की एवं सिटी ऑफ लंदन द्वारा नई दिल्ली में 'भारत की आर्थिक नीति को फन' परिभाषित करना' पर आयोजित गोलमेज वार्ता में अपने विचार व्यक्त।

## श्री टी सी जेम्स, सलाहकार

- 8–9 अप्रैल, 2013 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बंगलौर विश्वविद्यालय द्व ारा 'बौद्धिक संपदा अधिकार के कानूनों एवं प्रक्रियाओं में जनहित का संरक्षण' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 12 अप्रैल, 2013 को लोकसभा टीवी पर 'नोवारटिस मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय' पर आयोजित वार्ता में प्रतिभागिता।
- 13 अप्रैल, 2013 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा नई दिल्ली में 'नोवारटिस के पश्चात औषधियों में नवप्रवर्तन बनाम भारत सरकार' विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 18–19 अप्रैल, 2013 को विधि संकाय, केरल विश्वविद्यालय द्वारा 'पेटेंट एवं नवप्रवर्तन–प्रवृत्तियाँ एवं नीति संबंधी चुनौतियाँ' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 20 अप्रैल, 2013 को इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा 'निवेश संबंधी संधियाँ–निवेश संबंधी विवाद' पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 26 अप्रैल, 2013 को फिक्की द्वारा नई दिल्ली में 'आईपी मोनेटाईज़ेशन एंड फाइनेंसिंग–अनलॉकिंग दि पोटेंशियल आफ वैल्यूएबल ऐसैटस्' पर आयोजित सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 31 जुलाई, 2013 को बैंगारू में 'भारतीय भौगोलिक संकेतो के लिए आर्थिक मूल्यों की उत्पत्ति' तथा 1 अगस्त, 2013 को मैसूर में 'एसएमई के व्यवसाय के घातांक विकास के लिए आईपीआर की भूमिका' पर आयोजित सीआईआई की कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 18 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में 'यूज आफ ट्रिप्स फ्रलैक्सीबिल्टीज़–केस स्टडीज़ ने कंपलसरी लाइसेंसिंग एवं वालेंटरी लाइसेंसिंग' पर आयोजित डब्लयूएचओ के सम्मेलन में प्रतिभागिता।
- 5 दिसंबर, 2013 को चैन्नई में 'एबीएस अनुभवों' पर आयोजित यूएनडीपी–सीबीडी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 7 दिसंबर, 2013 को मुंबई में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आईपीआर पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता।
- 21 फरवरी, 2014 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'आईपीआर पर राष्ट्रीय संस्थान/अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना एवं एमएचआरडी–आईपीआर चेयर्स को सुदृढ़ बनाना' पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में प्रतिभागिता।
- 5 मार्च, 2014 को थर्ड वर्ड नेटवर्क (टीडब्लयूएन) द्वारा 'औषधीय नवप्रवर्तन अनुसंधान' पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता।

## डॉ सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफ़ेसर

- 28.31 जुलाई 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागए विज्ञान और प्रौद्योगिकीमंत्रालय, विज्ञान नीति अध्ययन केंद्र जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, तथा कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एंड टेक्नॉलोजी इन्फर्मेशनए नेशनल रिसर्च फाऊंडेशन ऑफ कोरिया द्वारा नवाचार और नीति पर आयोजित एशियाई सम्मेलन में भारत के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन पर प्रस्तुति दी ।

# IV

# क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

## अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास नीति (आईईआईडीपी) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन

10 फरवरी से 7 मार्च, 2014 के दौरान नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएपीपी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास नीति (आईईआईडीपी) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोर्स समन्वयक डा0 राम उपेन्द्र दास थे।

10 फरवरी से 7 मार्च, 2014 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले एवं विकास नीति (आईईआईडीपी) पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 राम उपेन्द्र दास के साथ।

10 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागी आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 राम उपेन्द्र दास के साथ।

## व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन

आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय के सहयोग से आईओआर–एआरसी एवं बांग्लादेश के राजनयिकों के लिए तीसरे विशेष कोर्स के अंतर्गत विदेशी राजनयिकों के लिए 10 सितंबर, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कोर्स समन्वयक डा0 राम उपेन्द्र दास थे।

18 अक्टूबर, 2013 को नई दिल्ली में वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में डब्लयूटीओ एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागी आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ।

## डब्लयूटीओ एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन

आरआईएस द्वारा 18 अक्टूबर, 2013 को संयुक्त रूप से विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में विदेशी राजनयिकों के लिए 58वें व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत विदेशी राजनयिकों के लिए डब्लयूटीओ एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर ने उदघाटन सत्र को संबोधित किया। कार्यशाला में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनमें जलवायु परिवर्तन संबंधी बातचीत सहित विश्व व्यापार प्रणाली, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं (आरटीए) एवं वैश्विक आर्थिक मामलों तथा दक्षिण से प्राप्त प्रत्युत्तर को समझना जैसे विषय शामिल थे। महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर, वरिष्ठ फैलो डॉ. राम उपेन्द्र दास एवं वरिष्ठ फैलो डॉ. एस के मोहंती द्वारा इस कार्यशाला में व्याख्यान प्रस्तुत किए गए थे। इस कार्यशाला में कोर्स समन्वयक डा0 राम उपेन्द्र दास थे।

30 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागी आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ0 राम उपेन्द्र दास के साथ।

## व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर कार्यशाला का आयोजन

आरआईएस द्वारा संयुक्त रूप से विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय के सहयोग से विदेशी राजनयिकों के लिए 57वें व्यावसायिक कोर्स (पीसीएफडी) के अंतर्गत विदेशी राजनयिकों के लिए 30 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग : वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर द्वारा उदघाटन सत्र को संबोधित किया गया था। इस अवसर पर निम्नलिखित व्याख्यान प्रस्तुत किए गए थे –आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. सचिन चतुर्वेदी द्वारा विकास भागीदारों के रूप में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ विषय पर तथा आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. राम उपेन्द्र दास द्वारा ब्रिटान वुड्स संस्थानों की फनर्संरचना विषय पर और आरआईएस के वरिष्ठ फैलो डॉ. एस के मोहंती द्वारा मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए गए थे। इस कार्यशाला में कोर्स समन्वयक डा0 राम उपेन्द्र दास थे।

## आरआईएस के संकाय सदस्यों द्वारा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रस्तुत किए गए व्याख्यान

### प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)

- 11 जुलाई, 2013 को आईआईएफटी द्वारा नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय प्रबंधन' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग का उदगम' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।
- 31 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान द्वारा बंगलौर में डीएसटी के अधिकारियों एवं सीएसआईआर के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण

कार्यक्रम में 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति में नीतिशास्त्र' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

- 2 सितंबर, 2013 को वित्त मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली आर्थिक विकास संस्थान में आईईएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'विकास वित्त' विषय पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

## प्रोफेसर विश्वजीत धर

### पूर्व महानिदेशक (30 मई 2014 तक)

- 27 जून, 2013 को एनआईपीएफपी द्वारा नई दिल्ली में आईएसएस अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुपार्श्विक व्यापार प्रणाली के मूल्यांकन एवं कार्यप्रणाली पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 17–20 सितंबर, 2013 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं डब्लयूएचओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय सम्मेलन में 'भारत में नीति निर्माताओं के लिए आईपीआर : औषधियों से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता को सुदृढ़ करना' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रतिभागिता।

## प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास

- 9 अप्रैल, 2013 को भारत सरकार एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'आईबीएसए की तुलना में ब्रिक्स' विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 10 जुलाई, 2013 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय प्रबंधन पर आयोजित पांच सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'जीएटीटी आर्ट 24 एवं उदगम के नियम' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 17–22 जुलाई, 2013 को इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा योग्यता के पश्चात आयोजित किए जाने वाले कोर्स में 'आरटीए में अवधारणात्मक एवं नीतिगत मामले' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 3 सितंबर, 2013 को वित्त मंत्रालय द्व ारा भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित 'क्षेत्रीय व्यापार करार : अवधाारणात्मक एवं अनुभवजन्य मामले' विपय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 5 सितंबर, 2013 को भारत के प्रशासनिक स्टाफ कालेज द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'एफटीए एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विवक्षाएँ' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 12 सितंबर, 2013 को वित्त मंत्रालय द्व ारा भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित 'भारत की पूर्व की ओर देखो नीति : औचित्य एवं संभावनाएँ' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 27 नवंबर, 2013 को बिरला प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईएमटीईसीएच), नई दिल्ली में आयोजित 'आरटीए एवं भारत' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 2 दिसंबर, 2013 को ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम' में 'व्यापार एवं सतत विकास : दक्षिण–दक्षिण एवं क्षेत्रीय सहयोग' विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- 17 दिसंबर, 2013 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'बाली में डब्लयूटीओ सम्मेलन में नवीनतम गतिविधियाँ कि किस प्रकार एलडीसी एवं भारत जैसे देश लाभ या हानि की स्थिति में हैं?' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया।

# V

# प्रकाशन कार्यक्रम

## पुस्तकें और रिपोर्ट

**दी लिविंग ट्रीः चीन और भारत में लडिकास परंपरागत चिकित्सा और जन स्वास्थ्य**
डॉ. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. मिल्टोस लाडिकस, डॉ. ज्यूओ लिफेंग और डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास द्वारा अकादमिक संघ, नई दिल्ली द्वारा, आरआईएस, के सहयोग से प्रकाशित, संपादक 2014।

**दक्षिणी प्रदाताओं की रिर्पोट दक्षिण – दक्षिण सहयोगः मुद्दे और उठने वाली चुनौतियां**
आरआईएस, 2013

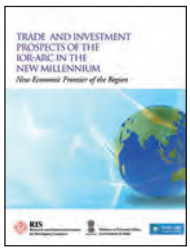


**नई सहस्राब्दी में आईओआर–एआरसी के व्यापार और निवेश संभावनाएं क्षेत्र की नई आर्थिक सीमाएं**
श्री एस. के. मोहंती और प्रियदर्शी दास, 2013

**भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंध**
श्री एस.के. मोहंती, 2014

**अवसंरचना विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग : आईओआर–एआरसी में निवेश के लिए संस्थागत ढांचे की ओर**

डॉ. एस.के. मोहंती और प्रियदर्शी दास, आरआईएस, 2013, नई दिल्ली

**भारत–कनाडा आर्थिक सहयोग पर संवाद की एक रिपोर्ट**

आरआईएस, 2013

**आसियान – भारत कूटनीतिक साझेदारी: आसियान–भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंकस्**

आसियान सचिवालय, भारत सरकार आरआईएस और आसियान इंडिया सेंटर, 2013

**भारतीय स्वयंसेवी संगठनों की रूपरेखा**

आरआईएस, 2013

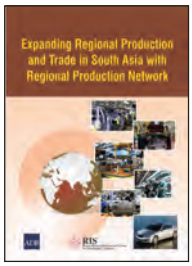


**क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क के साथ दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय उत्पादन और व्यापार का विस्तार करना**

आरआईएस और एडीबी, 2013

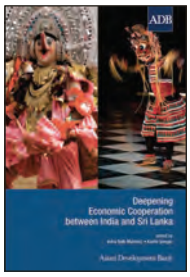


**भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना**

इंद्रनाथ मुखर्जी और कविता आयगर (संपादक) एडीबी, 2013

## वार्ता दस्तावेज

### #190 भारत के लिए अंत उद्योग व्यापार की यांत्रिकी आरसीईपी में और मुक्त व्यापार समझौते का निहितार्थ

**राम उपेन्द्र दास और जे देव दुबे**

सारः विश्वव्यापी मुक्त व्यापार अनुबंध (एफटीए) चर्चा का एक विषय रहे हैं। इस दस्तावेज में हाल ही के उन भ्रमों के रहस्य को हटाने का प्रयास किया गया है, जो विशेषतया, पूर्व देखों नीति के एक भाग के रूप में भारत की एफटीए कूटनीति में छाए हुए हैं। इस दस्तावेज में अंतः उद्योग व्यापार (आईआईटी) के निर्धारकों, का विश्लेषण करते हुए यह कार्य किया गया है, जो व्यापार प्रवाह के अथ्याधिक प्रमुख रूपों में से एक है जिनकी व्याख्या का पता परंपरागत व्यापार सिद्धांतों द्वारा नहीं लगाया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि दस्तावेज में नए व्यापार सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में नए व्यापार सिद्धांतों का निर्माण करते हुए आईआईटी में किफायतों (मितव्ययिता) के संबंध में प्रकाश डाला गया है। दस्तावेज में बड़े आर्थिक अनुमानों सहि सिद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों को दर्शाता है, कि आरसीईपी के तहत एसियान–6 देशों के बीच वस्तुओं के संबंध में एफटीए, जिसमें भारत की सक्रिय उपस्थिति और अत्यधिक बड़े व्यापरा है, न केवल विचारार्थ क्षेत्र में अंतः उद्योग प्रकार के व्यापार को बढ़ाते हैं बल्कि यह ऐसे व्यापार प्रवाहों को कामय करने में भी और आगे सहायता करता है।

### #189 भारत की नवाचार नीतियों का आकलन

**विश्वजीत धर और साब्यासाची साहा**

सारः भारतीय उद्योग में नवाचार और उपक्रम विकास की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेज में भारत में नवाचार नीति रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गई थी। दशकों से, भारत की नवाचार कूटनीतियां एसएंडटी नीति विवरणों (वक्तव्यों) द्वारा चलाई जाती रही है, जहां औद्योगिक नीति संकल्प/वक्तव्यों ने विनिर्माण उपक्रम को दिशा दी है। इन दोनों प्रक्रियाओं ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारत एक अधिक बड़ा विनिर्माणी आधार तैयार करने में समर्थ हो सके और साथ ही साथ एक सशक्त विनिर्माणी आधार का निर्माण कर सके और एक उच्च कौशल

युक्त जनशक्ति आधार का सृजन कर सके। हम इस समय भारत बंद और उदारीकृत अर्थव्यस्था के युगों में अंतर करते है और हाल ही में नीति परिवर्तनों पर विचार करते हैं। हम इसके उद्योग की प्रौद्योगिकीय क्षमता के संबंध में भारतीय परिदृश्य की सूक्ष्म रूप से जांच करते है और सुझावात्मक अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को प्राप्त करते है। हम, भारत में एसएमई क्षेत्र में उभरने वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान देते है और भारत में दो परंपरागत समूहों में प्रौद्योगिकीय पहलों (उपायों) के संबंध में विस्तार से विचार–विमर्श करते है। अंततः, हम भारत की राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली में मौजूदा बाधाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। इस दस्तावेज में हम देखते है कि मौजूदा नीति नमूने में तत्काल नवाचार प)ति प्राप्त नहीं होती है, जो भारत विषयक हो, विशेष रूप से विकासात्मक प्राथमिकताएं अपरिहार्य (अत्यधिक तीव्र) होता है। हम सुझाव देते है कि यद्यपि आर्थिक नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवाचार हेतु सतत् मांग बनी रहे। इस समय भारत में नवाचार नीतियों द्वारा निश्चित लक्ष्य पूरे किए जाने चाहिए। प्रथमतः विशेषज्ञता के अवसरों को हासिल करने के लिए औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को समझने हेतु व्यापक आधारित कौशलों की उपलब्धता को सरल (कारगर) बनाया जाना चाहिए और द्वितीयतः निर्धनों पर आधारित सीमांत अनुसंधान और विकास आला ज्ञान और हरित प्रौद्योकियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

## #188 जनसांख्यिकी परिवर्तन, प्रतिभा पलायन और मानव पूंजीः सेवा संचालित दक्षिण एशिया में विकास की संभावनाएं

**विश्वजीतधर और सायन समांता**

सारः दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते हुई प्रभुत्व से यह संकेत प्राप्त होता है कि इन मितव्ययिताओं को प्राप्त किया जा सकता है जो इस क्षेत्र में समाहित उनकी जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ रहे युवा साहयर्य को प्राप्त करने में उनके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तथापि, एक अपरिहार्य साक्ष्य है जो यह सुझाव देता है कि दक्षिण एशियाई देश अत्यधिक मात्रा में कौशल अंतरों से गुजर रहे है, विशेष रूप से उच्च परिणाम के संदर्भ में जिनकी प्रवृत्ति, अपेक्षाकृत कौशल गहन, कौशल विकास की होती है इसलिए इसमें इस क्षेत्र में कौशल विकास की कुंजी है। दक्षिण एशियाई देशों को गंभीर प्रयास करने होंगे ताकि वे न केवल तृतीयक स्तर पर उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार लाए, बल्कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सुधार ला सके। इन देशों से यह अपेक्षा है कि वे उन समुचित नीति पहलों को अपनाएं जो उनके सेवा क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति को सुनिश्चित करेगी। इस विचार–विमर्श दस्तावेज में दक्षिण एशिया जनांकिकी परिवर्तन को समझने और क्षेत्र के देशों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है ताकि दक्षिण एशिया में कुशल श्रम की भविष्यगामी आपूर्ति में वृद्धि की जा सके।

## #187 लद्दाख के चांगथांग सीमावर्ती क्षेत्रः एक प्रारंभिक जांच

**सिद्धीक वाहिद**

## #186 भारत–जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) : पूर्व एशियाई आर्थिक क्षेत्रावाद के लिए कुछ विवक्षाएँ एवं आरसीईपी

**राम उपेन्द्र दास**

सारः आर्थिक गुरूत्वाकर्षण केन्द्र के एशिया की ओर विस्थापित हो जाने के साथ ही आसियान+6 देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को एक नया आयाम मिल गया है। प्रशांत पार भागीदारी (टीपीपी) के रूप में एक नए बड़े समूह द्वारा एपीईसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। अटलांटिक पार व्यापार एवं निवेश भागीदारी (टीटीआईपी) चियांग मयी पहल बहुपक्षीयकरण (सीएमआईएम) करार के माध्यम से सतत रूप से आसियान+3 भागीदारी के लिए बड़ी तेज गति से कार्यरत हैं। जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया वाला यह प्रस्तावित त्रिपक्षीय पूर्व एशियाई एपफटीए इन सभी प्रयासों एवं मंचों पर सक्रिय

है एवं इसमें भारत शामिल नहीं है। इस प्रकार आरसीईपी जैसे समूहों का पूर्णत कार्यरत एवं गतिशील होना अत्यन्त जटिल है। इस दस्तावेज में भारत–जापान की आर्थिक अन्योन्य क्रियाओं को इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है और भारत–जापान की व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) से महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की गई है। इस दस्तावेज में शामिल महत्वपूर्ण व्यापार एवं संवेदनशील सूचियों की रूपात्मकता तथा सीईपीए में विकासात्मक दृष्टिकोण से उदगम के नियमों के निरूपण की जांच की गई है। यह विशेष रूप से आरसीईपी के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक आदर्श ढांचा प्रदान करने एवं विस्तृत पूर्व एशियाई क्षेत्रावाद के लिए जटिल हो सकता है। तथापि, यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत की जापान के साथ भागीदारी को अलगाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए अपितु भारत–चीन एवं भारत–अमेरिका भागीदारी के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

## #185 अंटलांटिक पार व्यापार एवं निवेश भागीदार

**श्री वी. एस. शेषाद्रि**

सारः अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के बीच अटलांटिक पार व्यापार एवं निवेश भागीदारी (टीटीआईपी) करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए इस वर्ष बातचीत प्रारंभ हो गई है। इस व्यापार एवं निवेश करार को आकंक्षारहित बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसमें यदि समस्त उत्पादों एवं सेवा क्षेत्राों के मानकों एवं विनियमों में सामंजस्यता या पारस्परिक सहमति नहीं होती तो उसमें न केवल उनकी व्यापार एवं निवेश प्रणालियों को अत्यधिक उदार बनाए जाने पर बल दिया जाएगा अपितु उनमें वृहत्तर समाभिरूपता भी लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं विश्व व्यापार में पर्याप्त भागीदारी होने के कारण दोनों प्रमुख व्यापार केन्द्र यह भी उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्पर्धा नीति, कच्ची सामग्री एवं ऊर्जा तथा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जैसे कुछ क्षेत्राों सहित विश्व व्यापार संगठन एवं उनके विनियम, जिन पर वे सहमत हो सकते हैं, भविष्य में बहुपक्षीयवाद के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं। यदि दोनों पक्षकार इस प्रकार के करार पर सहमत हो जाते हैं तो इस करार का समग्र रूप से न केवल इन दोनों पक्षकारों के द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा अपितु इस करार से भारत भी प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में होने वाली प्रगति की सावधानी पूर्वक निगरानी करने और तदनुसार उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। इस दस्तावेज में इस प्रकार के कई पहलुओं पर संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है।

## #184 वर्ष 2008 का वित्तीय संकट एवं आर्थिक शक्ति का विस्थापन : क्या यह झुकाव है

**मनमोहन अग्रवाल और सायन समांता**

सारः इस दस्तावेज में लगभग पिछले पांच दशक से आर्थिक शक्ति के विस्थापन का विश्लेषण किया गया है। विकासशील देशों एवं क्षेत्राों ने इस अवधि के दौरान विश्व की बढ़ती हुई आय एवं बढ़ते हुए निर्यात में अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। तथापि, पिछले पांच दशकों के दौरान वर्ष 2011 में विश्व की 25 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के आकार के अनुसार प्रासंगिक रैंक में बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ है। कोरिया एवं ब्राजील की अर्थव्यवस्थाएँ प्रासंगिक रूप से कापफी बड़ी हो गई हैं जबकि अन्य परिवर्तन कापफी कम हुए हैं। इन वर्षों के दौरान रैंकों के बीच रैंकों के पारस्परिक संबंध बहुत बड़े हो गए हैं जोकि यह दर्शाते हैं कि रैंकिंग में थोड़ा–सा परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों एवं क्षेत्राों के जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी में अमेरिका की तुलना में बढ़ोतरी हुई है परन्तु इस वृद्धि की दर विशेषकर वर्ष 1982 के पश्चात कम है। अमेरिका की तुलना में अधिकांश बड़े विकासशील देशों की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है परन्तु केवल कुछ ही देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है जोकि उत्पादकता की धीमी गति का सूचक

है और निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता क्षेत्राों में आर्थिक क्रियाकलापों में विस्थापन का सीमित सरंचनात्मक परिवर्तन इंगित करता हैं। हम आर्थिक शक्ति की विषय सूची तैयार करने के लिए 20 संसूचक एकत्रा किए हैं। एक बार पिफर हमें इस विषय सूची के अनुसार रैंकिंग में थोड़ा ही परिवर्तन दिखाई देता है। हमने इन संसूचकों के आधार पर पृथक–पृथक देशों से अमेरिका की दूरी का परिमापन भी किया है। हमने यह पाया कि अधिकांश देश अमेरिका की ओर झुक गए हैं परन्तु उनके झुकाव की गति कापफी धीमी है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ह्रास में तेजी आई है।

## # 183 विकास भागीदारी परियोजनाओं में संतुलन की स्थिति एवं समुदायिक भागीदारी : नेपाल में भारतीय एसडीपी से प्राप्त होते हुए प्रमाण

**सचिन चतुर्वेदी, सुशील कुमार और शशांक मेंदिस्ता**

सारः नब्बे के दशक के प्रारंभ में जब 'पूर्व एशियाई चमत्कार' हो रहा था और संशोधनवादी एवं नव सिद्धांतवादी अर्थशास्त्रिायों में आर्थिक विकास एवं राष्ट्र की स्थिति पर विचारोत्तेजक वाद–विवाद चल रहा था, तो विकास सहयोग के क्षेत्रा में दो विभिन्न दृष्टिकोण उभर कर सामने आए थे। एक दृष्टिकोण में सामाजिक पूंजी के सृजन के लिए सामुदायिक प्रतिभागिता को प्रभावशाली माना गया जबकि दूसरे दृष्टिकोण में इस भूमिका को और अधिक शक्तिशाली माना गया। नेपाल में भारत के विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ इन दोनों स्थितियों में ही सामान्य थी। इस दस्तावेज में, हमने इन विकास कार्यक्रमों के प्रभाव एवं संभावनाओं का मूल्यांकन किया है जिनको लघु विकास परियोजनाएँ (एसडीपी) कहा जाता है तथा जिनको भारत द्वारा नेपाल में अपने विकास सहयोग की श्रेणी के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया था। मामले का अध्ययन करने एवं विश्लेषणात्मक विधियों के माध्यम से हमने यह पाया कि नेपाल में भारत के एसडीपी के अनुभव में समुदाय एवं उनके समूह तथा नेपाल एवं भारत की सरकारें एवं प्रशासन के स्थानीय प्राधिकारी जैसे विभिन्न श्रेणियों के हिस्सेदार शामिल थे। हमने यह दर्शाया कि नेपाल द्वारा इन हिस्सेदारों के बीच में एक जटिल अन्योन्यक्रिया के परिणामस्वरूप सकारात्मक बाह्य सहायता का लाभ उठाया गया जिसको उस प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट किया गया है जिससे परियोजनाओं का निरूपण किया गया। हमारा यह तर्क हैं कि यदि उपयुर्क्त उल्लिखित घटकों में से कोई एक घटक कम हो तो एसडीपी के परिणाम इष्टतम नहीं होंगे। यदि अनुमोदन की मौजूदा प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता तो भी यह परिणाम प्रभावित होंगे क्योंकि इससे इन घटकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न दृष्टिकोण में अत्यन्त सूक्ष्म अंतर होगा एवं वह संतुलित होगा तथा उसके कारण बेहतर विकास के लिए राष्ट्र एवं समुदाय के बीच सहक्रिया होगी। इस दस्तावेज का समापन में यह उल्लेख किया गया है कि परियोजना निरूपण के विकेन्द्रित माध्यम से समुदाय के लिए प्रासंगिक परियोजनाओं की मांग में बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त, हमने कार्यान्वयन प्रक्रिया में कुछ कमियाँ पाई हैं एवं कुछ नीतिगत उपाय संस्तुत किए हैं जोकि नेपाल में समान प्रकार की विकास परियोजनाओं के प्रभाव में सुधार या बढ़ोतरी करेंगे।

## #182 प्रशांत पार भागीदारी–(टीपीपी)

**वी. एस. शेषाद्रि**

सारः व्यापार एवं निवेश में उदारीकरण के लिए और प्रशांत महासागर के एक ओर अविस्थित उन बारह प्रतिभागी देशों में प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी के लिए की गई प्रशांत पार भागीदारी (टीपीपी) एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रयास है। अमेरिका ने इस प्रयास के लिए नेतृत्व किया है और इस दिशा में बातचीत के अठारह दौर हो चुके हैं। यह वार्ता दस्तावेज इस प्रयास की पृष्ठभूमि एवं इसके सैद्धांतिक घटकों के संबंध में तथा यदि यह प्रयास सपफल हो जाता है तो भारत के लिए इसकी क्या विवक्षाएँ हो सकती हैं, पर तैयार किया गया है।

**नीतिगत सार**

**#63 इंटरनेट अभिशासन और विकासशील देशः भारत के लिए निहितार्थ**

**#62 चीन की अर्थव्यवस्थाः स्थिर, लेकिन स्थायी होने की जरूरत**

**#61 खाद्यान्न प्रबंधन नीति, भारतीय खाद्य निगम और खाद्य सुरक्षा हेतु निहितार्थ, जुलाई 2013**

**मेकांग–गंगा नीतिगत सार # 6**

**एफआईडीसी नीतिगत सार**

**#1 दक्षिण–दक्षिण सहयोग और वैश्विक गतिशीलता की विशेषताएं**

**#2 कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत–अफ्रीका सहयोगः नए रास्ते और अवसर**

**जर्नल**

**साऊथ एशिया इकनॉमिक जर्नल**
**खंड 15, सं0 1, मार्च, 2014**

विषय वस्तु – अंतर्क्षेत्रीय एफडीआई एवं दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण : प्रवृत्तियाँ, ढांचा एवं संभावनाएँ – प्रेमा चन्द्र अथुकोराला, नेपाल द्वारा भारत से किए जाने वाले आयात में व्यय घटकों की भूमिका – बीरेन्द्र बहादुर बुद्धा, क्या सांस्थानिक गुणवत्ता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण हैं? पाकिस्तान के लिए एक अनुभवजन्य जांच – मोहसिन हसनएन एवं काजी मसूद अहमद, औद्योगिक समूहों का विकास प्रभाव : भारत के लिए साक्ष्य एवं विवक्षाएँ – एम आर नारायणन, –भारतीय उद्योगों पर भारत–आसियान मुक्त व्यापार करार के प्रभाव का आकलन –रणजय भट्टाचार्य एवं अविजित मंडल एवं पुस्तक समीक्षाएँ।

**खंड 14 सं0 2, सितंबर, 2013**

विषय सूची – दक्षिण एशिया में अपूर्ण प्रतिस्थापन माडल : पाकिस्तान–भारत व्यापार उदारीकरण ऋणात्मक सूची में –शशिधरन गोपालन, अम्मार ए मलिक एवं केन्नीथ ए रिनर्ट, बांग्लादेश की साफ्रटा संवेदनशील सूची की छंटाई : इसका कार्यक्षेत्रा, विधियाँ एवं उत्पादों का चयन– खोंडाकर गोलाम मोआज्जम एवं किशोर कुमार बासक, बांग्लादेश में प्रेषण, वित्तीय विकास एवं आर्थिक विकास–गाजी सलहाउद्दीन एवं बो स्जो, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत भारतीय आपूर्ति श्रंखला में श्रीलंका का एकीकरण – श्रीमल अबयरत्ने, जीएसपी+निराकरण एवं श्रीलंका में वस्त्रा उद्योग : विवक्षाएँ एवं आगे की राह–अशानी अबयसीकारा, मानव विकास उपलब्धियाँ एवं सुधार : भारतीय राज्यों का एक विश्लेषण–स्वाति दत्ता एवं पुस्तक समीक्षाएँ

**एशियाई जैव प्रौद्योगिकी विकास समीक्षा**
**खंड–16 सं0 1**

विषय वस्तु : पार्टनरशिप एंड मिराकल क्राप्स : ऑन ओपन एक्सेस एंड दि कोमोडिपिफकेशन ऑपफ प्लांट वैरायटी – इरिक डियबेल एवं एयसम मर्ट, ग्लोबल जस्टिस एंड दि शिफ्रट इन प्रापर्टी रिजाइम पफार जेनेटिक रिसोर्सिस–लूडो मिलान डि गोयडे, भारतीय जैवप्रौद्योगिकी पार्कों द्वारा ज्ञानार्जन–स्वपन कुमार पात्राा एवं पुस्तक समीक्षा

**खंड 15, संख्या 3 नवंबर, 2013**

विषय वस्तु – सपादकीय प्रस्तावना–आर कल्पना शास्त्राी एवं एन एच राव, पानी एवं पोषण सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए नैनोप्रौद्योगिकी की संभावनाएँ–आर कल्पना शास्त्राी, अंशुल श्रीवास्तव एवं एन एच रॉव, हैल्थ हैजर्ड एसोसिएटिड विद इंजीनियर्ड नैनोमैटिरियल्स–शशि भूषण एवं गौतम कौल, डेवलपमेंट इन बॉयोनैनोकम्पोजिट फिल्मस् : प्रोस्पेक्टस पफार इको–प्रफैंडली एंड स्मार्ट पफूड पैकेजिंग–जी वेंकटेशवरलू एंड के नागलक्ष्मी, नैनोबायोटेक्नोलॉजी का सिंहावलोकनः भारत में सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास

प्रणाली–अमित कुमार एवं प्रणव एन देसाई, मूविंग पफार्वर्ड रिस्पांसिबली : प्रफॉम एग्रीबॉयोटेक्नोलॉजी टू एग्रीनैनोटेक्नोलॉजी इन इंडिया–पूनम पांडे, पफोरम : टेन लेसन्स प्रफाम बॉयोटेक्नोलॉजी एक्सपीयरेंसिस इन क्राप्स, लाइवस्टॉक एंड पिफश पफार स्मालहोल्डर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज–जेम्स डी डार्गी, जॉन रूआने एडं एंडिरिया सोनिनो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन के लिए अप्रफीका–भारत सहयोग पर रिपोर्ट एवं पुस्तक समीक्षा।

## खंड 15, सं0 2, जुलाई 2013

विषय वस्तु : बायोसाइंस एंड इनोवेशन रिसर्चः एक्जामिनिंग दि जीएम एनीमल्स केस विद इंडियन रिसर्चर्स यूजिंग दि एथीकल मैटरी–स्कॉट ब्रीमर, जी पाकी रेड्डी एंड केट मिलर, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली जैव सामग्री का पेटेंट करवाना–लुईगी पालोम्बी, जेनेटिकली मोडिपफाइड क्राप्स एंड सस्टेनिबिलटी आपफ पफार्म लिवलीहुडस् : ए कम्पैरिटिव एनलिसिस ऑपफ इंडिया, चाइना एंड ब्राजील–अस्मिता भारद्वाज, भारत में कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं बीज उद्योग–विकास कुमार एवं कुणाल सिन्हा, परिप्रेक्ष्य : जैव अर्थव्यवस्था में जैव आधारित उत्पादन–जिम सी पिफलिप एवं कृष्णा सी पावानन एवं पुस्तक समीक्षा
आरआईएस के संकाय सदस्यों द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

## अनुसंधान दस्तावेज

चतुर्वेदी, सचिन, सारा, क्रेगर, मिल्टोस लडिकास, वसंत मुत्थुस्वामी, येयांग सु और हुआनडिंग यांग, 2013। साझा लाभ के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना : सीबीडी के दायरे का विस्तार डोनिस स्रोएडर और जूली कुल लुकास (संपादित) लाभ बंटवाराः जैव–विविधता से मानव आनुवांशिकी तक। लंदनः स्प्रिगेर।

चतुर्वेदी, सचिन, जूली कक लुकास, डोरिस स्रोएडर, रोजर चेनेल्स और डाफना फेनहोलज, 2013। ''परंपरागत ज्ञान का बंटवाराः किसे लाभ फहंचेगा? भारत नाइजीरिया, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के मामले।'' डोरिस स्रोएडेर और जूली कुक लुकास (संपादित) लाभ बंटवाराः जैव विविधता से मानव अनुवांशिकी तक। लंदनः स्प्रिगेर।

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. ''भारत और अफ्रीका में व्यापार और संबंधों में निवेश प्रवृत्तियां और संभावनाएं''। रूचिता बेरी (संपादित) भारत और अफ्रीकाः पारस्परिक विनियोजन को बढ़ाना। नई दिल्लीः आईडीएसए और पेंटागन मुद्रणालय।

चतुर्वेदी, सचिन. 2014. ''भारत और ईयू और विकास सहायताः नए परिप्रेक्ष्य और नई वास्तविकताएं'' राजेंद्र के जैन (संपादित) बदलते हुए विश्व में भारत और यूरोपियन संघ। दिल्लीः आकार फस्तकें।

चतुर्वेदी, सचिन. और अमित कुमार. 2014. ''परंपरागत ज्ञान का संरक्षण और अनिर्णीत (अनसुलझे) अंतर्राष्ट्रीय मामलेः संस्थागत और विधायी प्रत्युत्तरों सहित राष्ट्रीय कार्यसूची का विकास करना''। आमंत्रित कागजात के परिशिष्ट में। 26वां केरल विज्ञान सम्मेनल। केरल राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद्।

चतुर्वेदी, सचिन. और के. रवि श्रीनिवास. 2013. "आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलेंः नीति गतिरोध।'' आर्थिक और राजनीतिक सप्ताहितक, खंड 40, संख्या 14, 6 अप्रैल।

दास, राम उपेंद्र. 2013. ''क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणः नए संदर्भ और विश्लेषणात्मक संरचना'' ब्यासदेव दासगुप्ता (संपादित) उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बाह्य पहलू। भारत, लंदन और न्यूयॉर्कः रूटलेज।

दास, राम उपेन्द्र. 2013. ''एशिया के हृदय में में आर्थिक एकीकरणः दक्षिण एशिया और मध्य एशिया संबंध'' विकास कागजात संख्या 1305, दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया (एसआरओएसएसडब्ल्यूए) के लिए यूनेस्कैप उप क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।

दास, प्रियदर्शी. 2013. ''मंदी के युग के पश्चात् राजकोषीय नीतिः चुनौतियों और नई दिशाएं सार्वजनिक वित्त में प्रवृत्तियां और पैटर्न में'' सेद्धांतिक और आनुभाविक पहलू। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), नई दिल्ली।

दास, प्रियदर्शी. 2013. ''सीईपीए पश्चात् युग में भारत और कोरिया के बीच आईटी और आईटी सामर्थित सेवाओं में द्विपक्षीय सहयोग, संभावनाएं और चुनौतियां'' के आईईटी (केइट) औद्योगिक आर्थिक समीक्षा, खंड 18, संख्या 3, 45–58

डे, प्रबीर. 2013. ''भारत–पाकिस्तान आर्थिक सहयोगः दक्षिण एशिया क्षेत्रीय एकीकरण के लिए निहितार्थ। सामयिक पत्र, राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन, अप्रैल।

डे, प्रबीर. 2013. ''भारत–पाकिस्तान आर्थिक सहयोगः उन्नत व्यापार सुविधा'' व्यापार अंतर्दृष्टि, खंड 9, संख्या 2, जुलाई।

डे, प्रबीर. 2013. ''भारत–पाकिस्तान के लिए एमएफएन का क्या अर्थ है? क्या एमएफएन रामबाण उपाय हो सकता है?'' नीति शोध कार्यकारी पत्र, विश्व बैंक वाशिंगटन, डी. सी, अगस्त।

डे, प्रबीर. 2013. ''भारत में सेवाओं के व्यापार विकासः एशिया एशिया–पैसिफिक व्यापार और निवेश रिपोर्ट। 2013, गरीबी और असमानता के लिए निहितार्थ, यूएनईएससीएपी, बैंकांक, नवंबर।

डे, प्रबीर. 2013. ''वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकटः दक्षिण–एशिया में व्यापार और औद्योगिक फनः संरचना की जटिलताएं'' विलेम थोरबेके और वेन–जेन हसिह (संपादित) एशिया में औद्योगिक फनर्गठनः वैश्विक आर्थिक संकट की जटिलताएं। सेज प्रकाशन, नवंबर।

डे, प्रबीर. 2014. 'डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौता और दक्षिण एशिया'। व्यापार अंतर्दृष्टि, खंड 10, संख्या 1, मार्च।

डे, प्रबीर. 2014. ''संभार–तंत्र निष्पादन और व्यापारः बांग्लादेश और थाइलैंड के साथ मध्यवर्ती में भारत के व्यापार का एक विश्लेषण''। व्यापार निष्पादन और प्रतिस्पर्धात्मकता एशियन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए संगत चुनिंदा मामलेः यूएनईएससीएपी, बैंकाक, मार्च।

डे, प्रबीर. 2014. ''एशिया और प्रशांत में व्यापार सुविधा और गरीबी में कमीः दक्षिण एशियाई कोरिडोर मामले पर अध्ययन'' रवि रत्नायके तथा अन्य (संपादित)ः इंम्पक्ट्स आफ ट्रेड फेसिलिटेशन मेजरस् ओन पोवरटी एंड इंक्ल्यूसिव ग्रोथः केस स्टडिस् फरोम एशिया, युएनईएससीपी, बैकाक।

धर, विश्वजीत और रोशन किशोर. 2013. ''बाली मंत्रिस्तरीय बैठक की संभावनाएं''। एआरटी एनईटी कार्यकारी पत्र, संख्या 136, नवंबर।

जेम्स, टी.सी. 2014। ''परंपरागत चिकित्सा और बौद्धिक संपत्ति नीतियां'' दी लिविंग ट्रीः चीन और भारत में परंपरागत चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। नई दिल्लीः अकादमिक संघ

जेम्स. टी.सी. 2014 ''शोधकर्ताओं के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार'', ''भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के तहत पेटेंट का संरक्षण'' और ''भारत में कॉपीराइट निधि''। कृषि में आईपीआर के संरक्षण और प्रबंधन, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुती, केरल।

कुमार, ए. और पी.एन. देसाई. 2014. ''भारतीय सूक्ष्म प्रौद्योगिकी नवाचार पद्धति की मैपिंग (पता लगाना)'', विज्ञान प्रौद्योगिकी और सतत विकास का विश्व जर्नल, विशेष खंडः नई–बहु विषयक उपागम, 11(1)।

पांडे, बीना. 2013. स्व–सहायता समूहों पर बीस वर्ष से भरोसा। सेज प्रकाशन, पहुंच विकास सेवाएं (फस्तक समीक्षा), दक्षिण एशिया। आर्थिक पत्रिका जर्नल।

मोहंती, एस.के. 2013. भारत के बाह्य क्षेत्र पर पर्यावरण संवेदनशील वस्तुओं की व्यापार जटिलताएं। गुजारत विकास शोध संस्थान, अहमदाबाद।

मोहंती, एस.के. 2013. ''सार्क क्षेत्र के भीतर व्यापार में विस्तार (वृद्धि) करने के लिए

सार्क विकास निधि की प्रासंगिकता''। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए नीतिगत कागजात।

मोहंती एस.के. 2013 ''क्या भारत को 21वीं शताब्दी के आरटीए युग में ट्रांस–पेसिफिक सहभागिता अनुबंध में शामिल हो जाना चाहिए?'' वित्त मंत्रालय के लिए नीतिगत कागजात, भारत सरकार।

मोहंती, एस.के. 2014. ''भारत के लिए एक व्यापक व्यापार कार्य नीतिः अफ्रीका में व्यापार के अकसर'' आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14 के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेज, वित्त–मंत्रालय, भारत सरकार।

साहा, साब्यासाची और ए.एस.रे. 2014 ''डबब्ल्यूटीओ में भारतः प्राथमिकताएं तैयार करना, अपरिवर्तित मिसाल''। अंतर्राष्ट्रीय संबधों पर ब्राजील का जर्नल, खंड 2, संख्या 2 सितंबर।

साहा, साब्याची. 2013. ''जर्मनी में सार्वजनिक रूप से वित्त–पोषित शोध में प्रौद्योगिकी हस्तातंरणः पेटेंट और लाइसेंस संबंधी नोट''। मुद्रा, वित्त, व्यापार और विकास पर बर्लिन कार्यकारी नोट, संख्या 04/2013, अक्तूबर।

श्रीनिवास, के. रवि. 2013 ''प्रौद्योगिकी, जोखिम बोध और स्वीकृतिः कार्बन अभिग्रहण और भंडारन का मामला''। मालविका कपूर, दिलीप आहूजा और संगीता मेनन (संपादित): सार्वजनिक जोखिम अवबोध पर सेमिनार की कार्यवाहियां। राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बंगलौर।

श्रीनिवास, के. रवि. 2013. ''मौसमीय परिवर्तन, प्रौद्योगिकीय विकास और हस्तांतरणः बॉक्स से बाहर चिंतन में एक कवायद''। ई. एल. ब्राउन (संपादित): पर्यावरणात्मक प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपत्ति और मौसमीय परिवर्तन, अभिगम्यता प्राप्त करना और संरक्षित रखना में अध्याय 6 यू.के.: एडबर्ड एलगार।

श्रीनिवास के.रवि. 2013. ''मुक्त स्रोत और मुक्त नवाचारः नवाचार में मॉडल और इसको बांटन''। विज्ञान रिपोर्टर, अप्रैल।

श्रीनिवास, के. रवि. 2014. ''नवाचार संकेतकों और जापान की विवरण–फसित्का फ्रेड गोल्ट द्वारा संपादित'' (फस्तिक समीक्षा) विज्ञान और सार्वजनिक नीति, 41(3):405।

## लोकप्रिय स्तंभ

चतुर्वेदी, सचिन. 2013. ''जहां समाज और विज्ञान का संगम होता है''। द इंडियन एक्सप्रैस, 3 सितंबर।

दास, राम उपेन्द्र. 2013. ''क्या भारत बाली में हठी रहा है?'' फाइनेंशियल एक्सप्रैस, 3 सितंबर।

धर, विश्वजीत. 2013. ''अन्य नाम के जरिए संरक्षणवाद''। मिंट 23 अप्रैल।

धर, विश्वजीत. 2013. ''भारत के लिए सुखद व्यापार धारा?'' मिंट, 7 मई।

धर, विश्वजीत. 2013. ''नए डब्ल्यूटीओ डीजी को विकसित राष्ट्रों को शामिल करना है।'' फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 15 मई।

धर, विश्वजीत. 2013. ''डब्ल्यूटीओ अड़चनों को हटना।'' फाइनेंशियल एक्सप्रैस, 29 नवंबर।

धर, विश्वजीत, 2014. ''यूएस दोहरे मानक।'' फाइनेंशियल एक्सप्रैस 21 मार्च।

सरन, श्याम. 2013. ''क्यों भारत परमाणु हथियारों के मार्ग पर गया है'' ट्रिब्यून, 8 मई।

सरन, श्याम. 2013. ''भारत के परमाणु हथियार, राष्ट्रीय गर्व हेतु नहीं है।'' ट्रिब्यून, 9 मई।

सरन, श्याम. 2013. ''पाक नीति में परमाणु ब्लैकमेल की गंध आ रही है।'' ट्रिब्यून, 10 मई।

सरन, श्याम. 2013. ''पाकिस्तान के चुनावों के पश्चात्'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 15 मई।

सरन, श्याम. 2013. 'परिमाणात्मक सुगमताः उदीयमान और विकासशील अर्थव्यस्थाओं पर प्रभाव।'' इन्टर प्रेस सर्विस (आईपीएफ) 5 जून।

सरन, श्याम. 2013. ''भारत का जापान मोमेन्ट (क्षण)।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 19 जून।

सरन, श्याम. 2013. ''स्नोडोने और वैश्विक वोयेरिज्म (दर्शनरति) का मामला।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 8 जुलाई।

सरन, श्याम. 2013. ''कीप दी हिल्स अलाइव।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 11 जुलाई।

सरन, श्यान. 2013. ''भारत की आर्कटिक के साथ बैठक।'' दी हिन्दू, 15 जुलाई।

सरन, श्याम, 2013, ''जी5 को फनर्जीवित करने का समय।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 15 जुलाई।

सारन, श्याम. 2013. ''एक धूमिल स्वतंत्रता दिवस।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 14 अगस्त।

सरन, श्याम के. श्रीनाथ रेड्डी तथा आर.के. पचौरी. 2013. ''क्या हम इस व्यापक जन हत्याकांड को खुले रूप से चलने देंगे''। दी हिंदू, 14 अगस्त।

सरन, श्याम. 2013. ''चीन का त्रुटिपूर्ण फनः संतुलन''। बिजनेस स्टैंडर्ड, 11 सितंबर।

सरन, श्याम और शील कांत शर्मा. 2013. ''शक्ति संतुलन कल्पना नहीं है।'' दी इंडियन एक्सप्रैस, 3 अक्तूबर।

सरन, श्याम, आर.के. पचौरी और के. एस. रेड्डी. 2013. ''एक गलत विकल्प से बचाव करना''। दी हिंदू, 11 अक्तूबर।

सरन, श्याम. 2013. ''भारत–प्रशांत क्षेत्र में और अधिक अग्रसक्रिय रूसी भूमिका अपेक्षित है।'' रूस और भारत रिपोर्ट, 14 अक्तूबर।

सरन, श्याम, 2013. ''मौसमीय परिवर्तन–एक स्पष्ट रिपोर्ट।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 16 अक्तूबर।

सरन, श्याम, 2013 ''उदार बनो यथार्थवादी रहो।'' दी इंडियन एक्सप्रेस, 6 नवंबर।

सरन, श्याम. 2013. ''जि जिंपिंग का देंग पल।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 20 नवंबर।

सरन, श्याम. 2013. ''26/11 के सबक को अनुसुलझाया नहीं रखा जाना चाहिए।'' हिंदुस्तान टाइम्स, 26 नवंबर।

सरन, श्याम. 2013. ''चुनावी लोकतंत्र से परे।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 11 दिसंबर।

सरन, श्याम. 2014. ''चीनी (युआन) आ रहे हैं।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 15 जनवरी।

सरन, श्याम. 2014. ''अब आतंकवाद वैश्विक और स्थानीय हो गया है।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 20 जनवरी।

सरन, श्याम. 2014. ''अफगानिस्तान की प्रतिकृति।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 12 फरवरी।

सरन, श्याम. 2014. ''एक तीन बिंदु कार्य सूची।'' बिजनेस स्टैंडर्ड, 12 मार्च।

शेषाद्रि, वी.एस. 2013. ''एक पड़ौसी से निमंत्रण'' दी हिंदू, 19 अप्रैल।

शेषाद्रि, वी.एस. 2013. ''तीन सौदे, जो विश्व को बदल सकते है।'' दी हिंदू, 7 अक्तूबर।

# VI

# आंकडे और सूचना केन्द्र

वर्ष 1984 से अपनी स्थापना से लेकर अब तक आरआईएस प्रलेखन केन्द्र संस्थान का एक अभिन्न अंग बन गया है और देश के एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र/सामाजिक विज्ञान अनुसंधान एवं सदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें पुस्तकें, जर्नल, सरकारी प्रकाशन एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों के मुद्रित दस्तावेज सहित सार्क, आसियान एवं आईओआर–एआरसी, उत्तर–दक्षिण सहयोग, पूंजी प्रवाह, एफडीआई प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रौद्योगिकीय क्षमता निर्माण, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं सतत विकास जैसी नई प्रौद्योगिकियों सहित विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार प्रणाली, अतंर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्त प्रणाली, दक्षिण–दक्षिण आर्थिक सहयोग जैसे मामलों से संबंधित अनुसंधान दस्तावेज प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक रूप में काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

आंकड़ा एवं अनुसंधान केन्द्र ने केवल आरआईएस अनुसंधान संकाय के अनुसंधान में सहयोग प्रदान करता है, अपितु पूरे देश में नीति निर्माताओं, प्रशासकों, सलाहकारों, छात्रों एवं अन्य लोगों के लिए भी सहयोग प्रदान करता हैं। यह पुस्तकालय अनुसंधानकर्त्ताओं के लाभ के लिए सूचना एकत्र करने एवं उसको व्यवस्थित करने एवं उसके प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

प्रलेखन केन्द्र में दस्तावेज को एकत्र करने की नीति आरआईएस के अनुसंधान संकाय की आवश्यकता के अनुसार एवं इसको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैवप्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में एक प्रमुख संसाधन केन्द्र बनाने की एक वृहतर नीति के अनुसार मार्गनिर्देशित होती है।

विशेष संग्रह–सांख्यिकीय प्रकाशनों में कृषि संबंधी सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, बजट दस्तावेज, श्रम सांख्यिकी, उर्वरक सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सांख्यिकी, व्यापार एवं विकास सांख्यिकी, आर्थिक दृष्टिकोण, एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, संयुक्त राष्ट्र, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि से संबंधित प्रकाशन उपलब्ध हैं। इनमें विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टें भी शामिल हैं।

दस्तावेज में कार्यकारी दस्तावेज, वार्ता दस्तावेज, पुनः मुद्रण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विभिन्न अवसरों पर मुद्रित होने वाले दस्तावेज शामिल हैं जोकि मुद्रित या इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हैं जोकि पारस्परिक विनिमय के आधार पर प्राप्त होते हैं या उनको सांस्थानिक वेबसाइटों से डाऊनलोड किया जाता हैं।

पुस्तकालय में पन्द्रह हजार से अधिक शीर्षकों पर प्रकाशन उपलब्ध हैं जिनमें विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, जनंकिकी, सांख्यिकी एवं अन्य संबद्ध विषय शामिल है। पुस्तकालय में मौजूदा समय में 323 जर्नल खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ लगभग 50 जर्नल उपहार या विनिमय के आधार पर प्राप्त होते हैं। पुस्तकालय द्वारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रकाशनों का विनिमय कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

31 मार्च, 2014 तक प्रलेखन केन्द्र/पुस्तकालय में उपलब्ध प्रकाशन

| | |
|---|---|
| पुस्तकें | 15000 |
| सांख्यिकी संदर्भ पुस्तिका | 1400 |
| दस्तावेज–डब्लयूपी–ओपी–डीपी | 400+ |
| जर्नल/पत्र–पत्रिकाएँ (मुद्रण+ऑनलाइन+सीडी–रॉम) | 68+245+50 = 373 |
| समाचार पत्र–भारतीय+अंतर्राष्ट्रीय | 21 |
| पिछले खंड | 1856 |
| सीडी–रॉम | 548 |
| सीडी–रॉम में डाटाबेस | 15 |

प्रलेखन केन्द्र (डीसी) में खुली अभिगम प्रणाली अपनाई गई हैं। डीसी आरआईएस संकाय के लिए है। अनुसंधानकर्त्ता एवं पी एचडी के छात्र उपयुक्त पहचान पत्र या पर्यवेक्षक के पत्र के साथ प्रलेखन केन्द्र की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

## आरआईएस–प्रलेखन केन्द्र : संसाधन एवं सेवाएँ

आरआईएस का प्रलेखन केन्द्र आरआईएस के अनुसंधान संकाय के लिए नियमित रूप से इलैक्ट्रॉनिक वर्तमान जागरूकता सेवाएँ (इसीएएस) प्रदान करता रहता है। आरआईएसडीसी–ईसीएएस संसाधनों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है जिससे कि संकाय को डाटाबेस से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके। इसके लिए प्रलेखन केन्द्र में ऑनलाइन एवं मुद्रित जर्नल मंगवाए जाते है। आरआईएसडीसी–ईसीएएस की हाल ही अतिरिक्त सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है जिससे कि अनुसंधान संकाय को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके। इसमें पुस्तकें, कार्यकारी दस्तावेज, दस्तावेज, सांख्यिकी संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं जिनको मुद्रित प्रारूप में प्राप्त किया जाता है या विभिन्न संस्थानों की वेबसाइट से पीडीएफ प्रारूप में डाऊनलोड किया जाता है। इसी प्रकार से समाचार पत्रों के लेखों के लिए आरआईसीडीसी–ईसीएएस–प्रैस विषयसूची है जिसमें अनुसंधान संकाय की आवश्यकतानुसार विभिन्न समाचार पत्रों जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, डब्लयूएसजे एवं अन्य फाइनेशियल दैनिक समाचार पत्रों के लेखों, संपादकीय एवं समाचारों का चयन करना शामिल होता है। कुछ विशेष मामलों में अनुरोध करने पर हम विनिर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे आरआईएस–उत्तरपूर्व भारतः ई–न्यूज़लाइन (एनआईएन) के लिए ग्रंथसूची एवं प्रैस विषय सूची भी उपलब्ध करा देते है। एनआईएन में उत्तरपूर्व क्षेत्र के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं लेख प्रकाशित होते हैं।

## डाटाबेस

### संदर्भ ग्रंथों का ऑनलाइन डाटाबेस

- ईकॉनलिट–अमेरिकन इकनॉमिक एसोसिएशन–1990–2003, 1994–2005
- अनुसंधान संदर्भ सीडी–आईएसआईडी विषयसूची 1998
- इंडियास्टैट. कॉम
- सांइसडायरैक्ट
- जेएटीओआर–328 जर्नल लेखागार

## इलैक्ट्रॉनिक डाटाबेस/सीडी–रॉम का संग्रह

- एबीएस–सीयूएसटीएडीए–2009–2014
- डीजीसीआईएस–एमएसएफटीआई–2004–2013
- माल द्वारा डीजीसीआईएस–एफटीएसआई–2010
- एफएओ–एसओएफए–2001–2004
- इंडियास्टैट.कॉम
- आईएमएफ डाटाबेस–डॉट, आईएफएस, बीओपी, जीएफएस–2007–2014
- अंकटाड–एचओएस–2000–2004–2011–2012
- अंकटाड–डब्लयूआईआर–2003, 2013
- विश्व बैंक–डब्लयूडीआई–2001–2012
- विश्व बैंक–वैश्विक विकास वित्त 2002, 2004, 2008, 2011
- डब्लयूटीओ–अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी–2004

## ऑनलाइन डाटाबेस

- जेएसटीओआर
- डैलनेट
- इंडियास्टैट.कॉम
- साइंसडायरेक्ट
- यूएनआईडीओ–इंडस्टैट 4 एवं आईडीबीएस?
- विश्व व्यापार ऑनलाईन

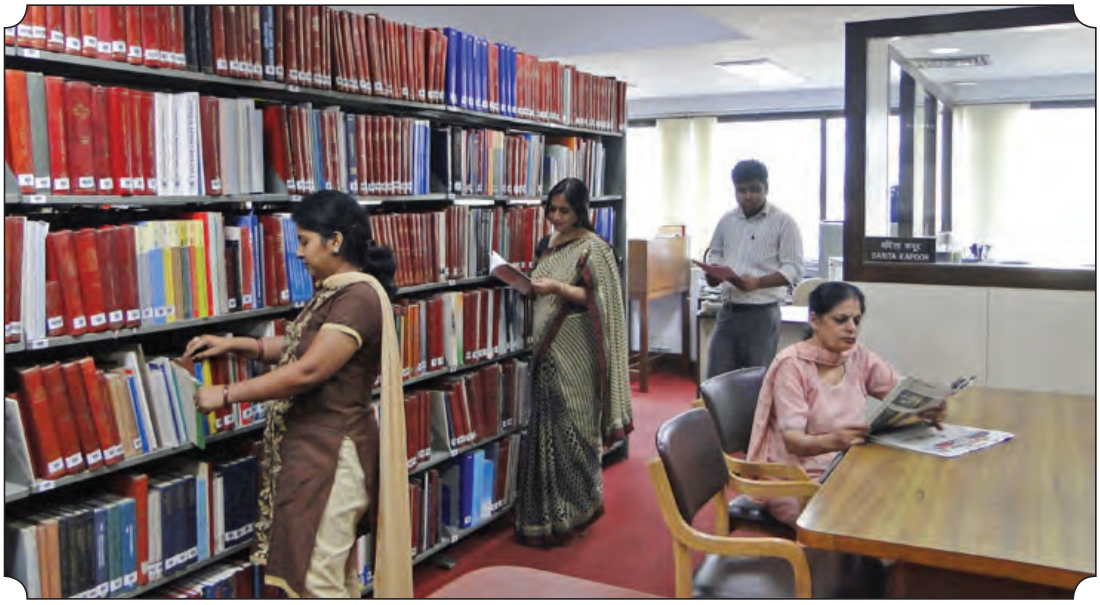

## आरआईएस डॉटा बैंक

आरआईएस डाटा बैंक द्वारा सर्वोत्तम डाटा बेस तैयार किया गया है। हमारे पास स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित निवेश, रोजगार, पर्यावरण एवं उद्योगों से संबंधित डाटा बेस है। अपनी परियोजनाओं के लिए डाटाबेस की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम उसको नियमित रूप से

अद्यतन करते रहते हैं।

- ❖ वैश्विक डाटाबेस में निम्नलिखित शामिल हैं–
- ❖ व्यापार डाटाबेस, टैरिफ एवं गैर टैरिफ उपाय
- ❖ भुगतान शेष
- ❖ वित्तीय सांख्यिकी
- ❖ विकास सांख्यिकी
- ❖ औद्योगिकी सांख्यिकी
- ❖ बौद्धिक संपदा सेवाएँ, नीति, सूचना एवं सहयोग संबंधी आंकड़े

भारतीय डाटाबेस में निम्नलिखित शामिल है–

- ❖ 8 अंकीय स्तर पर व्यापार पर समय श्रंखला संबंधी डाटाबेस
- ❖ भारतीय कंपनियों का डाटाबेस एवं उनका वित्तीय कार्यनिष्पादन
- ❖ सामाजिक–आर्थिक डाटाबेस
- ❖ कस्टम टैरिफ डाटाबेस

## आरआईएस वेबसाइट एवं ऑनलाइन प्रलेखन केन्द्र

इस वेबसाइट को आरआईएस के प्रकाशनों एवं कार्यक्रमों के साथ तत्काल अद्यतन किया जाता है। प्रकाशनों से संबंधित समस्त विवरण जैसे अनुसंधान रिपोर्टें, नीतिगत सार, वार्ता दस्तावेज, सम्मेलन रिपोर्टें, जर्नल एवं न्यूजलैटर तथा आरआईएस संकाय द्वारा प्रदान किए गए समाचार पत्रों के लेखों को किसी भी समय डाऊनलोड किया जा सकता है। इस विषय वस्तु का आदान–प्रदान ट्विटर, फेसबुक एवं लिंकड इन जैसे प्रमुख सामाजिक नेटवर्कों के माध्यम से किया जा सकता है।

आरआईएस की वेबसाइट की लोकप्रियता इसको प्रतिदिन प्रयोग करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जा रही है। आरआईएस की वेबसाइट गूगल द्वारा प्रदर्शित परिणाम में सदैव सबसे ऊपर दशाई जाती है जिसका अभिप्राय है कि इस वेबसाइट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।

आरआईएस की वेबसाइट में भाषा अनुवादक भी है जिससे इस वेबसाइट की विषय वस्तु पूरे विश्व में प्रयोक्ता के अनुकूल होती है।

आरआईएस का यू टयूब चैनल भी है जिसमें टेलीविजन में आरआईएस के कार्यक्रम एवं प्रमुख कार्यक्रमों के वीडियो अंतर्निहित होते हैं। आरआईएस का फेसबुक पृष्ठ भी है।

# VII

# मानव संसाधन

**प्रो. विश्वजीत धर,** पीएचडी

**महानिदेशक (30 मई 2014 तक)**

विशेषज्ञता : व्यापार एवं विकास संबंधी मामलें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, बौद्धिक संपदा अधिकार परम्परागत जानकारी, जैवविविध्ता का संरक्षण एवं अनवरत प्रयोगऋ कृषि तथा तकनीकी मानक एवं खाद्य पदार्थों विनियमऋ व्यापार एवं पर्यावरण

**प्रो. सचिन चतुर्वेदी,** पीएचडी

**महानिदेशक (10 सितंबर 2014 से)**

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन तथा विकास सहयोग

## संकाय

**प्रोफेसर एस के मोहंती,** पीएचडी
*विशेषज्ञता:* वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

**प्रोफेसर राम उपेन्द्र दास**, एम फिल, पीएचडी
*विशेषज्ञता:* अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्राीय एकीकरण एवं विकास संबंधी मामले

**प्रोफेसर प्रबीर डे,** पीएचडी
*विशेषज्ञता :* अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

**डॉ. बीना पाण्डेय**, पीएचडी
अनुसंधान एसोसिएट
*विशेषज्ञता:* सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

**डॉ. साब्यासाची साहा**, पीएचडी
सहायक प्रोफेसर
*विशेषज्ञता:* प्रौद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

**डॉ. प्रियदर्शी दास,** पीएचडी
अनुसंधान एसोसिएट
*विशेषज्ञता:* समष्टि अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

**सुश्री श्रेया पान**
अनुसंधान सहायक (मार्च 2014 से)
*विशेषज्ञता:* वैश्विक व्यापार

**श्री अमित कुमार**, बी टेक, एम फिल
अनुसंधान सहयोगी
*विशेषज्ञता*–नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

**श्री सुनंदो बासू**, एम फिल
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता – व्यावहारिक अर्थमित्तीय, विधि एवं अर्थशास्त्रा तथा विकास

**सुश्री अदिति झा**
अनुसंधान सहायक

## अनुसंधान सहायक

**श्री मनमीत सिंह अजमानी**
अनुसंधान सहायक

**श्री मोनू सिंह राठोर**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री गमिका ठक्कर**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री सुरभि अग्रवाल**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री वृंदा सेकसरिया**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री पायल चटर्जी**
अनुसंधान सहायक

**श्री प्रत्युश**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री नित्या बत्रा**
अनुसंधान सहायक

**सुश्री आस्था गुप्ता**
अनुसंधान सहायक

**श्री रोशन किशोर**
अनुसंधान सहायक (सितंबर 2014 तक)

**श्री साहिल अरोड़ा**
अनुसंधान सहायक (सितंबर 2014 तक)

**श्री कुनाल सिंह**
अनुसंधान सहायक (अगस्त 2014 तक)

**श्री प्रतीक कुकरेजा**
अनुसंधान सहायक (अगस्त 2014 तक)

**सुश्री सोनाक्षी जैन**
अनुसंधान सहायक (अगस्त 2014 तक)

**श्री विनायक पांडे**
अनुसंधान सहायक (अगस्त 2014 तक)

**सुश्री टी.एम. वासुप्रदा**
अनुसंधान सहायक (जुलाई 2014 तक)

**सुश्री जयंती वी. रमन**
अनुसंधान सहायक (नवंबर 2013 तक)

**श्री शशांक मे**
अनुसंधान सहायक (अक्तुबर 2013 तक)

**सुश्री रमिता तनेजा**
अनुसंधान सहायक (जुलाई 2013 तक)

**श्री अनुप कुमार झा**
अनुसंधान सहायक (जुन 2013 तक)

## सलाहकार/परामर्शदाता

**डॉ. रामगोपाल अग्रवाल**, पीएचडी
विशिष्ठ फैलो (मार्च 2014 तक)
विशेषज्ञता : मैक्रो मॉडलिंग, समष्टि अर्थशास्त्र प्रबंधन, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, पेंशन प्रणाली संबंधी सुधार, विकास के लिए विदेश अनुदान एवं विकास नीति प्रतिमान

**डॉ. आई एन मुखर्जी**, पीएचडी
वरिष्ठ परामर्शदाता (9 सितंबर 2014 तक)
विशेषज्ञता : दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास

**राजदूत डॉ. वी एस शेषाद्रि**, पी एचडी
सलाहकार (30 मार्च 2014 तक)
उप–अध्यक्ष (31 मार्च 2014 से)
विशेषज्ञताः म्यांमार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार करार, आर्थिक कूटनीति

**श्री राजीव मल्होत्रा**, एम ए
सलाहकार (अप्रैल 2014 तक)
विशेषज्ञता : विकास अर्थशास्त्रा तथा निर्ध्नता, मानव विकास एवं मानवाधिकारों के प्राक्कलन में राजकोषीय एवं मैक्रोइकनामिक नीति तथा प्रणाली संबंधी मामलों में रूचि

**श्री टी सी जेम्स**, एम ए
परामर्शदाता
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

**डॉ. के रवि श्रीनिवास**, पीएचडी
एसोसिएट फैलो (अप्रैल 2014 तक)
परामर्शदाताः (1 मई 2014 से)
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

**सुश्री सीमा गुहा**, एम ए
परामर्शदाता (31 मार्च 2014 तक)
विशेषज्ञता – विदेश नीति एवं उत्तर–पूर्वी भारत

**सुश्री शिप्रा निगम**, एम फिल
परामर्शदाता (21 सितंबर 2014 तक)
विशेषज्ञताः प्रगति एवं विकास की समष्टि अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति

**सुश्री रमा अरूण कुमार**,एम फिल
परामर्शदाता
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

**श्री सायन सामंत**, एम ए
परामर्शदाता (14 सितंबर 2014 तक)
विशेषज्ञता : विकास अर्थव्यवस्था

**श्री सुशील कुमार**, एम फल
परामर्शदाता
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

**श्री जय देव दूबे**, एम फिल
परामर्शदाता
विशेषज्ञता : अर्थशास्त्रा, माइक्रो–इकनॉमिक एवं एप्लाइड मैक्रो–इकनॉमिक्स

**श्री संतोष कुमार दास**, एम फिल
परामर्शदाता
विशेषज्ञताः व्यपाक आर्थिक सिद्धांत, मौद्रिक अर्थशास्त्र और राजनैतिक अर्थव्यवस्था

**सुश्री सुराजित राउत**, एम फिल
परामर्शदाता (27 मार्च 2014 तक)
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं पर्यावरण तथा सार्वजनिक वित्त

## सहायक वरिष्ठ अध्येता

**प्रो. मुकुल अशर**
प्रोफेसर, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगाफर

**डॉ. मनमोहन अग्रवाल**
प्रोफेसर, सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉटरलू, कनाडा

**डॉ. अमृता नरलिकर**
इंटरनेशनल पॉलिटिक्ल इकोनॉमी एट दि सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज, ब्रिटेन

## सहायक अध्येता

**डॉ. केविन पी गालाघेर,**
प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्रट्स यूनिवर्सिटी

**डॉ. रामकिशन एस राजन**
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जार्ज मैसॉन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी.

**डॉ. सूमा अथरयी**
रीडर, ब्रूनल बिज़नेस स्कूल, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, अक्सब्रिज

**डॉ. श्रीविद्या रागवन**
एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, कॉलेज ऑफ लॉ, नॉरमन, ओक्लाहोमा

# स्टाफ के अन्य सदस्य

**श्री महेश सी अरोड़ा**
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

### अध्यक्ष का कार्यालय
**श्री संजीव शर्मा**, निजी सचिव
**श्रीमती बिन्दु गंभीर**, आशुलिपिक

### महानिदेशक कार्यालय
**श्री तीश कुमार मल्होत्रा**, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय/ प्रकाशन अधिकारी
**श्रे एन एन कृष्णन**, निजी सचिव
**श्रीमती रितु परनामी**, निजी सहायक
**श्री शिव कुमार**, सचिवीय सहायक

### प्रकाशन विभाग
**श्री तीश कुमार मल्होत्रा**, प्रकाशन अधिकारी
**श्री सचिन सिंघल**, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)
**सुश्री रूचि वर्मा**, प्रकाशन सहायक (संपादकीय)

### आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र
**श्रीमती सरिता कपूर**, प्रलेखन अधिकारी
**श्रीमती ज्योति**, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
**श्रीमती सुशीला**, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
**श्री सुधीर राणा**, पुस्तकालय सहायक

### सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक
**श्रीमती सुषमा भट्ट**, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
**श्री चन्द्र शेखर फरी**, उपनिदेशक, प्रणाली
**श्रीमती पूनम मल्होत्रा**, कम्प्यूटर सहायक
**श्री सत्यपाल सिंह रावत**, उवर डिवीजन कलर्क
**श्रीमती गीतिका शर्मा**, डाटा एट्री आपॅरेटर

### वित्त एवं प्रशासन
**श्री वी कृष्णामणि**, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
**श्री डी पी काला**, उपनिदेशक (प्रशासन एवं स्थापना
**श्रीमती शीला मल्होत्रा**, अनुभागअधिकारी(लेखा)
**श्री हरकेश**, सहायक
**श्रीमती अनु बिष्ट**, सहायक (प्रोग्राम
**श्री सुरजीत**, लेखाकार
**श्री अनिल गुप्ता**, सहायक
**श्री पियूष वर्मा**, अवर श्रेणी लिपिकं
**श्रीमती शालिनी शर्मा**, स्वागती

### अनुसंधान सहयोग
**सुश्री किरन वाघ**, निजी सचिव
**श्रीमती सुजाता तनेजा**, निजी सचिव

### सहायक स्टाफ
**श्री सत्यवीर सिंह**, वरिष्ठ स्टाफ कार चालक
**श्री जे बी ठाकुरी**, स्टाफ कार चालक
**श्री बलवान**, दफतरी
**श्री प्रदीप**
**श्री राजू**
**श्री राज कुमार**
**श्री मनीष कुमार**
**श्री राज कुमार**
**श्री बिरजू**
**श्री प्रदीप नेगी**

# VIII

# वित्तीय विवरण

# सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्

चार्टर्ड एकाउंटेंटस्

भूतल, कृष्णा मार्किट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

टेलीफोन नं0 32500444, टेलीफैक्स : 40590344, ई-मेल : skaca@airtelmail.in


## लेखा परीक्षकों की निष्पक्ष रिपोर्ट

### विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों को–

### वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट

हमने विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है, के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि का तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक जानकारी का सार शामिल है, जोकि इसके साथ संलग्न हैं।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधक वर्ग का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधक वर्ग उत्तरदायी है जोकि भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन की वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है जोकि एक वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति को प्रस्तुत करता है तथा यह मिथ्या या गलती से दिए गए उन गलत विवरणों से मुक्त है।

### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हम इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस् द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा करते हैं। इन मानदण्डों में इस यथोचित आश्वासन की अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय विवरण गलत नहीं दिए गए हैं और इस आश्वासन के प्राप्त होने के पश्चात् लेखा परीक्षा की योजना बनाई जाती है और लेखा परीक्षा की जाती है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण के लिए नमूने के आधार पर दिए गए साक्ष्यों की जांच की जाती है। लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों से संबंधित मिथ्या या गलती से सामग्री से संबंधित गलत विवरण के जोखिम के आकलन सहित चयनित प्रक्रियाओं का निर्णय लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है। इन जोखिमों के आकलन के दौरान लेखा परीक्षक लेखा प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के दौरान वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत सोसायटी के विवरणों की तैयारी में प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों पर भी विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधकों द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमें लेखा परीक्षा के लिए प्रदान किए गए प्रमाण हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं विचार

### हम यह जानकारी देते हैं कि –

1) हमने वे समस्त सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विचार में लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थे।

2) हमारे मतानुसार, सोसायटी द्वारा संवैधानिक रूप से अपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तकें तैयार की गई जोकि अब तक हमारे द्वारा कि गई पुस्तकों की जांच से पता चलता है।

3) इस रिपोर्ट के साथ देखे गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता इन लेखा पुस्तकों के साथ समझौते कर रहे हैं।

4) हमारे मतानुसार, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं व्यय खाता इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस् आफॅ इंडिया द्वारा जारी लेखाकंन मानकों के अनुरूप हैं।

हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेंखाकन सिद्धांतों के अनुरूप खातों को सत्य एवं निष्पक्ष रूप से व्यक्त करते हैं :

(क) 31 मार्च 2014 को सोसायटी की स्थिति पर तुलन-पत्र के मामले में;

(ख) इस तारीख को समाप्त अवधि के आय और व्यय खाते के लिए अधिशेष के मामले में; और

(ग) इस तारीख को समाप्त अवधि के प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति एवं भुगतान खाते के मामले में।

**कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्**
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं0 : 008714C

**(कृष्ण कुमार सिंह)**
साझेदार, सदस्य सं0 077494

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.09.2014

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी)
## दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि का तुलन पत्र

(राशि रू0)

| विवरण | अनुसूची # | | 31.3.2014 को राशि रू0 | 31.3.2013 को राशि रू0 |
|---|---|---|---|---|
| **देयताएँ** | | | | |
| अनुसंधान एवं विकास निधि | | 1 | 92270422.84 | 86240915.78 |
| स्थायी परिसंपत्ति निधि (भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियाँ) | | 2 | 21794229.00 | 22233409.00 |
| स्थायी परिसंपत्ति निधि (विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए) से प्राप्त राशि से खरीदी गई परिसंपत्तियाँ) | | | 456533.00 | 306.532.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए) का अव्ययित शेष | | 3 | 12069473.00 | 8797696.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं (एफसीआरए) का अव्ययित शेष | | | 8345185.00 | 3465935.38 |
| वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान (गैर एफसीआरए) | | 4 | 21034720.00 | 23963014.13 |
| वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान (एफसीआरए) | | | 1315819.00 | 899281.00 |
| **योग** | | | **157286381.84** | **145906783.16** |
| **परिसंपत्तियाँ** | | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ (गैर-एफसीआरए) | | 5 | 21666349.00 | 22233409.00 |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ (एफसीआरए) | | | 978998.00 | 306532.00 |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ(गैर-एफसीआरए) | | | 127880.00 | - |
| स्थायी परिसंपत्तियाँ बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तिया(एफसीआरए) | | | 110798.00 | - |
| प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए) से वसूली जाने वाली राशि | | 3 | 4940681.00 | 4348526.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं (एफसीआरए) से वसूली जाने वाली राशि | | | 1588412.00 | 1058624.62 |
| वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (गैर-एफसीआरए) | | 6 | 63095536.67 | 62797876.60 |
| वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (एफसीआरए) | | | 64777727.17 | 55161814.96 |
| **योग** | | | **157286381.84** | **145906783.16** |

महत्वपूर्ण लेंखांकन नीतियाँ एवं लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ 15
1 से 15 तक की अनुसूचियाँ हमारे लेखों का एक अभिन्न भाग हैं।
हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अध्यधीन जांच की गई एवं सही पाया गया

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C

कृते विकासशील देशो की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

हस्ताक्षर
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
(सदस्यता सं. 077494)

हस्ताक्षर
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्राशासन)

हस्ताक्षर
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.09.2014

# विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी)
## दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि का आय–व्यय खाता

(राशि रू0)

| | अनुसूची # | | 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि | 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि |
|---|---|---|---|---|
| **आय** | | | | |
| भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि | | | 52118725.00 | 52682741.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) पर व्यय करने के लिए अंतरित अनुदान की राशि | | 3 | 16458848.00 | 16458848.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतरित अतिरिक्त राशि (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | | 1514240.38 | 2243059.00 |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि (गैर-एफसीआरए) से प्राप्त आय | | | 114162.00 | 159189.00 |
| अर्जित ब्याज : | | | | |
| आवधिक जमा पर -एफसीआरए | | | 5055311.69 | 4541385.40 |
| आवधिक जमा पर -गैर-एफसीआरए | | | 3696792.12 | 3332371.83 |
| बचत खातों/ऑटो स्वीप खाते पर -एफसीआरए | | | 186468.05 | 129417.86 |
| बचत खातों/ऑटो स्वीप खाते पर - गैर-एफसीआरए | | | 454407.50 | 537174.69 |
| कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर-गैर-एफसीआरए | | | 7289.00 | 11646.00 |
| आयकर की वापसी पर - गैर-एफसीआरए | | | 860.00 | 612.00 |
| अन्य विविध आय-गैर-एफसीआरए | | | 7036.34 | 4336.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं से उपरिव्ययों की वसूली (एफसीआरए एवं गैर-एफसीआरए) | | | - | 960564.00 |
| स्थायी परिसंपत्ति निधि से अंतरित राशि- बेची गई/समाप्त की गई परिसंपत्तियों की ह्रास रहित मूल्य (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | 2 | 178628.00 | 1317.00 |
| स्थायी परिसंपत्ति निधि से अंतरित राशि (भारत सरकार/प्रायोजित परियोजनाओं (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों पर ह्रास) | | | 1910434.00 | 1937023.00 |
| **योग** | | | **86471245.82** | **82999684.78** |
| **व्यय** | | | | |
| कार्यक्रम संबंधी व्यय प्रायोजित परियोजनाएँ (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | 7 | 21226891.74 | 16458848.00 |
| स्थापना संबंधी व्यय (गैर-एफसीआरए) | | 8 | 41319256.00 | 37393424.00 |
| प्रशासनिक एवं अन्य कार्यक्रम संबंधी (एफसीआरए) | | 9 | 15497729.89 | 15295262.76 |
| प्रशासनिक एवं अन्य कार्यक्रम संबंधी व्यय(गैर-एफसीआरए) | | 10 | 260566.13 | 1475467.00 |
| परिसंपत्तियों पर ह्रास राशि (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | 5 | 1966093.00 | 1937023.00 |
| प्रायोजित परियोजनाओं पूरा होने पर अंतरित घाटे की राशि (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | 3 | - | 1629296.00 |
| अवधि पूर्व व्यय | | | - | 20701.00 |
| आयकर | | | 171202.00 | |
| अनुसंधान एवं विकास निधि में अंतरित अतिरिक्त/(घाटे) की राशि (गैर-एफसीआरए एवं एफसीआरए) | | | 6029507.06 | 8789663.02 |
| **योग** | | | **86471245.82** | **82999684.78** |

महत्वपूर्ण लेंखांकन नीतियाँ एवं लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ 15
1 से 15 तक की अनुसूचियाँ हमारे लेखों का एक अभिन्न भाग हैं।
हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अध्यधीन जांच की गई एवं सही पाया गया

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C

कृते विकासशील देशो की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

हस्ताक्षर
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
(सदस्यता सं. 077494)

हस्ताक्षर
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्राशासन)

हस्ताक्षर
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.09.2014

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसायटी)
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रू0)

| | प्राप्तियाँ | 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि | | 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क)** | प्रारंभिक शेष | | | | |
| i) | रोकड़ शेष (गैर-एफसीआरए) | 124927.00 | | 24688.00 | |
| ii) | बैंक शेष | | | | |
| | आन्ध्रा बैंक के बचत खाते में | 16244.00 | | 8240.00 | |
| | बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते में (गैर-एफसीआरए) | 15716539.95 | | 16427147.100 | |
| | बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते में (एफसीआरए) | 1758644.86 | | 2378614.00 | |
| | बैंक ऑफ इंडिया के बचत(एफसीआरए) स्थायी जमा खाता | 50157302.77 | | 46231861.08 | |
| | बैंक ऑफ इंडिया के स्थायी जमा खाता में (गैर-एफसीआरए) | 40469955.67 | | 32339679.30 | |
| iii) | शेष डाक टिकटें | 59495.00 | | 117436.00 | |
| | **योग (क)** | | **108303109.25** | | **97527665.48** |
| **ख)** | **प्राप्त अनुदान** | | | | |
| i) | विदेश मंत्रालय-भारत सरकार से | 53500000.00 | | 53500000.00 | |
| ii) | विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर-एफसीआरए) | 17909814.87 | | 18656046.00 | |
| iii) | विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (एफसीआरए) | 12279009.49 | | 1866417.00 | |
| | **योग (ख)** | | **83688824.36** | | **74022463.00** |
| **ग)** | **प्राप्त ब्याज** | | | | |
| i) | ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज(गैर-एफसीआरए) | 7289.00 | | 8317.00 | - |
| ii) | बचत खाते/आटो स्वीप खाते पर ब्याज (एफसीआरए) | 186468.05 | | 129417.86 | - |
| iii) | स्थायी जमा खाते पर ब्याज (गैर-एफसीआरए) | 1452165.83 | | 3401087.42 | - |
| iv) | स्थायी जमा खाते पर ब्याज (एफसीआरए) | 3328782.23 | | 3925441.69 | |
| v) | बचत खाते/आटो स्वीप खाते पर ब्याज (गैर-एफसीआरए) | 453730.50 | | 536213.69 | - |
| vi) | आंध्रा बैंक के बचत खाते पर ब्याज (गैर-एफसीआरए) | 677.00 | | 961.00 | |
| vii) | आय कर वापसी पर ब्याज | 860.00 | | 612 | |
| | **योग (ग)** | | **5429972.61** | | **8002050.66** |
| **घ)** | **अन्य आय** | | | | |
| i) | प्रकाशनों से होने वाली बिक्री (गैर एफसीआरए) | 22055.00 | | 14305.00 | |
| ii) | रॉयल्टी (गैर-एफसीआरए) | 79911.00 | | 74184.00 | |
| iii) | विविध आय (गैर-एफसीआरए) | 7036.34 | | 3336 | |
| | **योग (घ)** | | **109002.34** | | **91825.00** |
| **ङ)** | **अग्रिम और जमा** | | | | |
| i) | ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर-एफसीआरए) | 475247.00 | | 22726.00 | |
| ii) | स्टाफ से वूसल की गई अग्रिम की राशि (गैर-एफसीआरए) | 33180.00 | | 70400.00 | |
| iii) | ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए) | 5639.00 | | 103682.00 | |
| iv) | पुराने हो गए चैक (गैर-एफसीआरए) | 2810.00 | | - | |
| v) | टीडीएस धन की वापसी(गैर-एफसीआरए) | 9510.00 | | 7168.00 | - |
| | **योग (ङ)** | | **526386.00** | | **203976.00** |
| **च)** | अन्य | | | | |
| i) | बेची गई परिसंपत्तियाँ | 14705.00 | | | |
| | **योग (च)** | | **14705.00** | | **-** |
| | कुल योग | | **198071999.56** | | **179847980.14** |

| | भुगतान | 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि | | 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| क) | **प्रायोजित परियोजनाएँ (गैर-एफसीआरए)** | | | | |
| i) | स्थापना संबंधी व्यय (अनुसूची 11) | 41615824.00 | | 42151152.00 | |
| ii) | प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (अनुसूची 12) | 15340992.89 | | 12531475.89 | |
| iii) | प्रायोजित परियोजनाएँ (अनुसूची 14) | 16611105.87 | | 10574630.00 | |
| iv) | अवधि पूर्व व्यव | - | | 20701.00 | |
| | **योग (क)** | | **73567922.76** | | **65277958.89** |
| ख) | **व्यय** (एफसीआरए) | | | | |
| | प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (अनुसूची 13) | 240186.13 | | 1475467.00 | |
| | प्रायोजिक परियोजना एवं कार्यक्रम पर व्यय (अनुसूची 14) | 6102062.87 | | 1244019.00 | |
| | **योग (ख)** | | **6342247.00** | | **2719486.00** |
| ग) | **स्थायी परिसंपत्तियों के लिए भुगतान** | | | | |
| i) | स्थायी परिसंपत्तियों के लिए भुगतान (गैर-एफसीआरए) | 1579666.00 | | 967397.00 | |
| ii) | स्थायी परिसंपत्तियों के लिए भुगतान (एफसीआरए) | 3091558.00 | | - | |
| | **योग (ग)** | | **4671224.00** | | **967397.00** |
| घ) | **अग्रिम एवं जमा** | | | | |
| i) | अग्रिम (गैर-एफसीआरए) | 55163.00 | | 1475120.00 | |
| ii) | अग्रिम (एफसीआरए) | 19536.00 | | - | |
| iii) | वसूली योग्य टीडीएस (गैर-एफसीआरए) | 128071.00 | | 30366.00 | |
| | **योग (घ)** | | **202770.00** | | **1505486.00** |
| ङ) | **अन्य** | | | | |
| i) | वापस किया गया अनुदान | 615140.00 | | 1074543.00 | |
| ii) | आयकर | 171202.00 | | - | |
| iii) | आयकर -विवादित मांग | 899050.00 | | - | |
| | **योग (ङ)** | | **1685392.00** | | **1074543.00** |
| च) | अंतिम शेष | | | | |
| i) | रोकड़ शेष (गैर-एफसीआरए) | 16296.00 | | 124927.00 | |
| ii) | बैंक शेष | | | | |
| | आंध्रा बैंक के जमा खाते में | 14585.00 | | 16244.00 | |
| | बैंक आफ इंडिया के जमा खाते में/आटो स्वीप खाते में (गैर-एफसीआरए) | 8845428.90 | | 15716539.95 | |
| | बैंक आफ इंडिया खाते में/आटो स्वीप खाते में (एफसीआरए) | 4273434.40 | | 1758644.86 | |
| | बैंक आफ इंडिया स्थायी जमा खाते मे(एफसीआरए) | 53486085.00 | | 50157302.77 | |
| | बैंक आफ इंडिया स्थायी जमा खाते मे(गैर-एफसीआरए) | 44822121.50 | | 40469955.67 | |
| iii) | शेष डाक टिकटें (गैर-एफसीआरए) | 144493.00 | | 59495.00 | |
| | **योग (च)** | | **111602443.80** | | **108303109.25** |
| | **कुल योग** | | **198071999.56** | | **179847980.14** |

लेखों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ (अनुसूची-15)
1 से 15 तक की अनुसूचियाँ हमारे लेखों का एक अभिन्न भाग हैं।
हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अध्यधीन जांच की गई एवं सही पाया गया

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C

कृते विकासशील देशो की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

हस्ताक्षर
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
(सदस्यता सं. 077494)

हस्ताक्षर
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्राशासन)

हस्ताक्षर
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.09.2014

अनुसूची 1

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### अनुसंधान एवं विकास निधि

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 86240915.78 | 77451252.76 |
| जमा : आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित अधिशेष/(घाटा) | 6029507.06 | 8789663.02 |
| अंतिम शेष | 92270422.84 | 86240915.78 |

अनुसूची 2

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### स्थायी परिसंपत्ति निधि (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.14 को राशि | दिनांक 31.03.13 को राशि |
|---|---|---|
| **क. स्थायी परिसंपत्ति निधि–भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई** | | |
| वर्ष के प्रारंभ में आगे लाया गया शेष | 21726168.00 | 22701058.00 |
| जमा : वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्ति में की गई बढ़ोतरी | 1381275.00 | 817259.00 |
| | 23107443.00 | 23518317.00 |
| घटा : वर्ष के दौरान बेची/बट्टे खाते में डाली गई स्थायी परिसंपत्ति | 49713.00 | 1317.00 |
| (आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि) | 23057730.00 | 23517.000.00 |
| घटा : वर्ष के दौरान ह्रास की राशि (आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि) | 1795276.00 | 1790832.00 |
| **योग क** | **21262454.00** | **21726168.00** |
| **ख. स्थायी परिसंपत्ति निधि–प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त राशि से खरीदी गई** | | |
| पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष | 507241.00 | 599338.00 |
| जमा : वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्ति में की गई बढ़ोतरी | 190972.00 | - |
| | 698213.00 | 599338.00 |
| घटा : वर्ष के दौरान ह्रास की राशि (आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि) | 94554.00 | - |
| | 603659.00 | 599338.00 |
| | 71884.00 | 92097.00 |
| **योग ख** | **531775.00** | **507241.00** |
| **योग क+ख** | **21797229.00** | **22233409.00** |

### स्थायी परिसंपत्ति निधि (एफसीआरए)

| विवरण | दिनांक 31.03.14 को राशि | दिनांक 31.03.13 को राशि |
|---|---|---|
| **स्थायी परिसंपत्ति निधि–प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त राशि से खरीदी गई** | | |
| पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष | 306532.00 | 360626.00 |
| जमा : वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्ति में की गई बढ़ोतरी | 227636.00 | - |
| | 534168.00 | 360626.00 |
| घटा : बेची/बट्टे खाते में डाली गई स्थायी परिसंपत्ति | 34361.00 | - |
| (आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि) | 499807.00 | 360626.00 |
| घटा : वर्ष के दौरान ह्रास की राशि (आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि) | 43274.00 | 54094.00 |
| **योग** | **456533.00** | **306532.00** |

अनुसूची 3

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची
## (क) प्रायोजित परियोजनाएँ (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | परियोजना का नाम | दिनांक 1.04.2013 को अव्ययित शेष | दिनांक 1.04.2013 को वसूल की जाने वाली शेष राशि | उपयोग की गई और आय और व्यय खाते में जमा की गई राशि | उपयोग की गई और स्थायी परिसंपत्ति निधि में जमा की गई राशि | उपयोग एवं व्यय आय खाते जमा मे | वापस किया गया अनुदान | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय खाते में अंतरित अतिरिक्त राशि | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय लेखे मेंअंतरित कम राशि | दिनांक 31.03.2014 को अव्ययित शेष | दिनांक 31.03.2014 को वसूली जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईएफपीआरआई : भारतीय बीज उद्योग का ढांचा | 52991.00 | - | - | - | - | - | 52991.00 | - | - | - |
| 2 | वाणिज्य मंत्रालय–भारत के विनिर्माण क्षेत्र को निर्यात अभिमुखी बनाने की संभावनाओं पर अध्ययन | 656880.00 | - | - | - | - | - | - | - | 656880.00 | - |
| 3 | वाणिज्य मंत्रालय–जीएटी के अंतर्गत दृश्य–श्रव्य सेवाओं में भारत का व्यापार | - | 50,861.00 | - | - | - | - | - | - | - | 50,861.00 |
| 4 | वाणिज्य मंत्रालय : आर्थिक सहयोग में भारत पाकिस्तान व्यापार | - | 293,562.00 | - | - | - | - | - | - | - | 293,562.00 |
| 5 | सीडब्लयूएस : व्यापार एवं जेंडर में क्षमता निर्माण | 587333.00 | - | - | - | - | - | - | - | 587,333.00 | - |
| 6 | ईसी : एफपी7–एनआईबी परियोजना | 1402562.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,402,562.00 | - |
| 7 | एमएचए: पूर्वोत्तर भारत में सीमा व्यापार अध्ययन | 1141022.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1141022.00 | - |
| 8 | वाणिज्य मंत्रालय : भारत कनाडा द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंध | - | 250684.00 | 102136.00 | - | 59,153.00 | - | | - | - | 148548.00 |
| 9 | भारतीय रिजर्व बैंक : भारत के व्यापार संपर्को के मूल्यांकन पर अध्ययन | - | 56211.00 | 480000.00 | - | 20919.00 | - | - | - | 402870.00 | - |
| 10 | एडीबीबी आरआईएस (आरईएटीए) सामरिक भागीदारी निति | 2047022.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2047022.00 | - |
| 11 | विदेश मंत्रालय : आसियान भारत निगम निधि | 255081.00 | - | - | - | - | - | - | - | 255081.00 | - |
| 12 | यू–क्लेन : जीईएसटी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक नीतियाँ) | 957595.00 | - | - | - | 957595.00 | - | - | - | - | - |
| 13 | सीओपी–16– जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन | - | 240,265.00 | - | - | - | - | - | - | - | 240,265.00 |

अनुसूची 3 जारी....

अनुसूची 3 जारी....

| क्रम सं0 | परियोजना का नाम | दिनांक 1.04.2013 को अव्ययित शेष | दिनांक 1.04.2013 को वसूली की जाने वाली शेष राशि | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | उपयोग की गई और आय और व्यय खाते में जमा की गई राशि | उपयोग की गई और स्थायी परिसंपत्ति निधि में जमा की गई राशि | वापस किया गया अनुदान | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय खाते में अंतरित अतिरिक्त राशि | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय लेखे मेंअंतरित कम राशि | दिनांक 31.03.2014 को अव्ययित शेष | दिनांक 31.03.2014 को वसूली जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | म्यांमार के साथ भारत का सीमा व्यापार पर अध्ययन | 341,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | 341,400.00 | - |
| 15 | विदेश मंत्रालय : आईटीईसी अध्येयतावृति कार्यक्रम 2012-13 | - | 3101761.00 | 3309516.00 | - | - | - | 207755.00 | - | - | - |
| 16 | विदेश मंत्रालय : एससीएएपी अध्येयतावृति कार्यक्रम 2012-13 | - | 100413.00 | 154652.00 | - | - | - | 54239.00 | - | - | - |
| 17 | वाणिजय मंत्रालयः एफटीए के लिए भारत कोमेसा जेएसजी | - | 104769.00 | - | - | 498773.00 | - | - | - | - | 603542.00 |
| 18 | आसियान भारत के विचारकों के नेटवर्क की बैठक | 265000.00 | - | - | - | 70980.00 | - | - | - | 194020.00 | - |
| 19 | यूनेस्को-एबीडीआर | 90810.00 | - | - | - | - | - | 90810 | - | - | - |
| 20 | छठा एशियाई जैवप्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन | - | 150000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 |
| 21 | विदेश मंत्रालय : म्यांमार में विकास कोरिडोर | 1000000.00 | - | 1000000.00 | - | 1422467.00 | - | - | - | 577533.00 | - |
| 22 | दक्षिण एशिया में व्यापार सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन | - | - | 41744587 | - | 41744587 | - | - | - | - | - |
| 23 | विदेश मंत्रालयः आसियान भारत सेंटर | - | - | 5910000.00 | 1788782.00 | 190972.00 | - | - | - | 3930246.00 | - |
| 24 | विदेश मंत्रालय : आईटीइसी एससीएएपी अध्येयतावृत्ति कार्यक्रम 2013-14 | - | - | - | 3453903.00 | - | - | - | - | - | 3453903.00 |
| 25 | विदेश मंत्रालय : दक्षिण-दक्षिण सहयोग में उभरती चुनौतियां व मुद्दे | - | - | 4411470.00 | 4411470.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | वाणिज्य मंत्रालयः भारत सीएलएमवी आर्थिक एकीकरण पर अध्ययन | - | - | 790000.00 | 624097.00 | - | - | - | - | 165903.00 | - |
| 27 | म्यांमार अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण परियोजना 2013 | - | - | 358595.00 | 358595.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | राष्ट्रीय एबीस कार्यन्वयन पर राष्ट्रीय अध्ययन | - | - | 680000.00 | 375496.00 | - | - | - | - | 304504.00 | - |
| 29 | भारत में नीति निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला | 100000.00 | - | - | 100000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | यूएनडीपी | - | - | 196000.00 | 132903.00 | - | - | - | - | 63097.00 | - |
| | **उप-योग (क)** | **8797696.00** | **438526.00** | **17909814.87** | **14633425.87** | **190972.00** | **-** | **405795.00** | **-** | **12069473.00** | **4940681.00** |

अनुसूची 3

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

**ख. प्रायोजित परियोजनाएँ – (एफसीआरए)**

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | परियोजना का नाम | दिनांक 1.04.2013 को अव्ययित शेष | दिनांक 1.04.2013 को वसूली की जाने वाली शेष राशि | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | उपयोग की गई और आय और व्यय खाते में जमा की गई राशि | उपयोग की गई और स्थायी परिसंपत्ति निधि में जमा की गई राशि | वापस की गई अनुदान की राशि | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय खाते में अंतरित अतिरिक्त राशि | परियोजनाएँ पूरी होने पर आय एवं व्यय लेखे में अंतरित कम राशि | दिनांक 31.03.2014 को अव्ययित शेष राशि | दिनांक 31.03.2014 को वसूली जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों के सुरक्षा विनियमन एवं संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात (एसीआईएआर) | 595,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | 595,915.00 | - |
| 2 | एसएडीसी : दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण | 494786.00 | - | - | 498729.00 | - | - | - | - | - | 3943.00 |
| 3 | वैश्विक व्यापार अलर्ट परियोजना | 1165512.38 | - | - | 57067.00 | - | | 1108445.38 | - | - | - |
| 4 | भारत-कनाडा आर्थिक सहयोग पर वार्ता पर सहयोग (आइडीआरसी) | - | 231645.62 | 234074.49 | 2428.87 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | यू-क्लैन : पीआरओआरईएसएस | 1209722.00 | - | - | 46244.00 | - | - | - | - | 1163478.00 | - |
| 6 | आसियान-भारत थिंक टैंको के नेटवर्क की दूसरी गोलमेज वार्ता | - | - | 4168235.00 | 2871714.00 | - | | - | - | 1296521.00 | - |
| 7 | ईआरआईए : आसियान भारत संयोजकता | - | - | 1977004.00 | 436484.00 | 227636.00 | - | - | - | 1312884.00 | - |
| 8 | यू-क्लेन : आरईडब्ल्यूएआरडी | - | - | 3977735.00 | 1348.000 | - | | - | - | 3976387.00 | - |
| 5 | यू-क्लेन : जीईएसटी | - | - | 1921961.00 | 2679451.00 | - | - | - | - | - | 757490.00 |
| 8 | भारत-आसियान विशिष्ट व्यक्तियों की व्याख्यान श्रृंखला | - | 826979.00 | - | - | 826,979.00 | - | - | - | - | 826979.00 |
| | **उप–योग** | **3465935.38** | **1058624.62** | **12279009.49** | **6593465.87** | **227636.00** | **-** | **1108445.38** | **-** | **8345185.00** | **1588412.00** |
| | **कुल योग (क) एवं (ख)** | **12263631.38** | **5407150.62** | **30188824.36** | **21226891.74** | **418608.00** | | **1514240.38** | - | **20414658.00** | **6529093.00** |

अनुसूची 4

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### मौजूदा देयताएँ एवं प्रावधान(गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| **क. वर्तमान देयताएँ** | | |
| पुराने हो गए चैक | 104893.00 | 102,083.00 |
| देय लेखा परीक्षा शुल्क | 129214.00 | 129214.00 |
| देय व्यय (गैर एफसीआरए) | 2100613.00 | 6492138.00 |
| देय भविष्य निधि पेंशन एवं छुट्टी वेतन योगदान | - | 38,143.00 |
| कर्मचारियों को देय राशि | - | 1536.00 |
| टीडीएस की देय राशि | - | 80.00 |
| **ख. प्रावधान** | | |
| आईएचसी–सामान्य स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान | 18700000.00 | 17200000.00 |
| **योग** | **21034720.00** | **23963014.00** |

### मौजूदा देयताएँ एवं प्रावधान (एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| **वर्तमान देयताएँ** | | |
| देय व्यय | 1312819.00 | 899281.00 |
| **योग** | **1315819.00** | **899281.00** |

### अनुसूची 4 (क)

## विदेश मंत्रालय से प्राप्त अनुप्रयुक्त सहायता अनुदान

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | | |
| जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 |
| घटा : राजस्व व्ययों के लिए प्रयुक्त (आय एवं व्यय खाते में अंतरित) | 52118725.00 | 52682741.00 |
| घटा : ह्रास योग्य स्थायी परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त (स्थायी परिसंपत्ति निधि में अंतरित) | 1381275.00 | 817259.00 |
| **अनुप्रयुक्त सहायता अनुदान** | - | - |

अनुसूची 5

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### स्थायी परिसंपत्तियाँ (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 1.04.2013 को शेष | वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियाँ | वर्ष के दौरान बेची/बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ | योग | ह्रास की दर | वर्ष के दौरान ह्रास की राशि | दिनांक 31.03.2014 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियाँ** | | | | | | | |
| भवन-आंतरिक साज सज्जा सहित आईएचसी में कार्यालय परिसर | 16134850.00 | - | - | 16134850.00 | 5% | 806743.00 | 15328107.00 |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 1769624.00 | 619449.00 | 76018.00 | 2313055.00 | 15% | 316726.00 | 1996329.00 |
| कम्प्यूटर साफटवेयर | - | 196606.00 | - | 196606.00 | 15% | 29491.00 | 167115.00 |
| मोटर कार | 438536.00 | - | - | 438536.000 | 20% | 87707.00 | 350829.00 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 532795.00 | 86936.00 | 46063.00 | 573668.00 | 10% | 55511.00 | 518157.00 |
| कार्यालय उपकरण | 998959.00 | 242102.00 | 12124.00 | 1228937.00 | 15% | 182627.00 | 1046310.00 |
| पुस्कालय की पुस्तकें | 1018963.00 | 236182.00 | 3233.00 | 1251912.00 | 20% | 228901.00 | 1023011.00 |
| आंतरिक (फर्नीचर एवं फिक्सचर) | 745922.00 | - | - | 745922.00 | 10% | 74592.00 | 671330.00 |
| विद्युत अधिष्ठापन | 86519.00 | | | 86519.00 | 15% | 12978.00 | 73541.00 |
| **उप–योग क** | **21726168.00** | **1381275.00** | **137438.00** | **22970005.00** | | **1795276.00** | **21174729.00** |
| **ख. विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं (गैर–एफसीआरए) से प्राप्त राशि से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियाँ** | | | | | | | |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 414043.00 | 174510.00 | 134709.00 | 453844.00 | 15% | 54988.00 | 398856.00 |
| कार्यालय उपकरण | 18331.00 | 16462.00 | - | 34793.00 | 15% | 3985.00 | 30808.00 |
| वर्ड परफैक्ट (पीसीएल) | 1939.00 | - | - | 1939.00 | 15% | 291.00 | 1648.00 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | 13669.00 | - | - | 13669.00 | 10% | 1367.00 | 12302.00 |
| फैक्स मशीन | 11962.00 | - | - | 11962.00 | 15% | 1794.00 | 10168.00 |
| पुस्कालय की पुस्तकें | 47297.00 | - | - | 47297.00 | 20% | 9459.00 | 37838.00 |
| **उप–योग ख** | **507241.00** | **190972.00** | **134709.00** | **563504.00** | | **71884.00** | **491620.00** |
| **कुल योग (क+ख)** | **22233409.00** | **1572247.00** | **272147.00** | **23533509.00** | | **1867160.00** | **21666349.00** |
| **पिछले वर्ष** | **23300396.00** | **817259.00** | **1317.00** | **24116338.00** | | **1882929.00** | **22233409.00** |
| **निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ (गैर–एफसीआरए)** | | | | | | | |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | - | 26739.00 | - | 26739.00 | - | - | 26739.00 |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर (प्रायोजित परियोजना) | - | 40155.00 | - | 40155.00 | - | - | 40155.00 |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर्स | - | 46063.00 | - | 46063.00 | - | - | 46063.00 |
| कार्यालय उपकरण | - | 12124.00 | - | 12124.00 | - | - | 12124.00 |
| पुस्कालय की पुस्तकें | - | 2799.00 | - | 2799.00 | - | - | 2799.00 |
| **योग** | - | **127880.00** | - | **127880.00** | - | - | **127880.00** |
| **पिछला वर्ष** | - | - | - | - | - | - | - |

अनुसूची 5

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### स्थायी परिसंपत्तियाँ (एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 1.04.2013 को शेष | वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियाँ | वर्ष के दौरान बेची/बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ | योग | ह्रास की दर | वर्ष के दौरान ह्रास की राशि | दिनांक 31.03.2014 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क. सामान्य निधि से निर्मित स्थायी परिसंपत्तियाँ** | | | | | | | |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | - | 523530.00 | - | 523530.00 | 15% | 39265.00 | 484265.00 |
| कम्प्यूटर साफटवेयर | - | 165392.00 | - | 165392.00 | 15% | 16394.00 | 148998.00 |
| **उप–योग क** | **-** | **688922.00** | **-** | **688922.00** | | **55659.00** | **633263.00** |
| ख. **विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त राशि से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियाँ** | | | | | | | |
| मोबाइल फोन | 13472.00 | - | - | 13472.00 | 15% | 2021.00 | 11451.00 |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 293060.00 | - | 145159.00 | 147901.00 | 15% | 22185.00 | 125716.00 |
| कम्प्यूटर साफटवेयर | - | 227636.00 | - | 227636.00 | 15% | 19068.00 | 208568.00 |
| **उप–योग ख** | **306532.00** | **227636.00** | **145159.00** | **389009.00** | | **43274.00** | **345735.00** |
| **कुल योग (क+ख)** | **306532.00** | **916558.00** | **145159.00** | **1077931.00** | | **98933.00** | **978998.00** |
| **पिछले वर्ष** | **360626.00** | **-** | **-** | **360626.00-** | | **54094.00** | **306532.00** |
| **परिसंपत्तियाँ निपटान हेतु(एफसीआरए)** | | | | | | | |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | - | 110798.00 | - | 110798.00 | - | - | 110798.00 |
| **योग** | - | **110798.00** | - | **110798.00** | - | - | **110798.00** |
| **पिछला वर्ष** | - | - | - | - | - | - | - |

**अनुसूची 6**

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| **क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ** | | |
| 1) रोकड़ शेष | 16296.00 | 124927.00 |
| 2) अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष | | |
| आंध्रा बैंक के बचत खाते में | 14585.00 | 16244.00 |
| बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते/आटो स्वीप जमा खाते में | 8845428.90 | 15716539.95 |
| बैंक ऑफ इंडिया के स्थायी जमा खाते में | 44822121.50 | 40469955.67 |
| 3) डाक टिकटें एवं फ्रैंकिंग मशीन में शेष | 144493.00 | 59495.00 |
| **उप–योग क** | **53842924.40** | **56387161.62** |
| **ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित को अच्छा माना जाए जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए)** | | |
| 1) अग्रिम | | |
| क) स्टाफ | 222171.00 | 204235.00 |
| ख) अन्य | 264956.00 | 1381405.00 |
| 2) आरआईएस भविष्य निधि से वसूली योग्य राशि | - | 370247.00 |
| 3) पूर्व प्रदत्त व्यय | 3393636.00 | 2345216.00 |
| 4) उपार्जित ब्याज | 4263302.27 | 2018675.98 |
| 5) सुरक्षा जमा | 6950.00 | 6950.00 |
| 6) प्राप्य टीडीएस की राशि | 202547.00 | 83986.00 |
| 7) आयकर विवादित मांग | 899050.00 | - |
| **उप–योग (ख)** | **9252612.27** | **6410714.98** |
| **योग (क+ख)** | **63095536.67** | **62797876.60** |

### मौजूदा स्थायी परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (एफसीआरए)

| विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|
| **क. मौजूदा परिसंपत्तियाँ** | | |
| अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष | | |
| बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते/आटो स्वीप जमा खाते में | 4273434.40 | 1758644.86 |
| बैंक ऑफ इंडिया के स्थायी जमा खाते में | 53486085.00 | 50157302.77 |
| **उप–योग क** | **57759519.40** | **51915947.63** |
| **ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित को अच्छा माना जाए जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए)** | | |
| 1) अग्रिम-अन्य | 2190147.00 | 100000.00 |
| 2) उपार्जित ब्याज | 12731.00 | 57067.00 |
| 3) प्राप्य टीडीएस | 4812799.77 | 3086270.31 |
| 4) पूर्व प्रदत्त व्यय | 2530.00 | 2530.00 |
| **उप–योग ख** | **7018207.77** | **3245867.31** |
| **योग (क+ख)** | **64777727.17** | **55161814.94** |

अनुसूची 7

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### कार्यक्रम संबंधी व्यय–परियोजित परियोजाएँ (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)

(राशि रू0)

| | | 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि | | | 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (गैर–एफसीआरए) | प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (एफसीआरए) | समेकित कुल राशि | प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (गैर–एफसीआरए) | प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (एफसीआरए) | समेकित कुल राशि |
| 1 | वेतन एवं मजूदूरी | 2354736.00 | 181420.00 | 2536156.00 | - | - | - |
| 2 | परामर्श प्रभार | 652223.00 | 315541.00 | 967764.00 | 2108188.00 | - | 2108188.00 |
| 3 | बैंक प्रभार | 3394.00 | 32398.00 | 35792.00 | 30024.00 | 8920.00 | 38944.00 |
| 4 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | 7941624.87 | 5351762.00 | 13293386.87 | 5600796.00 | 2625776.00 | 8226572.00 |
| 5 | अतिथि सत्कार संबंधी व्यय | 20545.00 | 234.00 | 20779.00 | 8648.00 | - | 8648.00 |
| 6 | डाक प्रभार, टेलीफोन एवं सम्प्रेषण प्रभार | 200.00 | 19103.00 | 19303.00 | 8319.00 | 9097.00 | 17416.00 |
| 7 | मुद्रण, लेखन सामग्री एवं फोटोकॉपी प्रभार | 3699.00 | - | 3699.00 | 23173.00 | 1560.00 | 24733.00 |
| 8 | प्रकाशन व्यय | 81575.00 | - | 81575.00 | 129374.00 | 2293.00 | 131667.00 |
| 9 | प्रमाणन कार्य | 4800.00 | - | 4800.00 | 4216.00 | - | 4216.00 |
| 10 | दौरा एवं यात्रा व्यय | 56775.00 | 111627.00 | 168402.00 | 454510.00 | 8752.00 | 463262.00 |
| 11 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 3449119.00 | - | 3449119.00 | 4303242.00 | - | 4303242.00 |
| 12 | अशदान व्यय | - | 57067.00 | 57067.00 | - | 40763.00 | 40763.00 |
| 13 | मानदेय | 10000.00 | 2428.87 | 12428.87 | - | 115926.00 | 115926.00 |
| 14 | कार्यालय व्यय | - | - | - | 1102.00 | - | 1102.00 |
| 15 | विनिमय दर उच्चावचन | 4173.00 | 25025.00 | 29198.00 | 13480.00 | 125.00 | 13605.00 |
| 16 | लिप्यंतरण प्रभार | - | - | - | 426608.00 | 533956.00 | 960564.00 |
| 17 | अनुसंधान सहायक | - | 496860.00 | 496860.00 | - | - | - |
| 20 | वेबसाइट डेवल्पमेंट एवं रखरखाव व्यय | 50562.00 | - | 50562.00 | - | - | - |
| | **योग** | **14633425.87** | **6593465.87** | **21226891.74** | **13111680.00** | **3347168.00** | **16458848.00** |

**अनुसूची 8**

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### स्थापना व्यय (गैर एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन एवं मजदूरी | 31050980.00 | 28122810.00 |
| 2 | जनशक्ति पारिश्रमिक प्रभार | 904450.00 | 656569.00 |
| 3 | परामर्श प्रभार | 4566877.00 | 4282664.00 |
| 4 | भत्ते एवं बोनस | 108373.00 | 105842.00 |
| 5 | भविष्य निधि में योगदान | 835971.00 | 938513.00 |
| 6 | राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान | 435535.00 | 192849.00 |
| 7 | छुट्टी यात्रा रियायत पर छुट्टी नकदीकरण | 47532.00 | 178636.00 |
| 8 | छुट्टी यात्रा रियायत | 147881.00 | 1057114.00 |
| 9 | अन्य निधियों में अंशदान | | |
| | i) छुट्टी नकदीकरण निधि | 1527069.00 | 707417.00 |
| | ii) आरआईएस की हितकारी निधि में योगदान | 50000.00 | 50,000.00 |
| | iii) आरआईएस की समूह उपदान योजना | - | 203626.00 |
| 10 | कर्मचारी कल्याण व्यय | | |
| | i) चिकित्सा सुविधा | 932561.00 | 399027.00 |
| | ii) बीमा | 178937.00 | 129174.00 |
| | iv) अन्य | 388963.00 | 294183.00 |
| 11 | स्टाफ को मानदेय | 92500.00 | 75,000.00 |
| 12 | पेंशन योगदान | 51627.00 | - |
| | **योग** | **41319256.00** | **37393424.00** |

अनुसूची 9

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (गैर एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन एवं प्रचार व्यय | 74261.00 | 36734.00 |
| 2 | लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक | 129214.00 | 129390.00 |
| 3 | बैंक प्रभार | 77499.76 | 43801.76 |
| 4 | व्यावसायिक शुल्क | 133174.00 | 74979.00 |
| 5 | विनिमय दर में उच्चावचन | 6058.00 | 328.00 |
| 6 | बिजली एवं पावर | 199811.00 | 177628.00 |
| 7 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | 2649455.13 | 2708997.00 |
| 8 | आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय | 470585.00 | 405422.00 |
| 9 | मोटर कार का बीमा | 20003.00 | 23748.00 |
| 10 | कार्यालय उपकरणों का बीमा | 22973.00 | 27731.00 |
| 11 | टीडीएस पर देय ब्याज | 2766.00 | 24.00 |
| 12 | स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई हानि | 129562.00 | 617.00 |
| 13 | आईएचसी के अुनरक्षण प्रभार | 1421538.00 | 1328216.00 |
| 14 | कम्प्यूटर मरम्मत एवं अनुरक्षण | 216765.00 | 273015.00 |
| 15 | कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण | 151783.00 | 169557.00 |
| 16 | कार्यालय परिसर का अनुरक्षण | 355930.00 | 473643.00 |
| 17 | सदस्यता शुल्क | 68058.00 | 66650.00 |
| 18 | कार्यालय व्यय | 208792.00 | 175341.00 |
| 19 | डाक प्रभार, टेलीफोन एवं संप्रेषण प्रभार | 1295443.00 | 1140580.00 |
| 20 | मुद्रण, लेखन सामग्री एवं फोटोस्टेट प्रभार | 698437.00 | 476750.00 |
| 21 | आईएचसी की समान स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान | 1500000.00 | 2900000.00 |
| 22 | प्रकाशन व्यय | 556854.00 | 420835.00 |
| 23 | दरें एवं कर | 523847.00 | 392884.00 |
| 24 | सदस्यता व्यय | 3065591.00 | 2482002.00 |
| 25 | दौरा एवं यात्रा संबंधी व्यय | 963797.00 | 914778.00 |
| 26 | पैट्रोल सहित वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण | 537347.00 | 450612.00 |
| 27 | अन्य व्यय | 1350.00 | 1000.00 |
| 28 | वसुली लिखा-बंद | 16836.00 | - |
| | **योग** | **15497729.89** | **15295262.76** |

**अनुसूची 10**

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2012 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंक प्रभार | 4802.00 | 3702.00 |
| 2 | परामर्श प्रभार | 215680.13 | 439019.00 |
| 3 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | - | 264196.00 |
| 4 | प्रकाशन व्यय | - | 768550.00 |
| 5 | सदस्यता | 6973.00 | - |
| 6 | स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई हानि | 33111.00 | - |
| | **योग** | **260566.13** | **1475467.00** |

अनुसूची 11

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### स्थापना व्यय (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | वेतन एवं मजदूरी | 31039578.00 | 28019352.00 |
| 2 | जनशक्ति पारिश्रमिक प्रभार | 962228.00 | 620466.00 |
| 3 | परामर्श प्रभार | 4596027.00 | 4275449.00 |
| 4 | भत्ते एवं बोनस | 118630.00 | 134540.00 |
| 5 | आरआईएस की भविष्य निधि में योगदान | 835971.00 | 938513.00 |
| 6 | आरआईएस की राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान | 428959.00 | 192849.00 |
| 7 | छुट्टी यात्रा रियायत पर छुट्टियों का नकदीकरण | 47532.00 | 178636.00 |
| 8 | छुट्टी यात्रा रियायत | 171732.00 | 1033263.00 |
| 8 | अन्य निधियों में योगदान | | |
| | i) छुट्टी नकदीकरण निधि | 1221647.00 | 4869157.00 |
| | ii) आरआईएस हितकारी निधि | 50000.00 | 50,000.00 |
| | iii) आरआईएस समूह उपदान योजना | 427007.00 | 804711.00 |
| 10 | कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय | | |
| | i) चिकित्सा सुविधा | 953643.00 | 522592.00 |
| | ii) बीमा | 182717.00 | 103824.00 |
| | iii) अन्य | 397883.00 | 332800.00 |
| 11 | कर्मचारियों को मानदेय | 92500.00 | - |
| 12 | पेंशन योगदान | 89770.00 | - |
| | **योग** | **41615824.00** | **42151152.00** |

अनुसूची 12

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (गैर–एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | विज्ञापन एवं प्रचार व्यय | 74261.00 | 36734.00 |
| 2 | लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक | 129214.00 | 112536.00 |
| 3 | बैंक प्रभार | 77499.76 | 43801.76 |
| 4 | व्यावसायिक शुल्क | 135870.00 | 71833.00 |
| 5 | बिजली एवं पावर | 211365.00 | 171492.00 |
| 5 | विनिमय दर में उच्चावचन | 6058.00 | 328.00 |
| 7 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | 2780282.13 | 2701242.00 |
| 8 | आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय | 516070.00 | 432710.00 |
| 9 | मोटर कार का बीमा | 18625.00 | 22759.00 |
| 10 | कार्यालय उपकरणों का बीमा | - | 28138.00 |
| 11 | टीडीएस पर देय ब्याज | 2766.00 | 24.00 |
| 12 | आरआईएस पीएफ ट्रस्ट - आय की कमी | - | 593391.13 |
| 13 | आईएचसी के अुनरक्षण प्रभार | 1421538.00 | 1328216.00 |
| 14 | कम्प्यूटर मरम्मत एवं अनुरक्षण | 219881.00 | 325556.00 |
| 15 | कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण | 80836.00 | 235162.00 |
| 16 | कार्यालय परिसर का अनुरक्षण | 548468.00 | 271517.00 |
| 17 | सदस्यता शुल्क | 23000.00 | 56180.00 |
| 18 | कार्यालय व्यय | 219836.00 | 170630.00 |
| 19 | डाक प्रभार, टेलीफोन एवं संप्रेषण प्रभार | 1402645.00 | 1158029.00 |
| 20 | मुद्रण, लेखन सामग्री एवं फोटोस्टेट प्रभार | 702407.00 | 473568.00 |
| 21 | प्रकाशन व्यय | 556934.00 | 436421.00 |
| 22 | दरें एवं कर | 523847.00 | 392884.00 |
| 23 | सदस्यता व्यय | 3867435.00 | 2296167.00 |
| 24 | दौरा एवं यात्रा संबंधी व्यय | 1232347.00 | 734825.00 |
| 25 | पैट्रोल सहित वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण | 588458.00 | 436232.00 |
| 26 | अन्य व्यय | 1350.00 | 1000.00 |
| | **योग** | **15340992.89** | **12531475.89** |

अनुसूची 13

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### प्रशासनिक और कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (एफसीआरए)

(राशि रू0)

| क्रम सं0 | विवरण | दिनांक 31.03.2014 को राशि | दिनांक 31.03.2013 को राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंक प्रभार | 4802.00 | 3702.00 |
| 2 | परामर्श प्रभार | 215680.00 | 439019.00 |
| 3 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | - | 264196.00 |
| 4 | प्रकाशन व्यय | - | 768550.00 |
| 5 | सदस्यता | 19704.00 | - |
| | योग | **240186.13** | **1475467.00** |

अनुसूची 14

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों के भाग की अनुसूची

### कार्यक्रम व्यय–प्रायोजित परियोजनाओं (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)

(राशि रू0)

| | | 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि | | | 31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | विवरण | प्रायोजित परियोजनाओं (गैर–एफसीआरए) से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (रू0) | प्रायोजित परियोजनाओं (एफसीआरए) से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (रू0) | योग | प्रायोजित परियोजनाओं (गैर–एफसीआरए) से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (रू0) | प्रायोजित परियोजनाओं (एफसीआरए) से प्राप्त अनुदान/शुल्क में से व्यय की गई राशि (रू0) | योग |
| 1 | वेतन एवं मजूदरी | 2354736.00 | 178420.00 | 2533156.00 | - | - | - |
| 2 | परामर्श प्रभार | 570023.00 | 315541.00 | 885564.00 | 2108188.00 | - | 2108188.00 |
| 3 | बैंक प्रभार | 3394.00 | 32398.00 | 35792.00 | 30024.00 | 8920.00 | 38944.00 |
| 4 | सम्मेलनों/कार्यशालाओं पर किया गया व्यय | 8237797.87 | 4997519.00 | 13235316.87 | 5304623.00 | 1116004.00 | 6420627.00 |
| 5 | आतिथ्य सत्कार पर किया गया व्यय | 20545.00 | 234.00 | 20779.00 | 8648.00 | - | 8648.00 |
| 6 | डाक प्रभार, टेलीफोन एवं सम्प्रेषण प्रभार | 200.00 | 25631.00 | 25831.00 | 8319.00 | 1035.00 | 9354.00 |
| 7 | मुद्रण, लेखन सामग्री एवं फोटोकॉपी प्रभार | 3699.00 | - | 3699.00 | 23173.00 | 1560.00 | 24733.00 |
| 8 | प्रकाशन व्यय | 81575.00 | - | 81575.00 | 129374.00 | 2293.00 | 131667.00 |
| 9 | प्रमाणन कार्य | 4800.00 | - | 4800.00 | 4216.00 | - | 4216.00 |
| 10 | दौरा एवं यात्रा व्यय | 60478.00 | 28004.00 | 88482.00 | 450807.00 | 8752.00 | 459559.00 |
| 11 | प्रशिक्षण कार्यक्रम | 5259685.00 | - | 5259685.00 | 2492676.00 | - | 2492676.00 |
| 12 | सदस्यता व्यय | - | - | - | - | 97830.00 | 97830.00 |
| 13 | मानदेय | 10000.00 | 2428.87 | 12428.87 | - | 7500.00 | 7500.00 |
| 14 | कार्यालय व्यय | - | - | - | 1102.00 | - | 1102.00 |
| 15 | विनिमय दर का उच्चावचन | 4173.00 | 25025.00 | 29198.00 | 13480.00 | 125.00 | 13605.00 |
| 16 | अनुसंधान सहायता | - | 496860.00 | 496860.00 | - | - | - |
| | **योग** | **16611105.87** | **6102060.87** | **22713166.74** | **10574630.00** | **1244019.00** | **11818649.00** |

**अनुसूची 15**

## विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
## 31 मार्च 204 को समाप्त अवधि के लेखों के एक भाग के रूप में अनुसूचियाँ
## महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ

**क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

1. वित्तीय विवरण स्टाफ के ऋण पर ब्याज को छोड़कर उपार्जन के आधार पर परंपरागत लागत की अवधारणा के अंतर्गत एक प्रगतिधी संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनका लेखांकन नकदी के आधार पर किया गया है।

2 प्रायोजित परियोजनाओं एवं उपरिव्ययों से संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों को अनुमोदित बजट के अनुसार परियोजनाओं पर प्रभारित किया गया है। भारत पर्यावास केन्द्र को देय टेलीफोन, बिजली, अनुरक्षण प्रभार से संबंधित व्यय एवं अन्य सामान्य कार्यालय व्यय को प्रत्यक्ष परियोजनाओं पर आबंटित नहीं किया गया है।

3 निवेश को स्थायी जमा के रूप में बैंकों में रखा गया है और तदनुसार उनको लागत पर दर्शाया गया है।

4. स्थायी परिसंपत्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत के आधार पर किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों को सीधे संबंधित सहायता अनुदान खाते में प्रभारित किया गया है और साथ-साथ उन पर भौतिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए उनको स्थाई परिसंपत्ति निधि खाते में अंतरित किया गया है।

5. महालेखानियंत्रक के मार्गनिर्देशानुसार स्थायी परिसंपत्तियों पर ह्रास वर्ष 2001-02 एवं आगे के लिए आरआईएस के प्रशासन विभाग द्वारा आकलित घटते हुए मूल्य की विधि के अनुसार लगाया गया है। तथापि, लेखा पुस्तकों में ह्रास की कोई बकाया राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2005-06 तक भवन पर ह्रास 2 प्रतिशत की अपेक्षा वर्ष 2006-07 से बिना ह्रास के मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। अन्य सम्पत्ति पर मूल्यह्रास को ऊपर वर्णित विधि के अनुसार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष में 1 अक्टूबर को या उसके बाद खरीदी गई परिसंपत्तियों को उपर्युक्त उल्लिखित दरों के 50 प्रतिशत ह्रास पर समीक्षाधीन रखा गया है।

6 प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से आकलन किया जाता रहा कि क्या किसी संपत्ति के नष्ट होने के कोई संकेत हैं। इस प्रकार के किसी भी संकेत की स्थिति में प्रबंधन द्वारा संपत्ति की वसूली योग्य राशि का आकलन किया गया। यदि किसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि उसके वहन मूल्य से कम है तो संपत्ति के वहन मूल्य को वसूली राशि तक कम कर दिया गया और उस अन्तर को क्षति राशि कहा जाता है।

7 सामान्यत: लेखा पुस्तकों में विदेशी मुद्रा के लेनदेन का लेखांकन लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है।

8 प्राप्त अनुदान/योगदान राशियों को प्रारंभ में देयता ही माना गया है और उनको वर्ष के दौरान उनकी उपयोगिता के अनुसार समायोजित किया गया है। अनुदान राशि को ह्रास योग्य संपत्ति की उपयोगिता सीमा तक स्थायी संपत्ति राशि में अंतरित किया गया है और उनको आय एवं व्यय खाते में सुव्यवस्थित एवं अनुपातिक आधार पर दर्शाया गया है। आय अर्जित करने वाले वाले व्ययों के लिए प्रयुक्त की गई अनुदान राशि को वर्ष की आय के रूप में दर्शाया गया है।

9 अल्पावधि वाले कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों को उस वर्ष के आय एवं व्यय खाते में छूट रहित राशि के रूप में दर्शाया गया है जिसमें संबद्ध सेवा प्रदान की गई है। रोजगार के पश्चात एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारियों के लाभों को उस वर्ष के आय एवं व्यय खाते में एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है। इस व्यय राशि को जीवनांकिकी मूल्यांकन की तकनीक द्वारा आकलित देय राशि के मौजूदा मूल्य पर दर्शाया गया है। रोजगार के पश्चात एवं अन्य दीर्घावधि लाभों से संबंधित जीवनांकिक लाभों एवं हानियों को आय के रूप में दर्शाया गया है।

**कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभ योजनाएँ हैं –**

क) आरआईएस में कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत एक स्वतंत्र भविष्य निधि ट्रस्ट है जोकि राजपत्र में अधिसूचित है। कर्मचारियों तथा नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट के भविष्य निधि खाते में मासिक आधार पर राशि जमा की जाती है।

1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात आरआईएस में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2004 से पूर्व भर्ती कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प भी दिया गया है।

ख) आरआईएस में अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण स्कीम नीति लागू है जिसके लिए जीवन बीमा निगम को वार्षिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

ग) आरआईएस में अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम की समूह ग्रेच्युटी योजना लागू है जिसके लिए वार्षिक प्रीमियम का आकलन बीमांकन आधार पर किया जाता है और वह राशि वार्षिक आधार पर जीवन बीमा निगम में जमा कराई जाती है।

घ) आरआईएस में यूनाईटिड इंडिया इन्शोरेन्स कंपनी के साथ आन्ध्रा बैंक की 'अरोग्यदान मेडिक्लेम योजना' की पालिसी का प्रावधान है जिसमें स्टाफ एवं परिवार के सदस्यों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 2.00 लाख रूपये तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

10 उन पूर्व घटनाओं के कारण मौजूदा दायित्वों के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनके संबंध में यह संभावना है कि उन दायित्वों के लिए संसाधनों के बहिप्रवाह की आवश्यकता होगी और एक विश्वस्त प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है। उन दायित्वों के लिए अपेक्षित प्रावधानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और उन दायित्वों के मौजूदा सर्वोत्तम प्राक्कलन को परावर्तित करने के लिए प्रावधानों को समायोजित किया जाता है।

11 किसी भी संभावित या मौजूदा दायित्वों के लिए एवं किसी भी आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण तैयार किया गया है जिसके लिए संभवत: संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता नहीं होगी। मौजूदा दायित्वों के लिए भी एक प्रकटीकरण तैयार किया गया है जिसके लिए संभवत: संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी जबकि संबद्ध बाह्य प्रवाह का विश्वस्त प्राक्कलन तैयार करना संभव नहीं होगा।

**ख) खातों पर टिप्पणी**

1) आकस्मिक देयताएँ :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के आदेश के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-2010) का आयकर निर्धारण पूरा हो गया है। चूंकि आरआईएस द्वारा अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत अधिनियम द्वारा विहित समय सीमा में वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के लिए संचित राशि का उपयोग नहीं किया गया इसलिए आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित शून्य आय में क्रमश: 18,50,000/-रू0 तथा 21,00,000/-रू0 की राशि को जोड़ा गया है। इस कर निर्धारण के फलस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए 8,36,324/-रू0 तथा वर्ष 2010-11 के लिए 8,99,050/- रू0 की आयकर की मांग की गई है।

आरआईएस द्वारा इन आदेशों के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) 21, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई और इन कर की मांगों का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को बरकार रखा है लेकिन आरआईएस ने सीआईटी (ए) के इस आदेश को आयकर अपीलीय न्यायधिकरण, दिल्ली के समक्ष चुनौती दी है।

आरआईएस ने वर्ष 2010-11 के लिए आयकर मांग के खिलाफ निर्धारण वर्ष के दौरान 8,99,050/- रू0 का भुगतान कर दिया है जो कि इस वित्तीय विवरण में वसूल की जाने वाली 'विवादित मांग आयकर' राशि के रूप में प्रस्तुत कि गई है।

2) पूंजीगत प्रतिबद्धता-रू0 5,089,692.50

3) आरआईएस आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क के अंतर्गत आयकर विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (4) के प्रयोजनार्थ दिनांक 25 मार्च, 2008 के आदेश के अंतर्गत एक अनुमोदित संस्थान है।

आरआईएस के प्रबंधन के मतानुसार वर्ष के दौरान निष्पादित किए गए समस्त क्रियाकलाप उपर्युक्त उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत किए गए हैं। इसलिए इन वित्तीय विवरणों में मौजूदा आयकर एवं आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

4) लेखा पुस्तकों में भूमि के किराए का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि आज तक इंडिया हैबिटेट सेंटर से इस संबंध में कोई मांग नहीं की गई है।

5) आईएचसी में कार्यालयी स्थान के लिए आरआईएस के पक्ष में अभी तक कोई पंजीकरण विलेख तैयार नहीं किया गया हैं।

6) भारत पर्यावास केन्द्र (आईएचसी) द्वारा दिनांक 07.01.2009 के पत्र द्वारा अपने समस्त सांस्थानिक सदस्यों को वातानुकूलन संयत्रों, लिफ्टों आदि जैसी सामान्य स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए संबंधित लेखा पुस्तकों में प्रावधान करने के संबंध में सूचित किया गया था

क्योंकि आईएचसी स्व वित्त पोषण के आधार पर संचालित होता है और इसीलिए सांस्थानिक सदस्य स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिऐ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आरआईएस द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए इस मद में 172 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 15 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया और इस प्रकार से 31 मार्च, 2014 तक 187 लाख रूपये का कुल प्रावधान किया गया।

7) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण/प्रावधान के लिए ऐसी कोई राशि देय नहीं है।

8) आरआईएस प्रबंधन के मतानुसार व्यावसाय की सामान्य प्रणाली के अंतर्गत सामान्य वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शाए गए मूल्य के समान अवश्य है और वित्तीय विवरण में समस्त ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान कर दिया गया है।

9) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए पुनः कार्यशील, पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची संख्या 1 से 15 तक के हस्ताक्षरकर्त्ता

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C

हस्ताक्षर
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
(सदस्यता सं. 077494)

कृते विकासशील देशो की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

हस्ताक्षर
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्राशासन)

हस्ताक्षर
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.09.2014

## –अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को स्वरूप प्रदान करने के लिए नीतिगत अनुसंधान

# आरआईएस

**विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली**

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.orgin वेबसाइट: http://www.ris.org.in